खण्ड-292, अंक-7
शुक्रवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(17 सितम्बर, 1971 ई0)

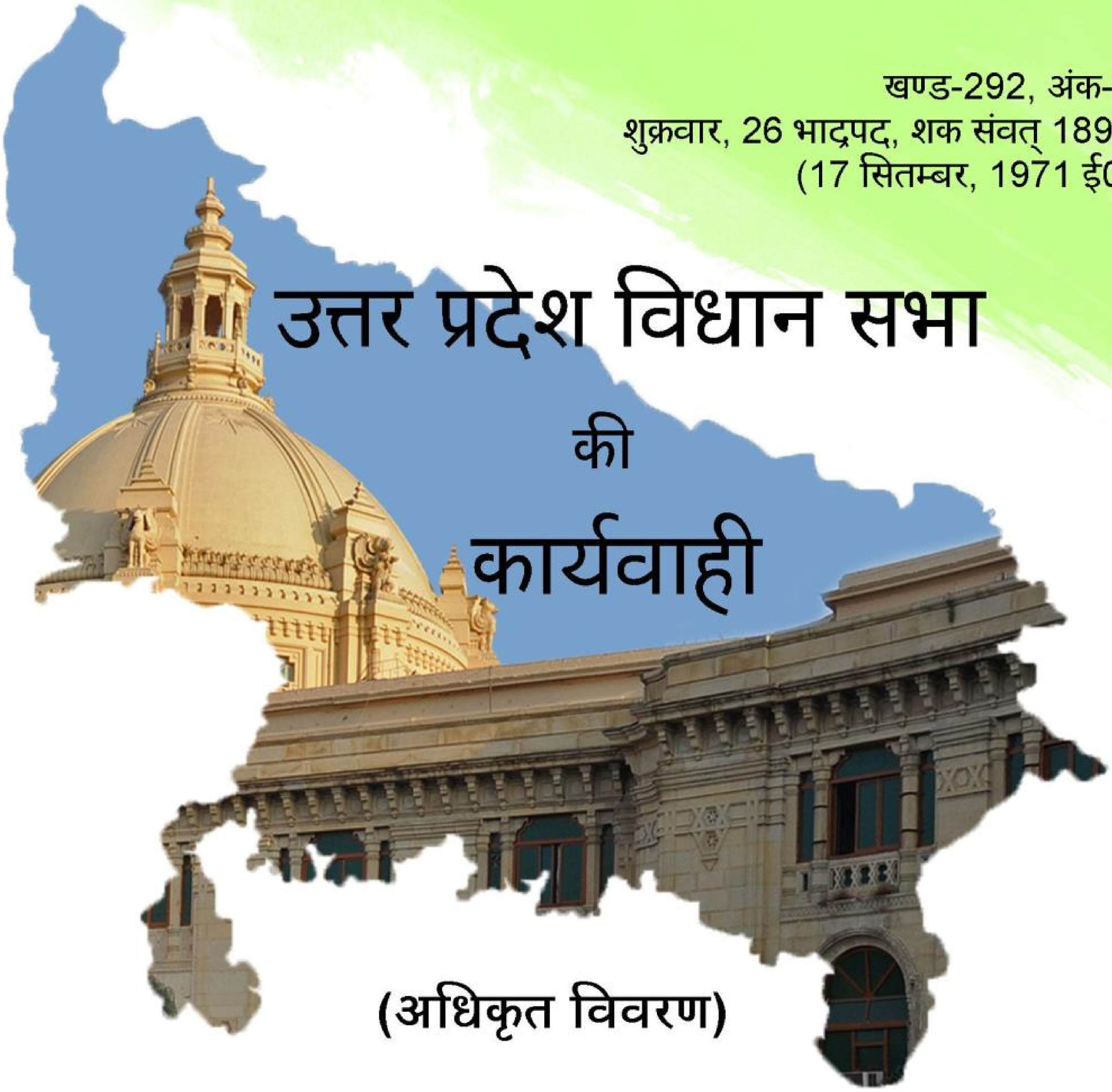

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	757–761
होम्योपैथिक विद्यार्थियों की हड़ताल के संबंध में विवाद की मांग ..	761
प्रश्नोत्तर	762-798
16 सितम्बर को लखनऊ की बाढ़ के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में श्री चरण सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण.. ..	798–805
विविध विषय	805–807
होम्योपैथिक छात्रों की मांगों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ..	807–810
मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस से संबंधित नियम 51 की स्वीकृत सूचना के संबंध में जानकारी	810–811
नियम 51, कार्य-स्थगन प्रस्तावों एवं विशेषाधिकार के प्रश्नों के संबंध में जानकारी	811–814
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1971 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	815
उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	815
पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	815–817
विधान सभा की पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी के गठन के संबंध में प्रस्ताव (सर्वसम्मति से स्वीकृत)	817–818
किसानों के गन्ने की कीमत का बकाया दिलाये जाने तथा गन्ने के दाम निर्धारित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग	818
नियम 51 की सूचनाओं के संबंध में जानकारी	818–819
स्थायी समितियों के चुनाव के संबंध में सूचना..	819
सुल्तानपुर जिले में बाढ़ से बांध टूटने की सूचना	819–820
13 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न 8 से संबद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	820–821
वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा विश्वविद्यालय में पुलिस तथा पी० ए० सी० के बुलाये जाने के संबंध में गृह उप मंत्री का वक्तव्य ..	822–826
लल्लू प्रसाद इन्टरमीडिएट कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल पर किये गये हमले के संबंध में वक्तव्य (जारी)	827–828

प्रेषक
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ-संख्या
जलपान-गृह में मारपीट होने की सूचना	828
लल्लू प्रसाद इन्टरमीडिएट कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल पर किये गये हमले के संबंध में वक्तव्य	829–831
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	831–832
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (स्वीकृत)	832–876
किसानों को गन्ने की कीमत का बकाया दिलाये जाने तथा गन्ने के दाम निर्धारित किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	876–877
विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	878
नत्थियां	879–884

अध्यक्ष प्रदत्त प्रति

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—382

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह राजा, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय श्री, (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाब)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री,
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजयसिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डे, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री

राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डे, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डे, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह बानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री

श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
शुकरू, श्री
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंस राज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनरायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिमी)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित थे ।

होम्योपैथिक विद्यार्थियों की हड़ताल के संबंध में विवाद की मांग

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । आज जब विधान सभा के सदस्य असेम्बली में घुस रहे थे तो फाटक पर होम्योपैथिक विद्यार्थियों ने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि उस विषय में कुछ निर्णय हो जाय । हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी स्पेशल पावर का प्रयोग करके 15, 20 मिनट इस पर विवाद करा दें । हेल्थ मिनिस्टर को आप बुला लें और मुख्य मन्त्री जी भी आ जायं और इस प्रश्न पर बात होकर निपटारा हो जाय । यह बहुत छोटा-सा प्रश्न है । 12 बजे के बाद आप इसको ले लें ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

होम्योपैथिक विद्यार्थियों ने अपनी मांग के विषय में बहुत निवेदन किया है····· ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1971

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चकबन्दी विभाग के लिये बनी विशेष समिति की समाप्ति

**1—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद), श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़), श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सरकार के समय राज्य में "विशेष चकबन्दी समिति" का निर्माण किया था ? यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य तथा अध्यक्ष कौन थे ? और उक्त समिति के निर्माण का क्या उद्देश्य एवं प्रयोजन था ? क्या उसकी पूर्ति हो गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त विशेष चकबन्दी समिति को वर्तमान शासन की ओर से समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों उसके क्या कारण हैं ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी हां। ऐसी समिति का निर्माण किया गया था। समिति के सदस्यों के नाम व समिति के उद्देश्य संलग्न तालिका में दिये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति वर्तमान व्यवस्था में पहले से ही हो रही है। अलग से कोई समिति की आवश्यकता या उपयोगिता वर्तमान शासन ने नहीं समझी। अतएव समिति को समाप्त कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 879 पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो विशेष समिति बनाई गई थी इसके उद्देश्य की पूर्ति अब सरकार किस माध्यम से करा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

वैसे एक स्टेट लेविल पर कमेटी बनी हुई है पहले से उसके अधिकारी हैं उनके माध्यम से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनको इस तरह की शिकायत मिली है कि हरिजनों को बसने के लिये चकबन्दी के बाद जमीन नहीं मिल रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह शिकायत मुझे मिली है। इस शिकायत का निराकरण मैं स्वयं कर रहा हूं और जगह-जगह जाकर अधिकारियों को बुलाकर डिप्टी डाइरेक्टर को बुलाकर यह हिदायत की है कि आइन्दा यह बात देखने को न मिले कि किसी जगह चकबन्दी हो और हरिजनों के लिये अलग भूमि न छोड़ी जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह समिति कब खत्म की गई है और किसके सुझाव पर खत्म की गई है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह समिति नहीं चल रही थी इस समिति की केवल एक बैठक हुई थी। मेरी प्रारम्भ से ही यह राय थी और जब आया तब भी मेरी यही राय रही कि इस चकबन्दी समिति से फायदा कम होगा और उलझन ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये मैंने ही उसको समाप्त कर दिया था।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के नोटिस में यह बात है कि चकबन्दी के फैलने के बावजूद भी हरिजनों की आबादी की समस्या बनी हुई है और इस प्रकार की शिकायत दूर करने में मन्त्री जी स्वयं लगे हुये हैं तो जिलों में इस प्रकार की समिति बना दें और निश्चित निर्देश दे दें कि वह जिले में इस समस्या को देखे और देखकर उसका निराकरण करे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ये कमेटी जिलों में बनी हुई हैं उनके बने रहते ये अनियमिततायें हो गईं। इसलिये मैं स्वयं उनको देख रहा हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले और गांव स्तर पर जो कमेटी बनी हुई हैं उनका काम सुचारु रूप से हो रहा है या नहीं इसकी जांच के लिये कौन सी कमेटी नियुक्त है जो इनकी देखभाल कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उनकी जांच के लिये किसी समिति की आवश्यकता नहीं है और न ही वह इस प्रकार की समितियां हैं जिनके आदेश होते हैं वे तो केवल सलाहकार समिति होती हैं और उनकी सलाह से चकन्बदी के कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते हैं और अगर कोई अनियमिततायें होती हैं तो ऊपर के अधिकारी और मंत्री तक सब उसको देखते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि राज्य स्तर पर बनी स्पेशल और एडवाजरी कमेटियां अब समाप्त कर दी गई हैं और चूंकि अभी चकबन्दी प्रदेश के काफी भाग में बाकी है और हो रही है उसमें काफी गड़बड़ी हो रही है और चूंकि उसकी मीटिंगों में तमाम अधिकारी और मंत्री जी होते हैं और वह सारी कमियां रोशनी में आती हैं और उन परेशानियों को दूर करने का प्रोग्राम वहां बनाया जाता है, क्या मंत्री जी उन कमेटियों को दोबारा बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह जिला स्तर की कमेटियां अब भी हैं और प्रदेशीय स्तर की भी एक समिति मौजूद है, इनके अलावा एक और विशेष कमेटी जो बनाई गई थी वह समाप्त की गई थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला स्तर की एडवाइजरी कमेटियां हैं उनके जिम्मे यह काम सुपुर्द था कि वह इस बात को भी देखें कि हरिजनों को जमीन ठीक से वितरित की जा रही है या नहीं और वह इस सम्बन्ध में सुझाव दें ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उनके जिम्मे केवल यही काम नहीं था वरन् चकबन्दी से सम्बन्धित सभी काम थे लेकिन फिर भी उनके रहते हुये भी चकबन्दी का काम गड़बड़ रहा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में जो सलाहकार समिति बनी है वह निष्क्रिय प्राय है और साल भर में उसकी एक भी बैठक नहीं होती और इसी कारण से इस एडवाइजरी कमेटी को निर्मित किया गया था?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस कमेटी की आखिरी बैठक जनवरी के अन्तिम सप्ताह में या फरवरी के आरम्भ में हुई थी और उसके बाद अब हम फिर एक बैठक उसकी करने जा रहे हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह जो समिति बनी थी उसमें जो दसवां टर्म आफ रिफ्रेंस था उसमें यह सिद्धान्त रखा गया था कि इस चकबन्दी योजना के कार्य में छोटे और असहाय किसानों के हितों का ध्यान रखा जायगा और उनके हित के काम किये जायंगे। तो क्या यह सही नहीं है कि उनके पास इस तरह की बहुत सी शिकायतें आई हैं कि छोटे-छोटे किसानों को ज्यादा चक दूर दूर बना कर दिये गये और उसका कोई इलाज नहीं हुआ वह समिति जनता के सुझावों के लिये बनी हुई थी और मंत्री जी यदि उसकी आवश्यकता नहीं समझते तो वह बतायें कि वह अब किस एजेंसी से काम ले रहे हैं और उसने इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि चकबन्दी के शुरू से लेकर और करीब-करीब आखिर तक न्यायपालिका के माध्यम से होते हैं, यह सब कोर्ट्स हैं और उनके अन्तर्गत ही सारा अपील और निगरानी का काम होता है। जो अनियमिततायें होती हैं उनको फिर से ठीक करने में दिक्कत होती है। कमेटियां करें या हम स्वयं करें। इस में बड़ा फर्क है और जिसकी वजह से जो हम बाहर से करना चाहें वह करना सम्भव नहीं है और हमें अदालतों पर ही विश्वास करना पड़ता है कि वे भी कुछ करेंगी ठीक करेंगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी का यह अनुभव है कि जो जिले के स्तर पर चकबन्दी की समितियां बनाई गई हैं, बावजूद उनके अधिकार भी है, उनकी सलाह ली जाती है, उनके बारे में यह अनुभव होने लगा है कि वे समितियां केवल नाममात्र की रह गई हैं और जो उनके कर्तव्य हैं उनके पालन में वे विफल हो रही हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, कहीं-कहीं ऐसा है।

श्री भाभी यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करके बताने की कृपा करेंगे कि जो समिति गांव स्तर और जिला स्तर पर बनी हैं और जो चकबन्दी में गड़बड़ियां हुई हैं और हरिजनों की आबादी की जमीन के बारे में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिये कमेटी बनाई गई थी। जो त्रुटियां थीं वे त्रुटियां दुरुस्त हो गई हैं और इस कमेटी की आवश्यकता नहीं पड़ी और इसको खत्म कर देना पड़ा। तो इसका मूल आधार क्या है इसको बताने की कृपा करेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने यह निवेदन किया कि इस कमेटी को सब बातें मालूम होने के बाद भी यह सम्भव नहीं था कि इसको दुरुस्त कर देते। इनकी कुछ चीजें मालूम भी होती हैं और चूंकि अदालत म मामला चल रहा है इसलिये हम भी कुछ नहीं कर पाते।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बसाने की योजना

**2---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सरकार और केन्द्रीय सरकार में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में और उनके ऊपर आर्थिक व्यय के संबंध में कोई निर्णय हुआ है? यदि हां, तो क्या? और उनको बसाने के लिए कौन-कौन स्थान निश्चित किया गया है?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

जी हां। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को इलाहाबाद जिले में स्थित इरावतगंज के केन्द्रीय परिचालित शिविर में अस्थायी रूप से बसाया गया है। इस सम्बन्ध में सारा व्यय भारत सरकार वहन करती है। भविष्य में जो शरणार्थी उत्तर प्रदेश में लाये जायंगे उन्हें अस्थायी रूप से किन स्थानों पर बसाया जाएगा इस पर विचार हो रहा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने शरणार्थी आ गये हैं और कितनों के और आने की संभावना है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

अब तक लगभग दस हजार शरणार्थी आ गये हैं। और आगे आने की कितनी सम्भावना है यह बात नहीं बताई जा सकती। यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा स्थान उपयुक्त मिलता है और केन्द्रीय सरकार कितनों को भेजने की आवश्यकता समझती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

केन्द्रीय सरकार ने क्या इस सरकार को लिखा है कि लगभग एक लाख से ज्यादा शरणार्थी यहां पर रक्खे जायेंगे। इस सम्बन्ध में यह सरकार जगह का चयन करने में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, हम जगह का चयन कर रहे हैं। पीलीभीत, हमीरपुर, झांसी, हरदोई ये वह जगह हैं जहां पर कुछ स्थान देखे हैं जिनकी हमने सूचनायें दी हैं। यदि आवश्यकता होगी और केन्द्र से कहा जायेगा कि और विस्थापितों को बसाना है तो उनके लिये हम स्थान देंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर मंत्री जी ने अभी-अभी बताया कि इतनी संख्या में इरादतगंज में शरणार्थी आये हैं और पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करती है। उनकी चिकित्सा तथा रहन-सहन का प्रबन्ध जिलाधीश तथा एक अन्य समिति द्वारा किया जाता है। वहां पर चिकित्सा की दयनीय स्थिति है। अनेक रोगी बीमार हैं। मैं भी वहां पर कई बार गया, और भी अनेक विधायक गये हैं। क्या उनकी चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध किया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, यदि प्रबन्ध में कोई कमी होगी तो जरूर ठीक किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी तक इरादतगंज में दस हजार शरणार्थी आये हैं तो क्या केवल सरकार के खर्च से ही उनके पालन-पोषण की या और कोई टेम्पोरेरी रोजगार की भी इस बीच में सरकार ने व्यवस्था की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, किसी रोजगार की व्यवस्था तो अधिक नहीं है, यहां आने पर जो काम होता है उसको जो लोग करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाता है और उसके जो लेबर चार्जेज होते हैं वह उनको दिये जाते हैं। वह उनको जो मदद दी जाती है उससे अलग होते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों पर सरकार रोजाना कितना खर्च कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह तो केन्द्रीय सरकार का विषय है हमसे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार को मालूम है कि इरादतगंज में जो शरणार्थी हैं उनको जो कपड़े और राशन मिलता है वह उनके जिन्दा रहने के लिये काफी नहीं मिल रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मेरी सूचना के अनुसार मिल रहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने शरणार्थी उत्तर प्रदेश में बसाये गये हैं उसके लिये भारत सरकार ने यह आग्रह किया है कि कुछ खर्चा यू० पी० को भी करना पड़ेगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

कतई नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

व्यवस्था का प्रश्न है। पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी आये हैं उनको सरकार ने पूर्वी बंगाल मान लिया है और भारत सरकार ने उनको बंगला देश माना है, तो यह सरकार उनको क्या मानती है ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

बंगला देश हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ भी कह सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्दर दूध की फैक्टरियों के कारण दूध का अभाव

**3—श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया), श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दूध की फैक्टरियों की स्थापना के कारण एवं उत्तर प्रदेश के दूध का निर्यात अन्य प्रान्तों में होने के कारण इस प्रदेश में दूध का अभाव होने से बच्चों तक को दूध नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करने जा रही है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (कुंवर अशरफ अली)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार मेरी सूचना को आधार मानते हुये कि हरियाना, दिल्ली और बिहार सरकारों ने यू० पी० के बार्डर पर अपनी एजेन्सियां खोल रक्खी हैं और सारा दूध खरीद लेते हैं जिसक कारण इस प्रान्त में दूध की कमी पड़ गई है, तो इस पर पाबन्दी लगायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

इन बातों की सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना मिलने पर विचार किया जावेगा।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में दूध की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इस प्रश्न पर भी सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना मिलते ही इस पर भी विचार सरकार करेगी।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या मंत्री जी इस बात के लिये तैयार होंगे कि प्रदेश में दूध की कमी को देखते हुये दूध से जो खोया बनाया जाता है उस पर पाबन्दी लगायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आदेश जारी किये जा सकते हैं लेकिन अन्तिम निर्णय अभी हुआ नहीं है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को मानती है कि प्रदेश में दूध की कमी है, अगर है, तो ऐसी कार्यवाही करने जा रही है कि दूध बाहर न जाय ?

श्री अध्यक्ष—

पहला सवाल है कि कमी है या नहीं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कहीं पर किसी जगह कमी हो सकती है, सबके बाबत तो जानकारी करेंगे और उसके बाद अगर कमी है तो उसको बढ़ाया जा सके या अगर बाहर जाता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय, इस पर विचार होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में इस प्रकार की कितनी दुग्ध फैक्टरियां अभी तक स्थापित हो चुकी हैं और दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने जो उत्तर प्रदेश में क्रय केन्द्र दूध के बनाये हैं उनसे प्रति दिन कितना दूध जाता है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

निश्चित तो नहीं बताया जा सकता लेकिन ऐसी बात है और विभाग इस पर विचार कर रहा है कि कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। सेन्ट्रल गवनमेंट से पिछले 10 सितम्बर को एक मीटिंग भी तय हुई थी। हम लोगों को जाना था लेकिन बाढ़ के कारण जा नहीं सके। वहां इन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी इस बात को तो जानते हैं कि प्रदेश में दूध की कमी है, तो भविष्य में दूध की कमी दूर हो इसके लिए क्या कोई योजना सहकारिता विभाग के पास है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कुछ हमारी मिल्क यूनियन्स और डेयरीज हैं, कुछ और हम बढ़ा रहे हैं और एक बहुत बड़ी योजना वर्ल्ड मिल्क प्रोग्राम आप्रेशन फ्लड की आ रही है जो 3 करोड़ 82 लाख की है। यह तमाम योजना चल जाने के बाद मेरा ख्याल है कहीं दूध की कमी नहीं रह जाएगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

गोरखपुर की तो डेयरी ही इन्होंने बन्द करवा दी।

गोरखपुर जिला परिषद् की तांबे के तार से लदी हुई जीप का थाना गौरी बाजार देवरिया में पकड़ा जाना

**4—श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

दिनांक 6—9—71 को जिला परिषद् की जीप पर तांबे का तार लदा हुआ गौरी बाजार, थाना देवरिया के पुलिस कप्तान देवरिया ने पकड़ा, जिसमें ड्राइवर ने बयान दिया कि इस प्रकार इस जीप का जिसका नं० बी० एस० बी० 3314 है लगातार यह कार्य करती है तथा पिछले 2 माह से टैक्सी में चलती है ? यदि हां, तो अध्यक्ष, जिला परिषद् अर्थात् जिलाधीश, गोरखपुर एवं कार्याधिकारी, जिला परिषद् के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामकरन सिंह—

श्रीमन्, इसमें स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 6—9—71 को जिला परिषद् की जीप पर तांबे का तार लदा हुआ गौरी बाजार, थाना देवरिया क पुलिस कप्तान देवरिया ने पकड़ा और दूसरे यह कि ड्राइवर ने बयान दिया कि यह गाड़ी पिछले दो माह से टैक्सी में चलती है। तो इसमें कौन सी सूचना एकत्र की जा रही है ? गाड़ी पकड़ी गयी या नहीं यह तो बताएं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

मान्यवर, जिलाधीश गोरखपुर से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया गया था तो उन्होंने बतलाया कि यह मामला देवरिया जिले का है और जिलाधीश देवरिया से पूछा जा रहा है। हमने उनसे कहा कि चार बजे तक टेलीफोन पर बता दें जो भी रिपोर्ट उनको प्राप्त हो। तो बताया यह गया कि चार बजे तक वह रिपोर्ट नहीं दे सकेंगे। इसलिए सूचना एकत्र करने में विलम्ब हुआ और इस तरह का जवाब यहां पर दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इसलिए सूचना नहीं दी जा रही है कि सूचना एकत्र करने का कार्य जिलाधीश गोरखपुर को दिया गया है और मामला सम्बन्धित है देवरिया से? और अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो क्या अपने अधिकारियों को करप्शन से रोक पायेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जो प्रश्न किया गया है वह जिला परिषद् गोरखपुर से सम्बन्धित है क्योंकि जिला परिषद् गोरखपुर की जीप थी। इसलिए हमने जिला परिषद् गोरखपुर के अध्यक्ष, जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हीं से रिपोर्ट मांगी। उनसे यह मालूम हुआ कि यह घटना देवरिया जिले की है। वहां से रिपोर्ट मांगी गई है।

श्री राम करन सिंह---

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जिला परिषद् की जीप पकड़ी गई। जिला परिषद् के अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। कार्याधिकारी जो हैं ये दोनों ही इससे संबंधित है। देवरिया से इस बात को मालूम करना चाहिए कि गाड़ी पकड़ी गई या नहीं और जो गाड़ी पकड़ी गई उस पर तार लदा था या नहीं। जिलाधीश जो अध्यक्ष भी हैं और कार्याधिकारी जो सचिव हैं दोनों ने ही मिल कर स्मगलिंग का काम किया है। इसलिए देवरिया से आपको सूचना मंगवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न क्या है?

श्री राम करन सिंह---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने इस बात को कबूल कर लिया कि जिलाधीश गोरखपुर ने कहा है कि यह घटना देवरिया की है तो क्या इससे यह नहीं साबित होता कि देवरिया से सूचना मांगी जाए। जिला परिषद् गोरखपुर की जीप देवरिया में पकड़ी गई। क्या सरकार तुरन्त ही इस पर कार्यवाही किये जाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी जो इसकी जांच की व्यवस्था करे?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, इस घटना की जांच करवाई जायेगी, इतना मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जांच किससे करवाई जायेगी। क्या जिला परिषद् का चौकीदार इसकी जांच करेगा?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री राम करन सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप में अपने प्रश्न में यह लिखा है कि जीप का नम्बर बी० एस० बी० 3314 है और पिछले दो माह से यह टैक्सी में चलती रही है। यह जिला परिषद् गोरखपुर की जीप है। अध्यक्ष तथा कार्याधिकारी गोरखपुर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है इसके लिये मान्यवर, जिला परिषद् के जो सचिव हैं उन्होंने अपने रिश्तेदार को ही जीप का ड्राइवर नियुक्त किया और वह गत 3 माह से इस कार्य को करता रहा है। आप जांच भी उसके अध्यक्ष या अध्यक्ष जिला परिषद् से ही करवा रहे हैं जो वास्तव में मुलजिम है। न्याय कैसे मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न यह है कि जिनके खिलाफ चार्जेज हैं उनसे ही आप ने इन्क्वायरी करवाई है। आप इसको बताएं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जिलाधीश जो जिला परिषद् के अध्यक्ष भी है उनके खिलाफ यह आरोप नहीं है। जिला परिषद् गोरखपुर के पास तीन जीपें हैं। जिला परिषद् के अध्यक्ष के पास जो जीप है वह नहीं गई। उनकी और जो दो जीपें हैं जो वहां रहती हैं उनमें से एक जीप है। उसकी जांच जिला परिषद् के अध्यक्ष जिलाधीश से करवाई जा रही है। अगर माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट नहीं है तो किसी और अधिकारी से इसकी जांच करवाई जा सकती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी किस दूसरे अधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं। हम लोग चाहेंगे कि मंत्री जी अपने सेक्रेटेरियट के किसी आफिसर को भेज कर उससे जांच करवाएं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यदि आवश्यक समझा गया तो ऐसा भी कराया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं मांग करता हूं कि सेक्रेटेरियट के किसी उच्चाधिकारी, अच्छा हो, ए० पी० सी० को भेज कर, जांच कराएं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मैंने अपनी ओर से निवेदन कर दिया है कि जांच करायी जायेगी और जो अधिकारी दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, इस प्रश्न के 2 जुज हैं। पहला तो यह है कि क्या यह सही है कि गोरखपुर जिला परिषद् की गाड़ी तांबा लिये हुए पकड़ी गयी या नहीं ? इस प्रश्न का मंत्री जी डेफिनिट जवाब दें ? दूसरा यह है कि जिलाधीश, गोरखपुर से इस मामले की जांच कराना कहां तक उचित होगा जब कि जिला परिषद् गोरखपुर की जीप पकड़ी गयी, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश स्वयं हैं। इनकी समझ में ऐसा करना कहां तक न्यायोचित होगा ? यह मामला दो जिलों से संबंधित है और इसका संबंध उच्चाधिकारियों से है। इसलिये इसकी जांच विजिलेन्स के द्वारा कराना उचित होगा।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह तो निश्चित है कि जिला परिषद्, गोरखपुर की कोई जीप थी जो वहां से गायब थी। इस तथ्य की जांच करायी जायेगी कि क्या यह वही जीप थी जो कि गायब थी या और कोई दूसरी जीप थी जिसने यहां अवैधानिक काम किया। टेलीफोन पर जिला परिषद् की जीप बतलायी गयी है। यह बताया गया है कि 10 तारीख से जिला परिषद् गोरखपुर की जीप गायब है। यह जांच करायी जायेगी कि वह कौन सी जीप गायब थी। मैंने निवेदन कर दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा येगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक सवाल है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि जीप पकड़ी गई या नहीं। यह निश्चित प्रश्न था। जीप 10 तारीख से गायब थी। अगर वह पकड़ी गई है तो क्या वे इस मामले की जांच विजिलेन्स से करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी जीप पकड़ी गयी थी। जिला परिषद् की 1 जीप गायब थी जो पकड़ी गई है।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गोरखपुर में कितनी जीपें रहने का प्राविधान है ? इस संदर्भ में यदि मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जिलाधीश ने श्री अलगू राम, डी० पी० ओ० से उस जीप के बारे में पूछा जो कि गायब थी, तो उन्होंने 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट दी उनको यह भी मालूम नहीं था कि जीप कहां है, गैरेज में है या कहां पर है और क्या उसकी लाग बुक भरी जा रही है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिला परिषद् के अध्यक्ष को एक ही जीप रखने का अधिकार है। मैं नहीं कह सकता कि वहां पर 3 जीपें किसकी स्वीकृति से रखी गयी हैं और यहां कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। आजकल बाढ़ का भी प्रकोप है। हो सकता है बाढ़ के प्रकोप के देखने के लिये इन जीपों का इस्तेमाल किया गया हो।

(शेम, शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जिन जिलाधिकारियों के खिलाफ यह आरोप हैं उनके विरुद्ध विजिलेन्स से या उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराने में सरकार को कठिनाई क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

16 तारीख को यह प्रश्न दिया गया। आज उसका उत्तर देना पड़ा। इतनी जल्दी-जिलाधीश से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था, उसके लिये समय कम था। इसलिये मैं सूचना एकत्र नहीं कर पाया पूरी तरह से। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं सदन को कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब प्राइमा फेसाइ आरोप लगाया गया है तो मंत्री जी को आपत्ति या कठिनाई क्या है उसकी जांच कराने में, यह मैंने पूछा है इसका उत्तर देने की कृपा करें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि अगर आवश्यकता होगी तो मैं सीनियर अधिकारी को भी जांच के लिये भेजूंगा ।

श्री राम विलास पांडेय—

अभी मंत्री जी ने यह कहा कि जिला परिषद् के अध्यक्ष को एक जीप दी जाती है, दूसरी बात यह भी कही कि गोरखपुर के जिला परिषद् के अध्यक्ष के पास 3 जीपें हैं । मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जिलाधीश की गाड़ी नहीं पकड़ी गयी, किसी और की गाड़ी पकड़ी गयी । तो यह जानकारी क्यों नहीं करायी गयी कि वह जीप जिला परिषद् की पकड़ी गयी या नहीं ? तो इसकी जांच कराने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, पीलीभीत के विभिन्न खाद गोदामों से खाद का गायब होना

*1—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के पीलीभीत जिले के भिन्न खाद्य गोदामों से 3.42 लाख रुपये की खाद गायब हुई ? सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

कुंवर अशरफ अली खां—

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के क्षेत्रीय अधिकारी बरेली से प्राप्त इस सूचना पर कि पीलीभीत स्थित खाद गोदामों के भण्डार नायक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं तथा उनके अधीन संभार में अनियमितता पायी जाने की संभावना है, पीलीभीत को खाद गोदामों का सत्यापन कराया गया । अब तक 17 गोदामों का सत्यापन किया जा चुका है जिसके अनुसार रु० 1,18,213.94 पै० की खाद की कमी प्रकाश में आयी है । संबंधित भण्डारनायक को 30 जनवरी, 1971 से निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई है । शेष गोदामों का सत्यापन किया जा रहा है । सत्यापन पूर्ण होने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद के गायब होने की सूचना सरकार और क्षेत्रीय अधिकारी को कब मिली थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बरेली में जो क्षेत्रीय अधिकारी रहते हैं उन्होंने 23 जनवरी, 71 को इसकी सूचना दी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार यह बतायेगी कि कोआपरेटिव के कुल कितने गोदाम हैं, जिनमें से 17 का हुआ है और अभी कितनों का होना बाकी है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

पीलीभीत जिले में कितने गोदाम हैं इसकी सूचना अभी है नहीं। हालांकि इसके लिये प्रयास किया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

17 गोदामों की चेकिंग हुई है और बाकी की नहीं हुई है, तो बाकी की चेकिंग करने में सरकार को क्या कठिनाई रही है ? जो कार्य अभी नहीं हो सका ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

अन्य गोदामों का सत्यापन हो रहा है, उम्मीद है शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इन गोदामों में केवल बीज और खाद की कमी मिली है या इनका फर्जी वितरण भी मिला है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

यह प्रश्न तो संबंध रखता है खाद से। आगे विस्तार से होने पर और कुछ निकाला जा सकेगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

इस गबन की सूचना जनवरी में मिली थी, जिसके लिये एक व्यक्ति को इसमें ससपेन्ड किया गया है तो वह कौन सी डेट को किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

30 जनवरी से निलम्बित है, यह उसमें लिखा है।

(मुख्य मंत्री की सीट पर उनके साथ दो-तीन सदस्यों के खड़े होकर बात करने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यगण, यह यहां का तरीका नहीं है, यह अच्छा नहीं लगता है कि आप बीच में खड़े होकर बात करें। यह अशोभनीय है। (संबंधित सदस्यों के न सुनन पर)

श्री कल्पनाथ सिंह---

देखिए आपके कहने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे हैं। इस पर आप ध्यान दें।

(बाद में सदस्य उस स्थान से हट गए।)

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो नुकसान के केसेज उनकी जानकारी में आये हैं, उनकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कराई गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जितने भी मामले मिले हैं, सब पर एफ० आई० आर० लाज हो गई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब अभी पूरी तरह से छानबीन नहीं की गई है तो अधूरा केस कैसे दे दिया गया है, जब दूसरे केस आयेंगे सामने, तो उसके लिये दूसरा मुकदमा तो इसमें नहीं हो सकता है। यह सबको मिलाकर पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ? और पुलिस ने आज की तारीख तक कोई चार्जशीट उस मामले में लगाई है या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

एफ० आई० आर० लाज हो गई, पुलिस पूरे मामले को देखेगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में पुलिस को मुकदमा जो दिया गया है पुलिस की जांच के फलस्वरूप किस-किस के खिलाफ जुर्म पाया और आज की तारीख तक किस-किस के खिलाफ चार्जशीट दी है या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पुलिस की जांच की रिपोर्ट अभी मालूम नहीं है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

माननीय मंत्री ने जब बजट भाषण दिया था तो कहा था कि 67 करोड़ का बजट है और 67 लाख का घाटा या गबन है, साढ़े तीन लाख का यह आपके सामने आया, तो क्या कोई उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त करेंगे जो सहकारिता विभाग के तमाम गबन और इस प्रकार जो राज्य को घाटा हो रहा है उसकी जांच दे, हाई पावर कमीशन नियुक्त करेंगे, यह सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह गलत है। मैंने पहले कभी नहीं कहा कि 67 लाख का गबन है। मैंने कहा था 1 करोड़ 65 लाख। उसके लिये तमाम कार्यवाही हो रही है। कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के अन्दर बहुत से मामले जिनकी रिपोर्ट हुई है। उन पर पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती विशेष तौर से कोआपरेटिव के अन्दर पुलिस कायम हो रही है। पुलिस विभाग से जैसे ही आ जायेंगे हर जिले में भेज दिये जायेंगे। वे इस तरह के सब मामलों को देखेंगे।

*2—श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री राम करन सिंह, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री सुखपाल पांडेय, श्री त्रिवेणी सहाय, श्री रामगोपाल संड, श्री सतीश चन्द्र, श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री राम कुमार शास्त्री—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम मझेड़ा पट्टी वल्ला उदयपुर में भू-स्खलन से मृत्युयें

*3—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल) श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल) तथा श्री राम बिलास पांडेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के ग्राम मझेड़ा पट्टी वल्ला उदयपुर में भू-स्खलन से एक मकान ढह जाने के कारण 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो शासन ने पीड़ित परिवार को क्या राहत दी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

दिनांक 6-8-71 को कथित ग्राम में अतिवृष्टि से कुछ खेतों में कटने से पर्याप्त मात्रा में मलवा आया जिससे एक मकान ढह गया एवं मकान में रहने वाले तीन परिवारों के 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । क्षतिग्रस्त परिवारों को गृहनिर्माण अनुदान व अहेतुक सहायता के रूप में कुल 900 रुपये दिये गये । इसके अतिरिक्त तूण के दो पेड़ तथा साल के पांच पेड़ भी निःशुल्क दिये गये ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह जो मरे हैं किस वर्ग या जाति को बेलांग करते थे तथा कोई वरिष्ठ अधिकारी इस घटनास्थल पर गया और उसने इस संबंध में कोई जांच की?

श्री उदितनारायण शर्मा--

श्रीमन्, किस जाति या बिरादरी के थे, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । जो सामग्री मेरे पास है उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां गया नहीं ।

श्री इन्द्रमणि--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कितने परिवारों को यह 9 सौ रुपया मिला है, कितने परिवार इसमें सम्मिलित हैं जो सहायता दी गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मेरी सूचना के अनुसार दो परिवार थे । एक ही मकान में रहते थे ।

श्री राम बिलास पांडेय--

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर उनको जानकारी नहीं है, तो आपके माध्यम से बताऊं वह हरिजन परिवार के लोग थे जो एक मकान में रहते थे, और सात व्यक्तियों की मकान गिरने से मृत्यु हुई जिनको नौ सौ रुपया दिया गया है, इस सहायता को कम देखते हुए क्या चीफ मिनिस्टर फंड से उनकी सहायता की जायगी जो कि हरिजन परिवार के लोग हैं और गरीब हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उनको आवश्यकता होगी तो जो अभाव का महकमा है उससे ज्यादा दिया जा सकता है।

श्री रामबिलास पांडेय--

गरीब हैं, आवश्यकता है । स्पष्ट कर दें कि आप सहायता देंगे ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

जी हां, देंगे ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

आपने बताया, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कोई वरिष्ठ अधिकारी देखने नहीं गया, क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को आधार मान कर कि सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में नहीं, उत्तर काशी, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में तमाम जगह पर इस तरह की दुर्घटनायें हुई हैं और संचार साधनों के अभाव में सारी सूचनायें जिला अधिकारियों को नहीं पहुंची हैं, माननीय मंत्री इस तरह के आदेश पर्वतीय क्षेत्र में प्रसारित करेंगे कि इस तरह की इनक्वायरी की जाय और जिन लोगों के मकान गिरे हैं या जो दबे हैं उनको समुचित सहायता दी जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी] (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इतनी भयंकर दुर्घटना हुई कि 7 आदमी मर गये और माननीय मंत्री जी कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं गया तो मैं जानना चाहता हूं क्या भविष्य के लिये वह ऐसे आदेश करेंगे जिलाधीश के लिये कि अगर इस प्रकार की दुर्घटना हो तो जिलाधीश स्वयं वहां मौके पर जा कर निरीक्षण करें ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मुझे निश्चित सूचना नहीं है। मैंने निवेदन किया कि मेरे पास जो सामग्री है उससे ऐसा आभास होता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं गया। मैं नेगी जी से सहमत हूं कि वहां वरिष्ठ अधिकारी को जरूर जाना चाहिये था और अगर नहीं गये हैं तो मैं उनसे वजह पूछूंगा कि क्यों नहीं गये और मैं उनको भेजूंगा।

एग्रीकल्चर रिफाइनान्स कारपोरेशन, लखनऊ में कन्सल्टेटिव सर्विस का सृजन तथा कारपोरेशन द्वारा प्रदेश के लिये स्वीकृत विभिन्न योजनाएं

*4--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 जून, 1971 को एग्रीकल्चर रिफाइनान्स कारपोरेशन की कन्सल्टेटिव सर्विस का कार्यालय 38, मेजर्स बैंक, लखनऊ में खुला है, जो प्रांतीय सरकार को एग्रीकलचर डेवलपमेंट स्कीम के संबंध में सलाह मशविरा देती है ? क्या इस कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के लिये 32 योजनायें स्वीकार की हैं ? यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं ?

कुंवर अशरफ अली खां--

देश के पूर्वांचल के प्रदेशों को कृषि विकास कार्यों हेतु कृषि पुनर्वित्त निगम से समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये योजनायें बनवाने आदि कार्य के लिये सलाह मशविरा देने हेतु निगम ने 9-8-1971 से अपने लखनऊ शाखा पर जो 38 मेजर बैक्स रोड पर है एक कन्सल्टेटिव सर्विस का सृजन किया। कारपोरेशन द्वारा अब तक 36 योजनायें इस प्रदेश के लिये स्वीकृत की गईं उनका नाम तथा लागत संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 881 पर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

उत्तर में (क) में लिखा है 23 योजनाओं की धनराशि और ऊपर लिखा है सिंचाई योजनायें तो क्या इसके अन्तर्गत प्राइवेट ट्यूब वेल लगाये जायेंगे या क्या होगा इसकी कुछ रूपरेखा तो माननीय मंत्री बतलायें ? इसी प्रकार (ख) में गोदाम निर्माण सरकार करेगी, कोआपरेटिव करेगी यानी कौन करेगा ? इसी प्रकार (ग) में डेरी बनेगी तो कैसे बनेगी और कहां बनेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

योजना तो पूरी दी गयी है। भूमि विकास बैंक से पैसा मिलेगा और उस पैसे से अपना ट्यूबवेल तथा पंपिंग सेट्स लगाये जायेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा तराई बीज योजना का जिक्र है तो यह बीज पैदा किया जायगा, कहां-कहां पैदा होगा ? डेरी खुलेगी तो कहां खुलेगी ? इतनी बड़ी योजना है इसे माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

किस किस जिले में होगा वह तो सब सूची में दिया हुआ है और यह पैसा दिया जायगा भूमि विकास बैंक के जरिये से ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

4 करोड़ 80 लाख रुपया गोदाम निर्माण के लिये लिखा हुआ है तो यह गोदाम निर्माण योजना प्रदेश के किस-किस हिस्से में चालू होगी और डेरी कहां पर स्थापित होगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

4 करोड़ 80 लाख रुपये गोदाम के लिये है ।

यह कार्य पी०सी० एफ० के जरिये से किया जायगा । सारे प्रदेश में कई जिलों में यह होगा विस्तार से सूची यहां नहीं है लेकिन वह कुछ जगहों को तय कर लिया गया है और कुछ जगहों को तय करना है । यह डेरी लखनऊ के लिये है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो एग्रीकल्चर रिफाइनास कारपोरेशन की कन्सल्टेटिव सर्विस का कार्यालय 38 मेजर्स बैंक, लखनऊ में खुला है और उसके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री मुकराम जी हैं जो कि पहले एग्रीकल्चर मंत्रालय में काम करते थे और जो कि इतने भ्रष्ट अधिकारी थे उनको यहां पर इस पोस्ट में मुकर्रर कर दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

इतना बड़ा सेक्रेटेरियेट खुला है और इसकी सूचना आपके पास नहीं है ।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योजना आपने बनाई है उसे हर जिले में कायम करने का आधार क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जहां पर जितनी सिंचाई और बागवानी की आवश्यकता थी वहां पर उसी प्रकार का सर्वे किया गया और उस तरह की योजना बनाई गई ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंकों के जरिये से काश्तकारों को ऋण मिल रहा है तो जिनकी मंजूरी पहले से हो चुकी है उनके अलावा ये 33 जिले हैं जिनको कि धनराशि बांटी जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जो पहले से हुआ वह तो हुआ किन्तु जो और स्कीमें बनी हैं ए०आर०सी० के जरिये से उसी के हिसाब से फाइनेंस करेंगे ।

*5—श्री बदन सिंह तथा श्री गंगा सिंह यादव—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले के अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु आवंटित धनराशि

*1—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतावेंगे कि जिला नैनीताल में माह 31 मार्च, 1971 ई० तक ट्रायबिल ग्रांट की कुल कितनी धनराशि शासन द्वारा दी गई और इस धनराशि को सरकारी खजाने से किस अधिकारी द्वारा ड्रा किया गया ?

संसदीय कार्य तथा सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

वर्ष 1968-69 से 31-3-71 तक अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु नैनीताल जिले के लिये कुल रु० 14,04,213 54 की धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गई जिसमें से रु० 13,33,362.70 की धनराशि सरकारी खजाने से निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निकाली गई:—

	रु०
1—निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ	49,500.00
2—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, ननीताल	9,67660.89
3—प्रायोजना अधिकारी, विशेष क्षेत्र प्रायोजना खटीमा, नैनीताल	1,32,748.28
4—शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य	1,83,453.43
	13,33,362.50

*2—श्री इन्द्र लाल—

क्या यह सही है कि सरकारी खजाने में ट्रायबिल ग्रांट को ड्रा करने के बाद किसी कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस धनराशि के खर्च किये जाने का आधार क्या है ?

श्री गुलाब सिंह—

जी नहीं ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न संख्या 2 को जिसमें मैंने पूछा था कि ट्रायबिल ग्रांट को ड्रा करने के बाद किसी कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस धनराशि के खर्च किये जाने के आधार क्या है ? तो इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि जी नहीं। तो मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर शासन से स्पष्ट नहीं मिला ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, बिलकुल सही है । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह सही है कि सरकारी खजाने में ट्रायबिल ग्रांट को ड्रा करने के बाद किसी कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया ? तो इसका उत्तर मैंने दिया कि जी नहीं इसी के मुताबिक हम कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री इन्द्र लाल—

मैंने यह पूछा था कि खर्च किये जाने का आधार क्या होता है, तो दूसरे भाग का उत्तर तो मिला नहीं । मैं निवेदन करूंगा कि इसको दोबारा जांच के लिये रुकवा दिया जाय और दोबारा आये ।

श्री अध्यक्ष—

दोबारा कैसे होगा ?

श्री गुलाब सिंह—

मैं तो फिर भी बार-बार यह बात कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि ट्रायबिल ग्रांट को ड्रा करने के बाद किसी कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया ? तो उसके संबंध में मान्यवर निश्चित उत्तर है कि "की गयी है", तो फिर दूसरा प्रश्न ही नहीं उठता ।

नैनीताल जिले के थारू तथा बौक्सा जन जातियों के ग्राम जंगल के हक हकूकों के संबंध में शासन द्वारा गठित कमेटीके प्रतिवेदन के संबंध में की गई कार्यवाही के विषय में जानकारी

*3—श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि सन् 66 के वन बन्दोबस्त के समय नैनीताल जिले के कई थारू तथा बौक्सा जन जातियों के ग्राम जंगल के हक हकूकों से बंचित रह गये थे ? क्या इस तरह के थारू व बौक्सा जन जातियों के ग्रामों की हक हकूक की समस्या के निवारणार्थ राज्य सरकार ने सन् 69-70 में कोई कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उस कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्य कौन-कौन थे ? और उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन कब राज्य सरकार को प्रस्तुत किया और इस सिलसिले में वन विभाग द्वारा इस समय तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

यह सत्य है कि सन् 1966 के वन बन्दोबस्त के समय नैनीताल जिले में कुछ थारुओं के ग्रामों तथा बोक्सा जनजाति के लोगों को हक हकूक नहीं दिये गये । एसे थारुओं के ग्रामों तथा बोक्सा जनजाति के लोगों के हक हकूक की समस्या के निवारणार्थ शासन ने 1969 में एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित थे:—

1—उप अरण्यपाल, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर .. अध्यक्ष
2—उप अरण्यपाल, पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत .. सदस्य
3—वन बन्दोबस्त अधिकारी जिला नैनीताल .. सदस्य
4—श्री अमीर हुसेन, विशेष कार्याधिकारी हरिजन सहायक विभाग, उ० प्र० लखनऊ सदस्य

उक्त समिति ने थारू ग्रामों के संबंध में अपना प्रतिवेदन शासन को 12 अप्रैल, 1970 को प्रस्तुत किया तथा बौक्सा जनजाति के हक हकूक के संबंध में 18 जनवरी, 1971 को प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया समिति ने जो संस्तुतियां की हैं उस पर शासन विचार कर रहा है ।

*4—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि सन् 66 के वन बन्दोबस्त में नैनीताल जिले में थारू तथा बौक्सा ग्रामों के अलावा कई गैर थारुओं के ग्राम भी वन विभाग से मिलने वाले हक हकूकों से बंचित रह गये हैं? क्या नैनीताल जिले के टनकपुर नामक गोठ ग्राम सभा जमोर तथा मझोला आदि ग्राम सभाओं के सभापतियों तथा ग्रामीणों द्वारा हक हकूक न मिलन की शिकायतें पिछले साल सन् 1970-71 में अधिकारियों तथा राज्य सरकार को मिली हैं ? क्या वह मामला भी उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित कमेटी की कार्यवाही का एक हिस्सा मान लिया गया था ? कमेटी ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सन् 1971 की पहली तिमाही में एल० एस० एस० किठौर के कई लाख रुपये के गबन के संबंध में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, मेरठ की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*5—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेरठ ने सन् 1971 की पहली तिमाही में एल० एस० एस०, किठौर के कई लाख के गबन की रिपोर्ट जिलाधिकारी, मेरठ को ए० डी० एम० (पी०), मेरठ द्वारा भेजते हुये उक्त मामले में सी० आई० डी० की इंक्वायरी चाही थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक जिलाधिकारी या सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । जिलाधिकारी न उक्त रिपोर्ट पर आदेश दिये कि गबन की रिपोर्ट की प्रति निबन्धक सहकारी समितियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दी जाय ताकि यदि आवश्यक हो तो वह किसी विभागीय अधिकारी अथवा सी० आई० डी० द्वारा विस्तृत जांच करा लें । उप निबंधक ने समिति के संचालक मण्डल को अवक्रान्त करने के लिये "कारण बताओ" नोटिस दिया जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है और उस पर आगे कार्यवाही हो रही है । विभागीय जांच के फलस्वरुप गबन के संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की गई है ।

पौड़ी-गढ़वाल में जिला सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के चुनाव में अनियमिततायें

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में जो जिला सहकारी बैंक के संचालक मण्डल का चुनाव हुआ है उसके चुनाव के बारे में सरकार को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुयीं?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिला सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के चुनाव के सिलसिले में हुई अनियमितताओं के बारे में चार शिकायतें प्राप्त हुईं ।

*7—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

दो शिकायती पत्रों पर निर्धारित फीस प्रार्थियों द्वारा जमा न किये जाने के कारण जांच नहीं की गई ।

तीसरा शिकायती पत्र जो श्री दयानन्द कुकरेती का दिनांक 28–3–70 का था, सहायक निबंधक, पौड़ी-गढ़वाल, को 12–7–71 को प्राप्त हुआ । उनसे भी नियमानुकूल फीस जमा करन को लिखा गया है ।

चौथी शिकायत श्री सुल्तान सिंह भंडारी, सदस्य, विधान परिषद् की थी। उक्त शिकायत के समस्त पहलुओं की जांच एवं विचार के उपरान्त जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया कि बैंक के संचालक मण्डल का चुनाव नियमानुकूल सम्पादित किया गया और उन्होंने घोषित परिणाम में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं समझी।

खीरी जिले में भूमि वितरण कार्यक्रम के लिये स्टाफ

*8—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री तेज नारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मन्त्री को सूचना है कि जो "अलावा स्टाफ" खीरी जिले में भूमिहीनों में भूमि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु दिया गया था वह गत 30 जून, 1971 को उसकी अवधि पूरी हो जाने पर वहां से हटा दिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। आवश्यक स्टाफ की अवधि 31 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ा दी गई है।

[दिनांक 17-9-71 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[7वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[6वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला नैनीताल के बाजपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा में चकबन्दी कार्य

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के बाजपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा तहसीलों की चकबन्दी क्यों रोक दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला नैनीताल की तहसील बाजपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा में चकबन्दी कार्य अभी तक आरम्भ ही नहीं हुआ है, अतएव उसे रोक देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला पौड़ी-गढ़वाल के भूमिहीनों को तराई भावर में बसाने की योजना

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल के भूमिहीनों को तराई भावर में बसाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस प्रकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि तराई भावर राजकीय आस्थान में इस प्रकार की योजना के लिये आवश्यक मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है।

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सीलिंग से प्राप्त भूमि कितने भूमिहीनों को वितरित की गई और क्या उन भूमिहीनों को कब्जा दिला दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सीलिंग के अन्तर्गत 249.48 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। इसमें से 134.31 एकड़ भूमि अक्तूबर, 1970 से फरवरी, 1971 के बीच 59 भूमिहीनों तथा 10 ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास एक एकड़ अथवा उससे कम भूमि थी, वितरित की गई। इन सभी पट्टेदारों को भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। इस के अतिरिक्त अभी हाल में परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 27 जुलाई, 1971 द्वारा 51.33 एकड़ भूमि 25 भूमिहीन कृषक मजदूरों को वितरित की गई है।

शाहजहांपुर जिला की तहसील जलालाबाद व तिलहर में दैवी विपत्ति से क्षतिग्रस्त परिवारों को सहायता

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला की तहसील जलालाबाद व तिलहर में पिछले डेढ़ महीने से हो रही वर्षा आंधी, तूफान व ओला में अनुमानतः कितनी फसल खलिहानों में नष्ट व खराब हो गई और शासन की ओर से उपरोक्त दोनों तहसीलों में कृषकों की क्या सहायता की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शाहजहांपुर जिले की प्रश्नगत तहसीलों में आंधी, तूफान अथवा ओले से खलिहान में पड़ी फसल को कोई हानि नहीं हुई परन्तु असामयिक वर्षा से खलिहानों में पड़ी हुई अनुमानतः 70 प्रतिशत फसलें नष्ट व खराब हो गई। उक्त दोनों तहसीलों में भूराजस्व, तकावी, सिंचाई तथा अन्य कृषीय देयों की चालू व बकाया वसूली की कुल 24,45,779 रुपये की धनराशि 15-10-71 तक स्थगित कर दी गई है। रबी की बुवाई के लिये बीज खाद तथा तकावी की व्यवस्था जैसी इस आपदा से प्रभावित अन्य जिलों में की जायेगी, इस जिले में भी की जायेगी।

तराई एवं भावर क्षेत्र के बंगाली शरणार्थियों द्वारा भूमि का बेचना

*7—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि नैनीताल जिले के तराई व भावरी क्षेत्र राजकीय आस्थान में भी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप बंगाली शरणार्थी दिनेशपुर में भूमि धर बनने के बाद अपनी भूमि को बेचने लग गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि बेचने के लिये रोक थाम की कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित गारायण शर्मा—

जी हां, शासन की जानकारी में यह बात आ चुकी है, किन्तु संवैधानिक कठिनाइयों के कारण बंगाली शरणार्थियों क हस्तान्तरण अधिकार पर कोई रोक लगाना सम्भव नहीं पाया गया।

प्रदेश में असमय वर्षा से हुई हानि की जांच

*8—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई, जून, के माह में वर्षा हो जाने के कारण जो किसानों को हानि हुई है क्या उसका सर्वे कराने के लिये सरकार ने कोई आदेश दिया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन के स्थायी आदेश हैं कि कोई भी दैवी आपदा घटित हो तो राजस्व विभाग के जिले के सभी स्तर के अधिकारी क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करें। अप्रैल, मई और जून को वर्षा से हानि को देखते हुए शासन ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि हानि को नियमानुसार विस्तृत जांच करके राजस्व परिषद् और शासन को रिपोर्ट भेजें।

ऋषिकेश—बद्रीनाथ मार्ग पर अति वर्षा से हानि

*9—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1971 के दूसरे सप्ताह में होने वाली अति वर्षा से ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग पर कौन-कौन से पुल बह गये, किन-किन ग्राम को खतरा पैदा हो गया और कितने जन धन की हानि हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जून, 1971 के दूसरे सप्ताह में अतिवृष्टि के कारण ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग पर डी० जी० वी० आर० का एक डाटपुल नन्द प्रयाग के निकट बह गया तथा विरही का एक लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अतिरिक्त नन्द प्रयाग, पुरसाड़ी, पाखी, टंगणी तथा मैठाणा ग्रामों को खतरा पैदा हो गया। किसी जन की हानि नहीं हुई। मकान, निजी सम्पत्ति भूमि आदि को लगभग 3,36,620 रुपये की हानि हुई ?

पीपलकोटी, जिला चमोली में हैजे का प्रकोप

*10—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि पीपलकोटी, जिला चमोली में हैजे का प्रकोप हो गया है ? यदि हां, तो कितने लोग 1-7-71 तक काल-ग्रस्त हुये और इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये कृषकों को ऋण

*11—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बता सकेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये कृषकों की आवश्यकता का कितना-कितना प्रतिशत ऋण सहकारी संस्थायें, सरकार, व्यावसायिक व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग दिया गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सीतापुर जिले की बिसवां तसहसील में लेखपाल का निलम्बन

*12—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना तम्बौर तथा कोडरी में कितने लेखपाल निलम्बित चल रहे हैं ? उनके निलम्बन के कारण क्या हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना कोडरी उत्तरी सुपरवाईजर कानूनगो क्षेत्र तम्बौर 2 में केवल एक लेखपाल कार्य शिथिलता के कारण निलम्बित किया गया।

सीतापुर जिले की बिसवां तहसील में सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि के वितरण में अनियमितता

*13—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के तहसील बिसवां के परगना तम्बौर तथा कोडरी में जो सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि वितरण किया गया है वह केवल कागज पर हुआ है, साथ ही भूमि के वितरण में अनियमिततायें, भ्रष्टचार किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा कर भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जायगा और भूमि वितरण पुनः किया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के परगना तम्बौर तथा कोडरी में सीलिंग तथा गांव सभा की भूमि का वास्तविक वितरण राजस्व परिषद् के आदेशों के अनुरूप हुआ है। आवंटन में कोई अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*14–15—श्री इन्द्रमणि—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

राजस्व सचिव तथा बन्दोबस्त आयुक्त की दुद्धी और राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में भूमि की समस्या के संबंध में रिपोर्ट

*16—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्व परिषद् एवं राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी गण मिर्जापुर के दुद्धी एवं राबर्टसगंज क्षेत्रों में वर्ग 4 अथवा जोत भूमि की समस्या का, जिससे उन क्षेत्रों की 90 प्रतिशत जनता प्रभावित है, निरीक्षण करने हेतु माह मई एवं जून, 1971 में दौरा करने गये थे? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। माह मई, जून, 1971 में सचिव, राजस्व विभाग तथा बन्दोबस्त आयुक्त ने जिला मिर्जापुर का दौरा किया था। राजस्व सचिव के सम्मुख वार्तालाप के दौरान जो मसले उठाये गये उनके सम्बन्ध में समुचित आदेश भेज दिये गये हैं। बन्दोबस्त आयुक्त ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसका जिले में पालन किया जा रहा है। यह रिपोर्ट बड़ी होने के कारण इच्छुक सदस्य उसे मुझसे लेकर देख सकते हैं।

*17—श्री राम प्यारे—

क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों के परगना सिगरौली (दुद्धी) एवं परगना अगोरी (राबर्टसगंज) मिर्जापुर में वर्षों से कब्जे में चली आ रही भूमि जिन पर मकान, घर, फलदार वृक्ष बन्धे तथा कृषि योग्य भूमि है गलती से बिना सेटिलमेंट किये हुए जनता से लेने हेतु बेदखली की कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों का सेटिलमेंट करने का विचार रखती है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला मिर्जापुर की तहसील दुद्धी व राबर्ट्सगंज में गांव सभा में निहित भूमि और वन भूमि में कब्जों की समस्या कुछ समय से शासन की नोटिस में आई है। जहां तक गांव सभा में निहित भूमि का सम्बन्ध है, कब्जों को कुछ सीमा तक पट्टा देकर नियमित करने की योजना गत वर्ष बनाई गई है। इस योजना के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं:—

(1) जिन व्यक्तियों का कब्जा 1 जुलाई, 1967 से पहले का है केवल उन्हीं के कब्जों को नियमित करने की कार्यवाही की जायगी और बेदखली की कार्यवाही को रोक दिया जायगा।

(2) भूमि का प्रबन्ध निम्नांकित सीमाओं तक किया जायगा और नियत सीमा से अधिक क्षेत्रफल पर बेदखली की कार्यवाही की जायगी—

(क) निम्न क्षेत्रों में कब्जा नियमित करने की सीमा उतना क्षेत्रफल होगा कि काबिज व्यक्ति के पास अपनी अन्य जोत को मिला कर कुल क्षेत्रफल 4.68 एकड़ से अधिक न होने पाये:—

(अ) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण;

(ब) तहसील सदर के तप्पा उपरोध एवं तप्पा चौरासी बलायें पहाड़;

(स) राबर्टसगंज तहसील के कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित भाग; तथा

(द) परगना सकटेशगढ़ और तहसील चुनाव के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव।

(ख) अन्य क्षेत्रों में कब्जा नियमित करने की सीमा उतना क्षेत्रफल होगा कि काबिज व्यक्ति के पास अपनी अन्य जोत मिला कर कुछ क्षेत्र 3.125 एकड़ से अधिक न होने पाये।

(3) जिस भूमि के विषय में कब्जा नियमित होगा, उस पर काबिज व्यक्ति को सीरदारी अधिकार दिया जायगा।

(4) कब्जे की जितनी भूमि पर काबिज व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त किया जायगा उस पर मालगुजारी मौरूसी दर के दुगुने के बराबर निर्धारित होगी।

(5) कब्जे का नियमन उपरोक्त शर्तों पर पट्टा देकर किया जायगा।

(6) पट्टा देने की कार्यवाही भूमि प्रबन्धक समितियों के बजाय इसी कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा की जायगी।

वन विभाग के अधीन जिस भूमि पर कब्जे किये गये हैं उसे भी उपरोक्त योजना के अनुसार नियमित करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

*18—श्री मनफूल सिंह—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में वर्षा से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सहायता

*19—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के क्षेत्र महमूदाबाद के किसानों को इस वर्ष भीषण वर्षा में जो हानि हुई है उससे प्रभावित व्यक्तियों को सरकार ने अब तक कौन-कौन सी सहायतायें दी हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में असामयिक वर्षा के कारण किसानों से भू-राजस्व, नहर, तकावी, तथा अन्य कृषि सम्बन्धी देयों की वसूली 15 अक्तूबर, 1971 तक स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा अहेतुक सहायता गृह निर्माण अनुदान एवं आपदा तकावी भी प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया ।

*20—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

गोंडा जिले में वर्षा से गेहूं को हुई क्षति के संबंध में सहायता

*21—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को गोंडा जिला के अधिकारियों द्वारा इस वर्ष अकस्मात वर्षा के कारण हुई गेहूं की क्षति के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और क्या उसे आधार मानकर सरकार गोंडा जिले को कुछ सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। क्षति के आधार पर मालगुजारी तथा लगान, सिंचाई, तकावी एवं अन्य कृषीय देयों की चालू व बकाया वसूली जो 1,13,15,926 रु० है 15 अक्तूबर, 1971 तक स्थगित कर दी गई। रबी की बुवाई के लिए बीज, खाद तथा तकावी की व्यवस्था भी की जायेगी ।

जिला लखनऊ की ग्राम सभा मौदा में चकबन्दी से प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण

*22—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त ग्राम सभा मौजा परगना बिजनौर, तहसील एवं जिला लखनऊ के पास कुल कितनी आबादी थी तथा कितनी बचत की भूमि चकबन्दी के तुरन्त बाद थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि में से कुछ भूमि ऐसे लोगों के नाम अलाट अथवा पट्टे पर दे दी गई है जिनके पास पहले से ही भूमि थी, और भूमिहीनों को भूमि नहीं दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा मौदा में चकबन्दी के तुरन्त बाद 23.25 एकड़ भूमि आबादी और 238 एकड़ भूमि पट्टे पर उठाने योग्य थी। उक्त पट्टे पर उठाने योग्य भूमि अभी किसी को पट्टे पर नहीं उठायी गई है तथा इसके नियमानुसार वितरण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर जिले की रूरा क्रय-विक्रय समिति में घाटा

*23—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की रूरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति में वर्ष 1967-68 की बैलेंस शीट के अनुसार 1,25,045 रु० 38 पैसे का घाटा बताया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कानपुर जिले को रूरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० में वर्ष 1967-68 की बैलेन्स शीट के अनुसार रु० 1,25,045.38 पै० की क्रमिक हानि दिखाई गई है, जिसमें से रु० 8,042.34 पै० वर्ष 1965-66, रु० 62,436.10 पै० वर्ष 1966-67 तथा शेष रु० 54,566.94 पै० वर्ष 1967-68 में हुई हानि का है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा तत्कालीन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई।

*24—श्री महरम सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

अनूपशहर के तहसीलदार एवं परगनाधिकारी का स्थानान्तरण

*25—के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार अनूपशहर व हाकिम इलाका अनूपशहर का स्थानान्तरण जो गत माह जून में हो गया था उसे रोक दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, तहसीलदार अनूपशहर का स्थानान्तरण नहीं रोका गया और उन्होंने 8 जुलाई, 1971 को कार्यभार भी छोड़ दिया है। परगनाधिकारी अनूपशहर का स्थानान्तरण जनहित में रोक दिया गया था।

*26—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*27—श्री कृष्णानन्द राय, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री विश्राम दास—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला उन्नाव के ग्राम नकौली में ग्राम समाज व चकबन्दी से प्राप्त भूमि का वितरण

*28—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नकौली परगना औरास, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में कितनी भूमि ग्राम समाज की तथा चकबन्दी से निकली हुई भूमिहीनों में बांटने के योग्य है उसके बांटने की कायवाही ग्राम समाज या तहसील द्वारा कब की गई और अब तक वह जमीन भूमिहीनों में बांट दी गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत नकोली नाम का कोई ग्राम नहीं है। अतः वहां भूमि वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

*29—श्री सजीवन लाल—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*30—श्री श्याम लाल कनौजिया तथा श्री बनारसी राम—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करने के विरुद्ध जिला मथुरा के श्री राम चन्द्र का आमरण अनशन

*31—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध श्री राम चन्द्र पुत्र सोहन लाल, प्रधान ग्राम बरहाना, तहसील छाता, जिला मथुरा की शिकायतों के प्रति पुलिस व माल विभाग के स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों की उदासीनता से क्षुब्ध होकर उपर्युक्त प्रधान के हाकिम तहसील छाता के सम्मुख आमरण अनशन करने की सूचना सरकार को प्रश्न कर्त्ता के पत्र के साथ 16 जुलाई, 1971 को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, प्राप्त हुई थी। आरोपों की जांच कराई गई, किन्तु वे निराधार पाये गये।

*32-33—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

राजस्व परिषद् के अनिर्णीत मुकदमें एवं अतिरिक्त आयुक्तों में से परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ने की मांग

*34—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 15 जुलाई, 1971 तक राजस्व परिषद् के सम्मुख कुल कितने माल के मुकदमे अनिर्णीत विचाराधीन थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

15 जुलाई, 1971 तक राजस्व परिषद् के सम्मुख 20,024 माल के मुकदमे अनिर्णीत विचाराधीन थे।

*35—श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवा राम—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माल के मुकदमों की भारी संख्या को देखते हुये अतिरिक्त आयुक्तों में स अनुभव योग्यता के आधार पर राजस्व परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाने पर क्या विचार करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुकदमों की संख्या को देखते हुये न्यायिक सदस्यों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने पर शासन द्वारा विचार होता रहता है और यथा सम्भव आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त न्यायिक सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। इस समय 8 न्यायिक सदस्यों की संख्या स्वीकृत है। न्यायिक सदस्यों के पद आई० ए० एस० के सुपर टाईम वेतन-मान (2500-125-2750) में सम्मिलित हैं जबकि अतिरिक्त आयुक्तों के पदों पर तीन स्रोतों से नियुक्ति की जाती है—एक आई० ए० एस० के सीनियर टाईम स्केल (900-1800) में, दूसरे पी० सी० एस० के सीनियर टाईम स्केल (600-1250) में और तीसरे ए० डी० एम० जुडीशियल में से 600-1250 रुपये के स्केल में। अतः अतिरिक्त आयुक्तों में से न्यायिक सदस्यों के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती।

*36–37—श्री रणंजय सिंह—

[9वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न संख्या 138–139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*38–39—श्री जय नारायण सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*40—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*41—[श्रीमती मानवती देवी (जिला फैजाबाद)]—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नौगढ़ जिला बस्ती के चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण

*42—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी आफिसर, नौगढ़, जिला बस्ती की जनता की शिकायत पर तबादला आजमगढ़ के लिये हो गया था, फिर किन्हीं कारणों से रोक दिया गया है ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला बस्ती के नौगढ़ क्षेत्र के एक चकबन्दी अधिकारी श्री हीरालाल सिंह का स्थानान्तरण जनता की शिकायत पर आजमगढ़ के लिये किया गया था जो स्थगित अथवा निरस्त नहीं किया गया। एक अन्य चकबन्दी अधिकारी श्री मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी का भी स्थानान्तरण नौगढ़ क्षेत्र से आजमगढ़ के लिये किया गया था जो बाद में निरस्त कर दिया गया। परन्तु यह स्थानान्तरण जनता की शिकायत पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

*43—श्री कल्याण सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

परगनाधिकारी, सलेमपुर के इजलास में अनिर्णीत मुकदमें

*44—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि परगनाधीश सलेमपुर के इजलास में कितने मुकदमे दाखिल-खारिज के एक वर्ष से अधिक से दाखिल हुये हैं और उसका फैसला अब तक नहीं हुआ है और फैसला न होने का कारण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

परगनाधिकारी, सलेमपुर के न्यायालय में 31–7–71 को एक वर्ष से अधिक पुराने अनिस्तारित दाखिल-खारिज के मुकदमों की संख्या 34 थी। परगनाधिकारी का कहना है कि जनगणना, निर्वाचन संबंधी कार्य और अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने से इतने मुकदमों का निस्तारण नहीं हो सका है। जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह इस की जांच कर लें और इन मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के लिये परगनाधिकारी को आदेश दे दें।

*45—श्री राम गोपाल सण्ड—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला नैनीताल में पी० सी० एफ० हल्द्वानी का आडिट

*46—श्री इन्द्र लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में पी० सी० एफ०, हल्द्वानी की गत वर्ष आडिटरों द्वारा जो जांच हो रही थी बीच में ही रोक दी गई? यदि हां, तो क्यों और अब तक पकड़े गये गबन के मामले में शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

पी० सी० एफ० हल्द्वानी का वर्ष 1967–68, 1968–69 व 1969–70 का सम्प्रेक्षण माह जून 70 में आरम्भ किया गया था किन्तु माह जुलाई 1970 में स्थगित कर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था जिला सहकारी बैंक के आडिट को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से की गई थी। अप्रैल, 1971 में सम्प्रेक्षण कार्य पुनः आरम्भ करके माह जून 1971 में समाप्त किया गया। सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र में दुरुपयोग एवं अपहरण की गई धनराशि मुबलिग रु० 2,43,074.72 आंकी गई है जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम सोनपिपरी बुजुर्ग और सोनपिपरी खुर्द में हरिजनों के लिए सुरक्षित भूमि

*47—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा के ग्राम सोनपिपरी बुजुर्ग और सोनपिपरी खुर्द में हरिजन वर्ग की आबादी के लिये सुरक्षित भूमि पर अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है? यदि है, तो इन अवैध कब्जों को हटाकर हरिजनों को हक देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद गोरखपुर की तहसील फरेन्दा के ग्राम सोनपिपरी बुजुर्ग में हरिजन आबादी के लिए कोई भूमि सुरक्षित नहीं की गई, अतः इस पर अनधिकार कब्जा का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम सोनपिपरी खुर्द में केवल 0.06 डि० भूमि हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित रखी गई थी, जो अब भी सुरक्षित है।

तहसील फरेंदा के क्षेत्र नौतनवां तथा पिपरा में सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि का वितरण

*48—श्री राम लगन दुबे—

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा के कानूनगो सर्किल नौतनवां और पीपरा लक्ष्मीपुर के अनेक गांवों में उपलब्ध सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि का वितरण गांव में पुश्त से आबाद हरिजन एवं निर्बल वर्ग के पक्ष में आज तक नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत व्यवस्था और कब्जों को समाप्त कर गांव में आबाद भूमि हीनों को भूमि दिलाने की व्यवस्था कर सकेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कानूनगो क्षेत्र नौतनवां के 34 गांवों में 444.04 एकड़ सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि तथा 263.88 एकड़ गांव सभा में निहित भूमि उपलब्ध थी। यह दोनों प्रकार की भूमि भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है और पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है।

इसी प्रकार सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र पिपरा में सीलिंग की 255.31 एकड़ भूमि तथा गांव सभा की 224.36 एकड़ भूमि पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध थी। इस भूमि को भूमिहीनों में वितरित करके पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है।

मुरादाबाद में परिगणित छात्रों के लिये छात्रावास बनाने की प्रार्थना

*49—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या हरिजन जन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में परिगणित जातीय छात्र इस वर्ष शिक्षा पा रहे हैं और उनके रहने के लिये छात्रावास बनाने की कृपा करेंगी ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जिला मुरादाबाद में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये राजकीय अनुदान से 5 छात्रावास चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 3 विद्यालय भी हरिजन छात्रावास चला रहे हैं जिनके भवन निर्माण हेतु शासकीय अनुदान दिया गया था।

शासन द्वारा कोई नया छात्रावास स्थापित किये जाने की योजना नहीं है।

इलाहाबाद जिला कचहरी में कर्मचारियों की छटनी

*50—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिला कचहरी के अन्तर्गत कार्य करने वाले कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी जून तथा जुलाई, 1971 में छटनी कर दी गई तथा क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई भी नहीं।

जौनपुर जनपद के सहकारी बैंक में गबन

*51—श्री उमा नाथ सिंह तथा श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के सहकारी बैंक में लाखों रुपये का गबन हुआ और उसकी रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा पुलिस में की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी बैंक लि० जौनपुर की शाहगंज शाखा में दस हजार (10,000) रुपये के गबन की सूचना है। बैंक के संचालक मण्डल की प्रार्थना पर इसकी जांच गुप्तचर विभाग वाराणसी ने की और 31-7-69 को अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) जौनपुर के न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई प्रारम्भ हो गई है।

कानपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में कटरी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*52—श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में डोमनपुर, प्यारेपुर, राधन, बाल्हीपुर सुनौढ़ा तथा वाजीतपुर ग्रामों में स्थित कटरी की भूमि पर लोगों का अनाधिकार कब्जा है ? यदि हां, तो किन का तथा कितने समय से ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम डोमनपुर की अनधिकार कब्जे की भूमि सम्बन्धी सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है। अन्य उल्लिखित ग्रामों की भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा इस समय नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 883 पर।)

उत्तरकाशी जिले के मावली ग्राम खाले को बाढ़ से हुई क्षति ग्रस्त परिवारों को सहायता

*53—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार को विदित है कि इसी जुलाई, 1971 में उत्तरकाशी जिले का मावली ग्राम खाले में बाढ़ आ जाने से बह गया है ? यदि हां, तो इस दुर्घटना से क्या-क्या क्षतियां हुई हैं और कितने परिवार प्रभावित हुये हैं ? तथा सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पूरा गांव नहीं बह गया है, परन्तु यह सही है कि अतिवृष्टि के कारण नालों में बाढ़ तथा पहाड़ों से बह कर आये मलवे से उक्त ग्राम को बहुत अधिक क्षति पहुंची। कुल 600 व्यक्ति प्रभावित हुए। एक मकान तीन गौशालायें तथा एक कर्मशाला बह गये। 56.55 एकड़ कृषि भूमि बरबाद हुई है। तथा आठ पशु मरे। गांव वालों को कुल हानि लगभग 96,000 रुपये की हुई है। इसके अतिरिक्त पेयजल योजना की 7,500 रुपये की तथा नहर विभाग की भी इतनी ही हानि हुई है। ग्रामवासियों की सहायता के लिये अब तक 2,800 रुपय अहेतुक सहायता के रूप में बांटा जा चुका है, तथा 45,000 रुपये गृह निर्माण अनुदान के लिये स्वीकृत किया गया है। गांव को सुरक्षित स्थान पर बसाने तथा भूमि संरक्षण तकावी वितरित करने का भी प्रबन्ध किया जा रहा ग्रामवासियों को आपदा तकावी भी दी जा सकती है परन्तु वे इसके लिये रजामन्द नहीं हैं।

जिला देवरिया की तहसील सलेमपुर की ट्रेजरी से निकाले गये धन को वितरित न करने की शिकायत

*54—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रामधारी शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि यह सही है कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर की ट्रेजरी से 1 लाख 62 हजार रु० दिनांक 22 मार्च, 1971 को बाढ़ वर्षा से हुई क्षति में हाउस सब-सिडी, ग्रेजुट्स रिलीफ एवं विद्यार्थियों को फीस वितरण करने के संबंध में तहसीलदार सलेमपुर ने निकाला वह वितरण नहीं किया गया ? क्या इस संबंध में देवरिया के विधायक श्री हरिवंश सहाय का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। 22 मार्च, 1971 को कोई भी धनराशि सलेमपुर सबट्रेजरी से तहसीलदार द्वारा नहीं निकाली गई। फिर भी माननीय सदस्य के इसी विषय पर प्राप्त पत्र पर अलग से जांच कराई जा रही है।

*55—श्री वासुदेव सिंह वैद्य—

[निरस्त]

बहराइच जिले के फखरपुर सहकारी संघ में कथित गबन

*56—श्री बासुदेव सिंह बैद्य—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि बहराइच जिले के ब्लाक फखरपुर क्षेत्र के अन्तर्गत फखरपुर सहकारी संघ में कितने रुपयों का गबन है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कथित सहकारी संघ में कोई भी गबन नहीं है ।

सोन नदी की बाढ़ से क्षति

*57—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 19 जुलाई, 1971 की सोन नदी की बाढ़ से चौपान क्षेत्र एवं सोन नदी के निकटवर्ती किन-किन ग्रामों को क्षति पहुंची है तथा कितने मकान धराशायी हुये हैं ? तथा जिलाधिकारी मिर्जापुर एवं परगनाधिकारी राबर्ट्सगंज ने बाढ़ से विशेष पीड़ित लोगों की कोई सूची दी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

42 ग्रामों को क्षति पहुंची जिनकी सूची संलग्न है । 350 मकान क्षतिग्रस्त हुये । शासन स्तर पर बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सूची नहीं आती ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 884 पर)

*58—श्री शमीम आलम—

[7वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*59—श्रीमती मानवती देवी—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला उन्नाव की सहकारी समिति घाटमपुर कलां के स्पेशल आडिट की मांग

*60—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति घाटमपुर कलां विकास क्षेत्र बीघापुर जिला उन्नाव, के किसी सदस्य ने दिनांक 13 जुलाई, 1971 को जिला अधिकारी उन्नाव को कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उसने उक्त समिति में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए स्पेशल आडिट कराने की मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । जिला सम्प्रेक्षाधिकारी को घाटमपुर कलां साधन सहकारी समिति का स्पेशल आडिट कराने हेतु लिखा गया है ।

*61—श्री पन्नालाल गुप्त—

[11वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*62—श्री पन्ना लाल गुप्त—

[11वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*63-64—श्री हरी सिंह—

[निरस्त]

*65—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[निरस्त]

रायबरेली जनपद के ब्लाक सलोन व ऊंचाहार में वर्षा तथा बाढ़ से गिरे मकानों के लिये अनुदान

*66—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या माल मंत्री जनपद रायबरेली ब्लाक सलोन के ऊंचाहार में सितम्बर, सन् 1970 में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के फलस्वरूप शासन द्वारा दिये गये गिरे हुए मकानों के लिये अनुदान की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बांछित सूची विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं जिसका अवलोकन माननीय सदस्य महोदय वहीं पर कर सकते हैं।

*67—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या माल मंत्री के पास ऐसी भी सूची जनपद रायबरेली के ब्लाक सलोन व ऊंचाहार की है जिसमें सितम्बर, 1970 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ से गिरे हुये जिन लोगों के मकानों के लिये अनुदान नहीं दिया गया उनकी सूची क्या है और क्या सरकार उन गिरे मकानों को भविष्य में अनुदान देने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उन सभी लोगों को, जिनके मकान गिरे थे गृह निर्माण सहायता दे दी गई थी परन्तु जिनके मकान का केवल एक चौथाई हिस्सा या उससे कम क्षतिग्रस्त हुआ था उन्हें केवल अहेतुक सहायता 25 रुपये तक दी गई थी। ऐसे व्यक्तियों का नाम विधान सभा पुस्तकालय में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रख दी गई सूची में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई सहायता देने का विचार नहीं है।

*68—श्री उमाशंकर शुक्ल—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

ग्राम उमरी बेगमगंज, जिला गोंडा में श्री राम पाल सिंह द्वारा चकबन्दी में की गई अनियमितताओं के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, गोंडा की जांच रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही

*69—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरी बेगमगंज, परगना डिकसिर, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में सन् 1962-63 में की गई चकबन्दी में उक्त ग्राम निवासी श्री राम पाल सिंह द्वारा चकबन्दी से संबंधित की गई धांधलियों तथा अनियमितताओं के संबंध में एस० ओ० सी०, गोंडा द्वारा की गई जांच दिनांक 26 मई, 1970 तथा उनके चार सुझावों पर जिलाधिकारी, गोंडा के आदेश दिनांक 10 जून, 1970 पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, गोंडा के द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 26 मई, 1970 तथा उनके चार सुझावों पर जिलाधिकरी, गोंडा के आदेश दिनांक 10 जून, 1970 पर एस० डी०ओ० तरबगंज को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु इसी बीच विपक्ष द्वारा एस० डी० ओ० के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त अवशेष कार्यवाही की जायेगी।

बुलन्दशहर जिले के ग्राम रतनपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*70—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत रतनपुर, परगना डिवाई, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में ग्राम समाज की भूमि पर कितने व्यक्तियों ने अनधिकार कब्जे कर रखे हैं ? तथा कितनों पर कब-कब तहसीलदार की अदालत में हर्जाने व बेदखल हुए हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत क्षेत्र की गांव सभा भूमि पर वर्ष 1969–70 में 10 व्यक्तियों ने तथा 1970–71 में 5 व्यक्तियों का अनधिकार कब्जा पाया गया। इन अनधिकार कब्जा करने वाले 15 व्यक्तियों में से तहसीलदार अनूपशहर की अदालत द्वारा 12 व्यक्तियों को बेदखली तथा क्षति पूर्ति हेतु धनराशि अदा करने के आदेश विभिन्न तिथियों में दिये गये जिनका विवरण यह है :—

वादों की संख्या जिनमें आदेश हुये					आदेश की तिथि
1	..	..	..	..	24–7–70
4	..	..	..	..	26–8–70
3	..	..	..	..	4–9–70
1	..	..	..	..	29–9–70
3	..	..	..	..	16–8–71

एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दो के विरुद्ध मामले विचाराधीन हैं।

*71—श्री नेतराम सिंह—

क्या यह सही है कि बेदखल होने के बावजूद भी अनधिकार कब्जा करने वाले ग्राम समाज को भूमि को नहीं छोड़त और न जुर्माना ही अदा करते है, यदि ऐसा है तो क्यों ? क्या सरकार जुर्माना वसूल करने में सख्त कदम उठायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। कभी-कभी बेदखल होने के बावजूद भी अनधिकार कब्जा करने वाले भूमि का कब्जा नहीं छोड़त क्षतिपूर्ति की धनराशि नहीं अदा करते। क्षतिपूर्ति की क्षनराशि वसूल करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायें जाने के नियम हैं। जहां तक उपरोक्त वादों का प्रश्न है 12 व्यक्तियों में से ७ व्यक्तियों न अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिय हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत बची भूमि का भूमिहीनों में वितरण

*72—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सीलिंग ऐक्ट के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप कितनी भूमि बचत में पाई गई तथा उसका पट्टा किन-किन भूमिहीनों को दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कुल 1322.68 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। इसमें से 954.55 एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की गई थी। इस वितरित की गई भूमि में से 437.41 एकड़ भूमि के 305 पट्टे उन भूमिहीनों को दिये गये हैं जो या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति थे, तथा 517.14 एकड़ भूमि के 342 पट्टे उन भूमिहीन कृषक मजदूरों को दिये गये थे जिनके पास 3 1/8 एकड़ से कम भूमि थी।

सहकारिता विभाग के शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनाधिकरण की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*73—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या सरकार बतायेगी कि यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग के निबन्धक सहकारी समितियों के अन्तर्गत किसी शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के गम्भीर आरोपों के विरुद्ध सतर्कता आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सन् १९६६ या १९६७ में कोई केस उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दिया था और ट्रिब्यूनल कोर्ट की सिफारिशों के आधार पर उस अधिकारी को नौकरी से पृथक करना था और सरकार ने उसे नोटिस भी दिया था किन्तु वह अधिकारी अभी उसी पद पर कार्यरत है जिससे यह अनुमान किया जाता है कि सरकार ने उस सिफारिश को व्यर्थ मान लिया है ? यदि नहीं, तो उसे नौकरी से अब तक पृथक क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, सहकारिता विभाग के शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1967 में जांच की गई थी और उनका मामला प्रशासनाधिकरण के सिपुर्द किया गया था। प्रशासनाधिकरण ने सितम्बर, 1970 में अपनी रिपोट शासन को प्रेषित की, जिसक आधार पर उक्त अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दी गई। उक्त अधिकारी ने अब 325 पृष्ठों में अपना स्पष्टीकरण दिया है, जो शासन के विचाराधीन है।

*74—श्री सूबेदार प्रसाद—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*75—त्रिवेणी सहाय तथा श्री राम बचन यादव—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*76—श्री पारसनाथ सिंह—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*77—श्री हबीबुर्रहमान—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

टाउन एरिया टिकैत नगर जिला बाराबंकी में हरिजनों के पानी पीने की व्यवस्था हेतु अनुदान की प्रार्थना

*78—श्री गिरजा शंकर तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया टिकैत नगर जिला बाराबंकी में हरिजनों के पानी पीने की व्यवस्था हेतु सरकार से अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र अनुदान प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र सचिवालय के हरिजन सहायक विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। सूचना एकत्रित की जा रही है।

*79—श्री मनोहर लाल—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल वन-खंड के ग्राम चापड़ में चीड़ के वृक्षों से लीसा

1—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मन्त्री बतावेंगे कि नैनीताल वन-खंड के अन्तर्गत रेंज नथुवाखान में ग्राम चापड़ की नाप भूमि में चीड़ के खड़े वृक्षों का लीसा कितने वर्षों से वन विभाग निकाल रहा है और इसकी कितनी धनराशि ग्रामवासियों को दी गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

नैनीताल वन खण्ड के अन्तर्गत रेन्ज नथुआखान में ग्राम चापड़ की नाप भूमि में चीड़ के खड़े वृक्षों का लीसा वन विभाग द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। अतः इसकी कोई धनराशि ग्रामवासियों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का लागू होना

2—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वे अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम को कब से लागू कर रहे ह ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 निम्नांकित क्षेत्रों को छोड़ कर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों में ३ जनवरी, 1961 से लागू है:—

(1) नागर क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का प्रसार है।

(2) उत्तराखंड मंडल और कुमायूं मंडल, सिवाय काशीपुर परगने और तराई भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है,

(3) देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर।

उपरोक्त छूटे हुये क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 2 के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिनियम का प्रसार कर सकती है। उक्त अधिनियम में संशोधन का विषय शासन के विचाराधीन है। यह उचित समझा गया है कि उपरोक्त छूटे हुये क्षेत्रों में अधिनियम का प्रसार संशोधन हो जाने के बाद किया जाय। यह विषय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

ग्राम बानेमऊ (तालाब), जिला प्रतापगढ़ में खसरा-खतौनी में त्रुटियां

3—श्री जयराम यादव—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम बानेमऊ (तालाब) परगना, बिहार तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ की खसरा तथा खतौनी इन्दराज ग्राम के नक्शा तथा काश्तकारों के वास्तविक कब्जा के बिल्कुल भिन्न है ? यदि हां, तो यह गल्ती दुरुस्त कराने में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4-5—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

16 सितम्बर को लखनऊ की बाढ़ के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में श्री चरण सिंह द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जो बाढ़ आयी उसके ऊपर कल 5 बजे से 6 बजे तक चर्चा हुई। बदकिस्मती से उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। लखनऊ शहर के किस मोहल्ले में, किस कालोनी में सहायता लोगों को हुई, अगर्चे मैं दो रोज तक इस बाढ़ में जो लोग पीड़ित थे उनको सान्त्वना देने के लिए अपने साथियों के साथ गया लेकिन पूरी तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं थी और मुझको कोई सहूलियत भी नहीं थी कि मैं सब जगह जा सकता। बहरहाल मैं मौजूद नहीं था, पर बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारा दोष सन् 67 की संविद् सरकार पर डालने की कोशिश की है, क्योंकि संविद की सरकार जो सन् 67 में थी उसकी कुछ जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी इसलिए मुझे कुछ कहना आवश्यक मालूम पड़ता है, पहली बात तो यह है कि उस समय के वित्त मंत्री श्री रामस्वरूप वर्मा थे, उन पर कोई इल्जाम था। उन्होंने आपको कोई पत्र लिखा, अव्वल तो आप उसको पढ़ कर सुना दें और दूसरी बात यह है कि मेरे मुताल्लिक भी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और सार ईश्यू पैदा करने की कोशिश की और अखबारों में भी उसको हाई लाइट किया बहुतों ने कि अगर बाढ़ आयी है तो वह. . . .

श्री अध्यक्ष—

जरा थोड़ी सी बात कह दूं। इस पीरियड में एक तो संविद की सरकार रही और दूसरे श्रीमती सुचेता कृपालानी का टाइम था। और 1963-64 के बाद तो खाली आपकी ही जिम्मेदारी नहीं बताई, उन्होंने कहा कि सन् 63 से लेकर इस मद में कम रकम दी गयी। यह उन्होंने एक्सप्लेन किया। 210 लाख खर्च करने को था और 150 लाख की मंजूरी उनको दी और फिर कम ही होती गयी। स्थिति यह है, अब आप और क्या कहना चाहते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह पत्र जो उन्होंने लिखा उसका जो सार है आप बता दीजिये, मैं आपको इजाजत दिये देता हू ।

श्री चरण सिंह—

उसकी कापी मेरे पास है। छोटा-सा पत्र है, उससे सारी चीजें साफ हो जायेंगी। आप को पत्र लिखा है इस प्रकार है—

"मान्यवर,

आज नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, स्वतंत्र भारत आदि समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ कर खेद हुआ कि लखनऊ की वर्तमान बाढ़ एवं बरबादी का कारण सन १९६७ के वित्त मंत्री यानी मैं हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने जिस फाइल से कुछ अंश सदन के सामने रखें यदि उस नोट को पूरा पढ़ देते तो स्थिति साफ हो जाती। मैं अब भी यह जानता हूं कि लखनऊ की बाढ़ वर्षा के आधिक्य से नहीं वरन् मानवकृत है। लखनऊ में भैसाकुंड के पास जो वियरवाल है और जो बरसात के बाद नदी का जलस्तर गिरने से गऊघाट पम्पिंग स्टेशन को पानी न मिलने के कारण बनाई गई थी उससे नदी का तल बराबर ऊंचा होता जा रहा है। मेरे अनुमान से गोमती का नदी तल 6 फिट से अधिक ऊंचा अब तक हो चुका है। हो सकता है इससे ज्यादा हो गया हो। मैंने उक्त फाइल में यह लिखा था कि यदि वियरवाल तोड़ कर उसके स्थान पर बैराज बना दिया जाय जिसमें बरसात के समय फाटक खोल कर बालू बहाई जाये तो नदी का तलस्तर पुराना रहेगा जिसके कारण गहराई में नदी होने के कारण बाढ़ नहीं आएगी। सैकड़ों वर्षों के पुलों से पानी अब तक कैसे पार होता रहा, अब कौन सा कारण हुआ कि जल स्तर ऊंचा हो गया। वर्षा का सिंचाई रिकार्ड देखने से ज्ञात होता है कि जितनी वर्षा अब हुई है उतनी पहले भी 50 वर्षों के अन्दर हुई है, लेकिन बाढ़ व विनाश तो सन् 60 से ही गोमती में शुरू हुआ।

मेरी अब भी यही राय है कि नदी का तल ऊंचा करने और तटबन्ध बनाने से लखनऊ तो ऊंचा नहीं होगा फलतः आगामी 1980 या 81 में गोमती में फिर बाढ़ आयेगी और वह इससे अधिक विनाशकारी होगी। अस्तु, आपसे मेरा यह अनुरोध है कि सदन से बाहर का व्यक्ति होने के नाते आप ही मेरे संबंध में सदन में सचाई रखवा सकते हैं। इसलिए आप माननीय मुख्य मंत्री को उक्त फाइल का पूरा नोट मंगा कर सदन के समक्ष पढ़ने का कष्ट करें। कष्ट के लिए धन्यवाद। आपका—रामस्वरूप वर्मा।"

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं पहली बात कि यह कहां तक उचित है, मैं नहीं जानता, बहुत वसूक के साथ यकीन के साथ नहीं कह सकता कि फाइलों में जो इस तरीके के नोट हैं उनको मंत्री यहां पढ़ कर सुना देते हैं। आफिशियल सिक्रेसी की हम ओथ लेते हैं। बद-किस्मती से मेरा भी एक दफा खत उन्होंने पढ़ कर सुना था और मुझको अखबार में बयान देना पड़ा और मेरे पास गवर्नमेंट एडवोकेट ऋषिराम जी का लेटर भी आया, मैं कुछ करना नहीं चाहता था। तो यह बात कल हुई। इस बात को ढूंढ़ने की कोशिश की गयी कि किस तरह से दूसरों पर जिम्मेदारी डाली जा सके। मैं नहीं कहता कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है लेकिन सन् 67 में शायद कोई लफ्ज मिल जाय, कोई बात मिल जाय यह आपकी कोशिश थी।

खैर, आपको नोट नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर नोट पढ़ने का हक हासिल था तो ईमान-दारी का तकाजा था कि पूरा नोट पढ़ते तो पूरी तस्वीर आती—पहली शिकायत तो यह है।

दूसरी बात यह कि सन् 67 में यह गलती हमने की और गलती की या नहीं की सब को मालूम है कि मेरा कोई नोट था, वह कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझको पता नहीं है लेकिन अपने दोस्तों से यह सुना है कि मने यह लिखा है कि जो कृषि भूमि है, उसको बचाने के लिय

[श्री चरण सिंह]

रुपये की कहीं अधिक आवश्यकता है फ्लड कंट्रोल को, न कि शहर को बचाने की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी राय है कि शहरों को बचाया जाय हतुलइमकान, लेकिन शहर इस तरह के एम्बकमट्स बांधने से बच नहीं सकते हैं जो रीजंस है जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे तो बांध बांधने से कभी फ्लड नहीं रुकी। हमारा चाहे पहल यही ख्याल था, वह जाता रहा। सब कमेटियों की रिपोर्ट है कि बांध बांधने से फ्लड नहीं जायगी। कृषि भूमि की बाबत जो मैंने लिखा···

लखनऊ शहर में जितना नुकसान हुआ है, लखनऊ जिले के गांवों में बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ होगा, मेरे पास इसकी जानकारी है। जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया में जो नुकसान हुआ है उसका कोई अनुमान नहीं है। मथुरा में फ्लड से ज्यादा वाटर लागिंग का सवाल है। गोवरधन का जो बांध है वहां पर इंजीनियरों ने गलत नाला बना दिया है जिससे प्रति वर्ष लाखों एकड़ जमीन बरबाद होती है। हरियाना और राजस्थान से हमारे यहां पानी आता है। यह गवर्नमेंट सीट है, यहां पर लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये कि तकलीफ कम होनी चाहिये। लकिन गवर्नमेंट का सारा ध्यान इधर की तरफ केंद्रित हो जाता है। गांवों की सारी जमीन खराब हो जाती है लेकिन उधर खर्चा नहीं हो सकता है। अगर रुपये की कमी है, लिमिटेड फंड्स हैं तो क्या सारा रुपया शहरों में ही लगा दिया जायेगा। मेरी शहरों के प्रति हमदर्दी है लेकिन सवाल कम्परेटिव इम्पार्टेन्स का होता है। हम लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन गांवों में 87 प्रतिशत हमारी जनता रहती है जो बेजुबान है, उसकी सही तर्जमानी नहीं हो पाती है।

मान्यवर, 1967 में हमने नहीं दिया लेकिन 68 में क्या हुआ और 69 तथा 1970 में क्या हुआ ? जब आपके 14 मिनिस्टर्स थे और मेरे केवल 9 मिनिस्टर्स ही थे। इस साल माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ के लिये कितना रुपया रखा गया है। हमने नहीं दिया या कम दिया और दस साल से काम नहीं हो पाया तो उसके लिये माननीया सुचेता जी, मैं और माननीय रामस्वरूप जी जिम्मेदार हैं, यह उनकी ज्यादती है मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (मुख्य मंत्री)—

मान्यवर, मुझे खेद यह है कि माननीय चौधरी साहब कल जब लखनऊ की बाढ़ के संबंध में बहस हुई तो यहां उपस्थित नहीं थे। अगर वे उपस्थित रहे होते तो उनको वह शिकायत न होती जो वह कह रहे हैं। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि मैंने शुरू में ही यह कहा था, माननीय गुप्ता जी ने इस प्रश्न को उठाया था और सीधे-सीधे मुझ से पूछा कि 1960 में जो स्कीम बनी वह कार्यान्वित क्यों नहीं हुई ? इसका जवाब दिया जाय। यह भी उन्होंने कहा कि जो काम पूरा नहीं हुआ, इस काम को पूरा न करने का क्या कारण था। मैं जवाब देने के लिये जब उठा तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो बाढ़ आई है उसका कारण अतिवृष्टि है। अगर सारा काम पूरा हो गया होता तब भी बाढ़ आती। मैं यह नहीं मानता कि यह मैन मेड है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं जब सरकार में बैठता हूं तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर भी जिन बातों को उन्होंने पूछा मैंने उनको एवोइड किया। मैं इसीलिये उन बातों को टालना चाहता था। लेकिन हमारे भाई वीरेंद्र वर्मा जी ने प्रश्न किया कि 57, 58 तथा 1960 की स्कीम क्यों नहीं कार्यान्वित हुई ?

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि फ्लड कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी रिकमन्डेशन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने इस चीज को टाला । लेकिन माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने पूछा, माननीय त्रिपाठी जी ने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ और जो स्कीम बनी हुई थी, और डाक्टर राव साहब के वक्तव्य का भी जिक्र किया गया । लेकिन इन सारे प्रश्नों को मैं टालता गया इसीलिये कल जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि इसलिये मैंने इसको टाला कि अकारण ही कटुता फैलती और ऐसा लगता कि किसी और पर जिम्मेदारी डाली जा रही है और मैं समझता हूं कि जो सरकार बनती है वह जिम्मेदार रहती है और मैं ही उसके लिये जिम्मेदार हूं ।

मान्यवर, मुझसे पूछा गया लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न किसी पर आक्षेप किया, किसी को जिम्मेदार मैंने नहीं ठहराया । मैंने स्वयं इस बात को मंजूर किया था कि 2–3 चीजों का हो जाना बहुत जरूरी था और यह कहा था कि अगर ये दो तीन चीजें हो गयी होती तो बाढ़ तो आती लेकिन इतना नुकसान न होता । मैंने केवल फक्ट्स को पढ़ कर सुना दिया था । प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखा जा सकता है । न तो मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, न किसी सरकार का लिया और न किसी दल का नाम लिया, न किसी को दोषी ठहराया और न मुझे इतना स्मरण था कि उन सालों में कौन-कौन सरकारें रहीं– सुचेता जी की सरकार थी या चरण सिंह जी की सरकार थी या और कोई सरकार रही, मैंने तो खाली फैक्ट्स को पढ़ कर सुना दिया । नोट के बारे में कहा गया । आपको स्मरण होगा कि मैंने उससे पूर्व यह कहा था कि नोट को पढ़ने में 'ओथ आफ सीक्रेसी' की कोई बात तो न आयेगी । जब आपने कहा कि उसको पढ़ दीजिये, तब मने उसको पढ़ा था । किसी न पूछा भी कि कौन मंत्री था, मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आपने यह कहा था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जरा भी किसी के ऊपर आक्षेप करने की बात न मेरे मन में उस दिन थी और न आज है, मैंने तो कवल तथ्यों को सामने रख दिया था । बराबर दो दिन से मुझसे पूछा जाता रहा और मैं बराबर बचाता रहा । यहां तक कहा गया कि किसी कमीशन की स्थापना की जाय, इंक्वायरी करायी जाय । मैं उन सब चीजों को बचाता रहा क्योंकि मैं सोचता था कि हमें आग बढ़ना चाहिये और देखना चाहिये कि हमें क्या करना है । लकिन जब हाउस मांग करता है, तब उन बातों को सामन रखना पड़ा । फिर भी मैंने न किसी व्यक्ति का नाम लिया और न किसी दल का नाम लिया लेकिन अखबारों ने जिस ढंग से चाहा उसको छाप दिया । किसी के ऊपर आक्षेप करने की बात न मेरे मन में कल थी और न आज है । क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी कमियां रह गयीं वह किसी ने जानबूझ कर की नहीं और यह भी मानता हूं कि उन कमियों को पूरा करने में पैसा लगेगा । सनवाल कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ कर सुनाया । जो खर्चे का अनुमान पहले 220 लाख का था वह बाद को 638 लाख हो गया । फिर उसको दो हिस्वों में बांटा गया और पहला हिस्सा जो था उसके लिये भी पूरा पैसा नहीं मिला । जैसे जैसे पैसा मिलता गया, वह मैंने पढ़ कर सुना दिया । जो फैक्ट्स मुझसे मांगे गये थे उनको मैंने पढ़ कर सुना दिया। अब अगर चौधरी साहब के मन को यह लगा कि उसके द्वारा मैंने कोई आक्षेप किया या उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयत्न किया तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि वह बात है नहीं, ऐसा मेरा इरादा न था और न है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आपने जो नोट पढ़ा वर्मा जी का वह पूरा था या थोड़ा पढ़ा ? शायद पहला भाग कुछ पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा । उनकी ऐसी शिकायत है कि पूरा नोट नहीं पढ़ा । चौधरी साहब ने जो नोट पढ़ा क्या वही नोट था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने फाइल में यही नोट देखा था । पी०डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब को स्मरण है कि वह नोट पूरा था लेकिन आज फिर मैं फाइल को देख लूंगा ।

इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यदि लखनऊ में 10 करोड़ का नुक्सान हुआ है तो देहात में 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में न जाने कितने सौ गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर कुल नुकसान को 400 करोड़ का ले लिया जाय और उसमें से 8–10 करोड़ नुकसान शहर का हुआ तो 390 करोड़ देहात का हो ही गया और उसके लिये देहाती क्षेत्र में अधिक धन देने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कल लखनऊ का प्रश्न खास तौर से रखा गया था इसलिये वह प्रश्न उठ गया। कल गुप्ता जी ने बहस के दौरान में जिन चीजों को मांगा और उसके उत्तर में जो मेटीरियल मेरे पास था, वह मैंने रख दिया फाइल आप कहते हैं फिर से देख लो, मैं फिर से देख लूंगा। पर यह नोट उसमें है।

श्री चरण सिंह—

मैं आपकी इजाजत से केवल दो, तीन बातें कहना चाहता हूं बहुत मुख्तसर में। मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनका मुझ पर या किसी और सज्जन पर कोई आक्षेप करने का इरादा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है ।

श्री चरण सिंह—

मैं भी यही चाहता हूं । लेकिन उसका असर यह पड़ा कि मानो और लोगों के मुकाबले में केवल मैं या उस वक्त के वित्त मंत्री जिम्मेदार हैं।

अब तीन बातें जो रह गयी हैं वह मैं कहना चाहता हूं जिनका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया । पहली बात तो यह है कि माननीय त्रिपाठी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, यह बात बिल्कुल सही है । लेकिन त्रिपाठी जी बहुत होशियार आदमी हैं और जब वह यह कहते हैं कि वित्त मंत्री का सन् 67 का यह नोट है तो वह नाम लेने के बराबर है। लिहाजा एक्सप्लेनेशन में यह कहना कि किसी का नाम नहीं लिया कोई माने नहीं रखता ।

दूसरी बात, प्रश्न यह बहुत रेलेवेंट है कि अगर आपने नोट पढ़ा था चाहे वह जो कुछ रहा हो लेकिन पूरा पढ़ना चाहिये था ताकि कम्पलीट पिक्चर सदन और पब्लिक के सामने आती । ऐसा न करके, मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह अर्ज करूं कि उन्होंने गलती की ।

तीसरी बात यह है कि जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कि अबकी बार कितना रुपया रखा, क्योंकि रुपया नहीं रखा इसकी वजह से वह काम नहीं हुआ ? 10–12 साल हो गये, अगर उसमें एक साल रुपया नहीं दिया गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस वजह से बाढ़ आ गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त बजट में उसके लिये कितना रुपया रखा ? और अगर नहीं रखा तो मैं उसके लिये आपको दोषी नहीं करार देता क्योंकि इतने लीन फाइनेंसेज हैं और इतनी डिमांड है कि नहीं दे पाये । हमारी शिकायत तो यह है कि एक इस तहर का वाक्या हो गया—आपने नहीं कहा कि मानों मैं ही उसके लिये जिम्मेदार हूं । बस इसके लिये मुझे प्रोटेस्ट करना है।

(श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर)

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

क्या सारे मुख्य मंत्रियों को कठघरे में खड़ा करना है।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर गरमी नहीं आनी चाहिये यह बात जरूर है। जिन लोगों की तबियत खराब है उनको तो कम से कम गरमी नहीं आनी चाहिये।

*श्री चन्द्रभान् गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने अखबारों में बात जिस तरह से छपी उसके विषय में आपत्ति उठायी। जहां तक उनका संबंध है वह उनके लिये ठीक ही बात थी। परन्तु जो विषय मैंने कल सदन के समक्ष रखा था वह लखनऊ के एक नागरिक के नाते भी रखा था और एक ऐसे व्यक्ति के नाते भी रखा था जिसके समक्ष लखनऊ के बांध की योजना 11 वर्ष पूर्व तय हुई थी और सौभाग्य से वह ऐसा समय था जब माननीय कमलापति जी भी और माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी, दोनों मेरी कैबिनेट के सदस्य थे। कैबिनेट ने इस योजना पर विचार भी किया था, क्योंकि जैसा सदन में कल मैंने बताया था एक आध इंजीनियर ऐसे थे जो कि ऐसा विचार व्यक्त करते थे कि बांध के बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमुख इंजीनियर्स जो अपने प्रदेश के थे और जिनको हम सब मान्यता प्रदान करते थे उनका यह मत था कि बांध बनाने के द्वारा ही जो यह समस्या फ्लड के द्वारा हमारे बीच में उत्पन्न होती है उसका समाधान हो सकता है।

इसलिए सारी योजना के ऊपर विचार करके हमने पूरी योजना को स्वीकार किया था और हमारे ही कार्यकाल में वह 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 90 लाख की हो गई। जैसे-जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे-वैसे उस योजना की कीमत भी बढ़ती गई और उसका खर्चा भी बढ़ता गया। मैंने जो बात कहीं थी वह किसी व्यक्ति को सम्बन्धित करके नहीं कही थी। मेरा मतलब यह था कि उस योजना को पूरा किया जाया। लखनऊ को बचाने के लिए उस योजना को, जिसको तत्कालीन इंजीनियरों ने तैयार किया था, जिस पर बहस मुबाहसा भी हुआ था, जिस पर फ्लेड कंट्रोल बोर्ड ने पूर्ण रूप से विचार किया था, उसके प्रारूप पर विचार-विमर्श किया था, उसके पूरा करने में उनकी सरकार को चेष्टा करनी चाहिए। यह अवश्य बात मैंने कही थी। मैं उसका दोषी हूं। यदि मेरे व्यक्त करने में कोई पाप था तो मैं उस पाप को अपने ऊपर ओढ़ने के लिए उद्यत हूं। यदि उससे चौधरी साहब को या हमारे किसी अन्य साथी को चोट लगी है तो वह एक दृष्टिकोण की बात थी। मुझे इंजीनियरों ने यह बतलाया क्योंकि बराबर समय समय पर मैंने पूछा और इस बार भी मैं पूछता रहा कि यह सलूस गेट क्यों नहीं बनाये गये तो उन्होंने कहा कि साहब, वह सारा रुपया कट गया। अब जब मैं थोड़े दिनों के लिए मुख्य मन्त्री बना था तो उस समय यदि मेरे सामने ये बातें आतीं तो मैं रुपये का प्राविजन करके प्रबन्ध करता क्योंकि बान्ध बनने का कोई मतलब ही नहीं यदि सलूस गेट शहर की तरफ या उस तरफ न बनें। यह बात मैंने कल सदन के समक्ष रखी थी और मेरा मन्तव्य यही था कि उस योजना को मुख्य मंत्री जो जिनके स्वतः कार्यकाल में और चरणसिंह जी के कार्यकाल में और जिस समय मैं भी इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री था, हम सब ने मिलकर स्वीकार किया था उसको अपने कार्यकाल में वार फुटिंग पर पूरा करायें। वह किसी के ऊपर दोषारोपण करने की बात नहीं थी लकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो योजना हमने स्वीकार कर ली वह अधूरी रह जाय चूंकि फंड्स का प्राविजन नहीं कर पाये तो यह बेमानी बात हो जाती है और उसका कोई मतलब ही नहीं है। यह दृष्टिकोण बीच में प्रस्तुत करना कि देहात में रुपया लगा दिया जाय, मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र भानु गुप्त—]

सही और ठीक नहीं लगता है। मैंने कल भी कहा था कि बाढ़ें आती हैं और उनका प्रचंड प्रकोप देहातों पर होता है। करोड़ों की सम्पत्ति देहात के भाइयों की नष्ट करती है। देहात के भाई काफी तकलीफें सहते हैं। परन्तु यह लखनऊ नगर भी प्रान्त की राजधानी है और जब राजधानी के प्रश्न को सामने रखकर हम योजना बनायें तो वह योजना कार्यान्वित होनी चाहिए। इस लिए यदि किसी को दोष देने की बात है तो मैंने इस प्रश्न को यहां पर उठाया और मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया तो उसका दोष मेरे ऊपर ही है और उस दोष को मैं अपने ऊपर ओढ़ने के लिए उद्यत हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि जो यह विनाशकारी बाढ़ इस प्रदेश में इस वर्ष आई और जैसा कि माननीय गुप्त जी ने भी कहा और मुख्य मंत्री जी ने भी उसको स्वीकार किया कि 400 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व नुकसान इस प्रदेश को हुआ है तो क्या अनुपात के हिसाब से प्रदेश में जहां पर जितना नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही खर्च करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो जिले बहुत ज्यादा एफेक्टेड हैं और जिनका आधार केवल खेती पर ही है खर्च करते समय उनके नुकसान के अनुपात पर ध्यान देंगे?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, हम भी एक बात मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहते हैं। कृपया हमको भी बोलने की इजाजत दी जाय।

हम क्या किसी इलाके की नुमाइन्दगी नहीं करते? हमें आप क्यों मौका नहीं देते?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से इजाजत नहीं देता। आप बैठें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अगर आप हमारी हकतलफी करते हैं तो मैं प्रोटेस्ट के तौर पर सदन में वाक आउट करता हूं।

(माननीय सदस्य ने उनके दल के सदस्यों द्वारा रोके जाने पर भी सदन का त्याग किया।)

(हंसी-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह रोज ऐसा ही करते हैं, दो प्रश्न हो गये उनका उत्तर भी नहीं आने देते और जबरदस्ती बोलना चाहते हैं। यह तो आपस में ही झगड़ा करना है। उन के नेता बोल चुके, उपनेता बोल चुके सब को बोलने की इजाजत देते चले आयं तो बड़ा मुश्किल हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, अगर वह नाराज होकर चले गये तो शासक दल को इस चीज को बड़ी शालीनता से लेना चाहिये था, किसी को अगर एतराज था और वह चला गया तो इतना नान-सीरियस होकर इस तरह से थपेड़ा बजाते हैं यह मुनासिब नहीं है, वह दल पावर में है उसे तो उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह अनुपात की बात जो माननीय वर्मा जी ने कही वह कुछ मेरी समझ में आई नहीं कि कौन सा अनुपात लगाया जाय लेकिन इस में सन्देह नहीं है कि जहां जैसा नुकसान हुआ है उसी हिसाब से वहां अधिक से अधिक सेवा और सहायता की आवश्यकता है और वह करने की चेष्टा हम अवश्य करेंगे ।

विविध विषय

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

अध्यक्ष महोदय, हमने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है कि वाराणसी में बेहड़ा ग्राम थाना मिर्जापुर में हरिजनों के 100 परिवारों के घरों में आग लगाकर फूक दिया गया, 2 आदमी वहां जान से मारे गए हैं और 24 जख्मी हुये हैं, वह बहुत गम्भीर मामला है उस पर आप सरकार से वक्तव्य दिला दें या यहां बहस के लिये स्वीकार करें. . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह आप का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, जब वह आयेगा तब देखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मुझे तो श्रीमन्, आप ने अवसर दिया था ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ सुनाई नहीं दिया ।)

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मेरा तो इतना ही निवेदन सुन लिया जाय कि मैं कई बार दफा 51 में भी इस मामले को दे चुका हूं कि देवरिया जिले में प्रभाकर तिवारी का कत्ल हुआ है और पुलिस उस मामले में बिल्कुल अकर्मण्य रही है, आपने उस को वक्तव्य के लिये स्वीकार भी किया था लेकिन आज सदन अनिश्चित काल के लिये उठने वाला है और कोई वक्तव्य गृह मंत्री जी का नहीं आया है, एजेंडे में वह नहीं आया है, आप उस को कब दिलायेंगे? आज ही उस को दिलाने की आप व्यवस्था करें ?

श्री अध्यक्ष---

वह हमने स्वीकार कर के भेजा था, लेकिन उस पर मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इतनी जल्दी वह वक्तव्य नहीं दिया जा सकता ।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री कृष्णानन्द राय---

आप इन को बिठायें, मेरा नाम आप ने पुकारा था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इन को कैसे बिठाऊं, सिवा इसके कि 5 मिनट को सदन स्थगित कर दिया जाय और क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा औचित्य का प्रश्न है आप की और इन भाइयों की आज्ञा हो.....

(व्यवधान)

श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)-

हमारी बात सुन ली जाय पहले, हमारे मिर्जापुर में हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

(व्यवधान) (शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

सचमुच यह मिर्जापुर वाला बहुत आवश्यक है वहां पर हरिजनों को निकाल दिया गया, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, सारा गांव उजड़ गया और जानवर तक वहां से निकाल लिये गये, वह सही कह रहे हैं अगर उधर ध्यान देकर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो वहां सारे गांव में आग लग जायगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या कह रहे हैं, कोई सुनने भी तो दे.....

(घोर व्यवधान)

इस हालत में क्या हो 5 मिनट के लिये सदन उठ जाय ?

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, कल सदन के अन्दर पौड़ी गढ़वाल में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में..

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं पांच मिनट के लिये सदन स्थगित कर दूं तो अच्छा रहेगा।

श्री धर्मवीर--

आश्वासन दिया था कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को बुलाकर विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विचार करेंगे। आज भी समाचार पत्रों में आया है कि जिलाधिकारी के का लिय और ग के वहां के विद्यार्थियों द्वारा घेराव कर दिया गया है। आज एक टेलीग्राम आया है, कि वहां पर विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी शीघ्र निर्णय लें कि वे क्या चाहते हैं। क्या दो चार दस आदमियों की जानें जायेंगी तभी वे निर्णय लेंगे। आज सदन समाप्त हो रहा है। वहां पर आन्दोलन जारी है। वहां पर कई हिंसात्मक घटनाएं हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य गण किस प्रकार अपोज करें। मैं चाहता कि उस बाब को शीघ्र समाप्त करें और लाठी चार्ज की न्यायिक जांच करायें और विश्वविद्यालय शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, आज मैं सदन के अन्दर जब आ रहा था तो होमियोपैथिक विद्यार्थियों ने मेरा घेराव किया। वे अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर रहे हैं। माननीया राजेंद्र कुमारी जी 31 तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिली थीं। ये विद्यार्थी सारे प्रदेश से आये हैं। इस विषय पर मुख्य मन्त्री वक्तव्य दें। हमारा घेराव जो होता है उसको आप रोकें।

आप हमारे संरक्षक हैं। माननीय नित्यानन्द स्वामी तथा मुझे नहीं आने दिया जा रहा था। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने की चेष्टा करने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक कर के आप बोलें।

होम्योपैथिक छात्रों की मांगों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इसके पूर्व कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बोलें मैं दो तीन बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। उनको ध्यान में रखकर वे बात करें।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या मालूम व क्या कर रही हैं?

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे मालूम है। उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था कि होमियोपैथिक डायरेक्टोरेट के खोलने के कदम स्वरूप एक डिप्टी डायरेक्टर अप्वाइन्ट करेंगे। लेकिन सदन में आश्वासन देने के बाद भी एक स्पेशल आफिसर का अप्वाइन्टमेंट कर दिया। श्रीमन्, देखें कि कितना अन्याय है। लखनऊ नेशनल कालेज को डिग्री देने के आदेश प्रदान कर दिये हैं लेकिन और जितने कालेज हैं वे डिप्लोमा लेकर घूम रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जवाब नहीं देंगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।

*स्वास्थ्य मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

मैंने सदन में जो आश्वासन दिया था उन सबको पूरा कर दिया है और यही मैं सदन को बताना चाहती हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक डिप्टी डायरेक्टर रैन्क का अधिकारी जो कि होमियोपैथी के सारे काम को देखेगा उसकी नियुक्ति की जायेगी। कल मैं डिप्टी डायरेक्टर के पद का सृजन भी कर दिया है। तो केवल आश्वासन ही नहीं कार्यान्वयन भी किया गया है। वह डिप्टी डायरेक्टर होगा जो होमियोपैथी शिक्षा के सम्बन्ध में सारी बातें देखेगा। दूसरी चीज हमने यह कही थी कि जो कानपुर विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स है जिसको कि लड़के चाहते थे, 5 वर्ष का है, जिसको अभी तक बीच में रोक दिया गया था उसको इस वर्ष से फिर चालू किया जावेगा। इसके आदेश हमने दे दिये हैं। इस तरह से सदन के सामने जो दो आश्वासन दिये गये थे वह पूरे हो गये हैं। तीसरी बात यह थी कि होमियोपैथी बोर्ड भंग कर दिया जाय और रजिस्ट्रार को हटा दिया जाय। मैं उस दिन कहा था कि 31 अक्तूबर तक इस बोर्ड का समय है। 31 अक्तूबर को जब गठित होगा उस समय यह देखा जायगा कि ठीक तरह से बोर्ड का गठन हो। ऐसा हो जाने से पिछली धांधली दूर हो जायगी। रजिस्ट्रार को बोर्ड की तरफ से नियुक्ति की जाती है। बोर्ड उसको परमानेंट करता है और एप्वाइंटिंग अथारिटी वही होता है। सरकार केवल इसका एप्रूवल देती है और वह 1963 में हो चुका है लेकिन फिर भी मैं यह मानती हूं कि कोई व्यक्ति चाहे वह बोर्ड का रजिस्ट्रार हो सरकार इस बात के लिये सक्षम है कि वह उन सभी शिकायतों को ठीक करने की दिशा में कदम उठावे। हमारे पास ऐसे अधिकार हैं कि हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। इस समय जो ऐक्ट होमियोपैथी का है उसके अन्तर्गत जितनी इस तरह की चीजें हैं उनको गठन तक हम रोक सकते हैं। वह प्रणाली अपनायेंगे तो उसकी जांच बिठायेंगे, गम्भीर आरोप देखते हुए उसके लिए भी जांच बिठा लेंगे। लेकिन ऐसा हम 31 अक्तूबर के बाद ही कर सकेंगे। यह मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि बोर्ड को रीकान्स्टीच्यूट किया जा रहा है। होमियोपैथी के लड़के इस बात को मान गये थे। मुझसे कई बार लड़के मिले और जब मिले तो सन्तुष्ट होकर गये लेकिन फिर भी यह चीज आगे बढ़ती रहती है। अभी दो दिन पहले यह लड़के मिले थे तो मैंने फिर यह बात कह दी थी कि सारा एक्ट संशोधित करने में समय लगेगा। उस पर पूरी-पूरी तरह से विचार किया जायेगा। सरकार की यह मंशा नहीं है कि इस तरह का भ्रष्टाचार आगे बढ़ने दिया जाय। क्योंकि हमारे नोटिस में लाया गया है इस पर हम पूरी तरह से कदम उठायेंगे और इस पर हम यह कह सकते हैं कि होमियोपैथी विद्यार्थियों की जो मांगें थीं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया।

जहां तक डिग्री का सवाल है वह कहते हैं कि...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय मन्त्री जी इस्तीफा देने जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह इस्तीफा देती हैं या नहीं देती हैं इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार चलती ही रहेगी और जो भी होगा वह इसको तय करेगा। मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया है। एक सवाल और उठाया गया है कि जो इस समय डिप्लोमा कोर्स है उसको डिग्री कोर्स किया जाय। दूसरे कालेजेज प्राइवेट तरीके से चलते हैं। अगर वह डिग्री कोर्स के एफीलिएशन के लिये मांग करेंगे तो बोर्ड विचार करेगा। अगर उनके पास सभी जरूरी चीजें हैं तो डिग्री कोर्स के लिये बोर्ड की तरफ से रुकावटें नहीं होंगी।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद के बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष--

यह कौन सा तरीका है पूछने का?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय सण्ड जी ने इलाहाबाद की बाबत पूछा है।

यह निर्णय तो हमने 8, 10 दिन हुये ले लिया है कि डिग्री कोर्स फिर से चालू किया जाय। 5 साल का जो कोर्स था वह बहुत ज्यादा जनप्रिय न हो सका था। भारत सरकार ने 6 साल का डिग्री कोर्स रखा है, 4 साल वाले को डिप्लोमा और उसके 2 साल के बाद डिग्री। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको भी भारत सरकार के पैटर्न पर व्यवस्था की जायेगी। इमीडियेट प्रश्न जो विद्यार्थियों का है कि इसी वर्ष से उनकी पढ़ाई डिग्री कोर्स की तरह से हो। वर्तमान समय में कानपुर विश्वविद्यालय में 5 साल का डिग्री कोर्स पुनः चालू कर दिया जाय। अगर वह मान्यता मांगते हैं तो सरकार की तरफ से उनको तुरन्त मान्यता दी जायेगी। कोई रुकावट नहीं होगी।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन, तो म यह समझूं कि आपका आश्वासन जो डिप्टी डायरेक्टर को एप्वाइन्ट करने का था वह पूरा किया जा रहा है?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

इसके लिये फाइल पर आर्डर्स कर दि हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

होमियोपैथिक बोर्ड का जो मौजूदा ऐक्ट है उसके अन्तर्गत जो एसोसि शन है उसके रिप्रजेन्टेटिव्ज जाते हैं। उसमें बहुत से अनक्वालीफाइड लोग हैं और वे ही ज्यादातर उसके मेम्बर हैं। इसलिये हमारा बोर्ड ही अन डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स से बना है। इसलि बोर्ड को तुरन्त समाप्त करके जो क्वालीफाइड मेम्बस हों उनको उसमें लिया जाय।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जितनी राय साहब को उनसे हमदर्दी है उससे कम हमको नहीं है। जो बोर्ड है उस में हम लोग नामिनेट करते ह, 3 उनके अलग-अलग कालेजेज के रिप्रजेंटेटिव्ज हैं, 5 चुने जाते हैं अलग-अलग एसोसियेशंस के द्वारा। यह तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि आज उनसे कह दिया जाय कि वे क्वालीफाइड नहीं है। वे रजिस्टर्ड होमियोपैथर्स हैं और उनकी प्रैक्टिस 10 साल से ऊपर है। ऐ ही लोगों को खड़ा होने का हक है। इस तरह से अगर 25 साल के बाद कह दिया जाय कि वे अनक्वालीफाइड हैं और अगले 25 साल के बाद फिर यही कह दिया जायगा। लेकिन यह विषय ऐसा है कि फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है कि किस प्रकार से चीजों को सुधारा जाय। 31 अक्तूबर को बोर्ड का कार्य समाप्त हो रहा है। इसके बीच में हम विचार करेंगे कि इसको किस प्रकार से और अधिक सुधारा जा सकता है। लड़कों की भूख हड़ताल करने से ही तो नहीं हो सकता है कि रजिस्ट्रार को हटा दिया जाय या बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय, यह ठीक नहीं होगा। शासन को मौका मिलना चाहिये ताकि हम ठीक से निर्णय ले सकें।

श्री रामगोपाल सण्ड--

माननीया स्वास्थ्य मन्त्री जी के क्षेत्र में जो कालेज हैं और वहां पर जो डाक्टर्स पढ़ाते हैं उनकी भी मांग है कि वेतन क्रम को रिवाइज किया जाय, प्रबन्धक भ्रष्टाचार करते हैं उसके बारे में जांच करवाई जाय। इसी प्रकार से गाजीपुर के लिये भी स्वास्थ्य मन्त्री जी वहां के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ठीक करवाने के लिये जांच आयोग बैठायेंगी?

डाक्टर राजेंद्र कुमार बाजपेयी--

जहां तक कि होमियोपैथिक कालेज के वेतन का सम्बन्ध है जो हमारा वेतन आयोग बैठा है उसके समक्ष यह प्रश्न भी विचार किया जा रहा है। जहां तक कि माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार है और उनके खिलाफ जांच आयोग को बैठाला जाय तो यह सभी विषय हमारे सामने आ गये हैं और इन सभी पहलुओं को लेते हुए विचार किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

जब होम्योपैथिक के छात्रों की और मन्त्री जी की बातचीत हुई थी तो मैं उनके साथ था। दो विषयों पर ही मतभेद था--एक तो डायरेक्टर वाले मामले पर और दूसरे पांच साल वाले डिग्री कोर्स पर। उस समय स्पष्ट आश्वासन नहीं हो पाया था इसलिये शायद उनको सन्तोष नहीं हुआ। अभी आपने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट कल सृजित कर दी और जो कोर्स चाहते थे वह भी कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब केवल गलतफहमी है। आप उन विद्यार्थियों को बुलाकर सब बातों को समझा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप रहेंगे मदद करने को ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं तो हमेशा तैयार हूं। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें आज अपने कमरे में बुलवा लें और समझा दें।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मैं तो पांच बार मिल चुकी हूं, मिलने में मुझे कोई इंकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वह मिलकर चले जाते हैं और फिर भी स्ट्राइक जारी रहती है। अगर माननीय सदस्य इस आश्वासन के बाद आये कि हमसे मिलने के बाद स्ट्राइक नहीं रहेगी तो मैं जरूर मिलूंगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर मैं लाया तो इसी आश्वासन पर लाऊंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

बिचौलिया खत्म कर दिया जाय, सीधे रिश्ता करे।

मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस से संबंधित नियम 51 की स्वीकृत सूचना के संबंध में जानकारी

*श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

श्रीमन, मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने और वीरेन्द्र वर्मा जी ने जिला मुजफ्फरनगर में पुलिस के खुले अत्याचार के बारे में नियम 51 में सूचना दी थी। एक सब इंसपेक्टर पुलिस ने एक लड़की को गलत वारन्ट पर एक व्यक्ति के घर से निकालकर मोटर में ले जाकर दूसरे जिले में एक होटल में रखकर अपनी बीबी बताकर उसके साथ बलात्कार किया। जब वह वापस रास्ते में आया तो एक जगह एक बैलगाड़ी उसकी कार के सामने आ गयी, कार वहां रुकी और वह लड़की उतर कर शहर में भागी। वहां उसकी ससुराल थी। उस दरोगा ने शहर तक उसका पीछा किया और दुबारा पकड़कर कार में लाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुआ। इसके बाद यह वाकया एस० पी० की नोटिस में आया और उसकी रिपोर्ट थाना खतौली में हुई। एस० पी० मुजफ्फरनगर ने केस भी रजिस्टर कराया। लेकिन पुलिस वालों ने मिलकर जुडीशिल मजिस्ट्रेट के यहां बाहर ही बाहर जमानत करा ली और जो दो कांस्टेबिल थे उनको जेल जाना पड़ा। जो वहां थाने इंचार्ज है उनको एस०पी० ने ट्रांसफर करके शामली भेजा इसलिए वह जुर्म को छिपाने में सहायता कर रहे थे। लेकिन पालिटिकल लोगों ने उसको फिर थाना खतौली में रखवा दिया। वह गवाहों को टैम्पर कर रहा है और मुकदमें को नुकसान पहुंचा रहा है। यह दफा 51 में हमारा मंजूर हो गया था। उपाध्यक्ष जी ने कहा कि वक्तव्य के लिए आज रख दिया है, लेकिन जब एजेंडे में नहीं आया तो हम उपाध्यक्ष जी के पास गये तो उन्होंने कहा कि सरकार से कहा गया कि वक्तव्य दें लेकिन सरकार वक्तव्य नहीं देना चाहती है। मैं श्रीमन, आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब मंजूर हो गया तो वह एजेंडे पर क्यों नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि डिप्टी स्पीकर से मैंने पूछा था। वह कहते हैं कि हम परसों वक्तव्य फिक्स कर देते हैं, सरकार अगर उस वक्त तक सब सूचना मंगा लेगी तो देगी। सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने उत्तर दिया है कि इस बात की जानकारी हम इतनी जल्दी नहीं मंगा सकते हैं। लोग बाढ़ के सिलसिले में कार्य कर रहे हैं और इसलिये अधिकारी टेलीफोन पर नहीं मिलते हैं। ऐसे मामले में जब तक पूरी जानकारी हासिल न हो जाये तब तक पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब नहीं दिया जा सकता है। सरकार का यह जवाब आया है, तब फिर डिप्टी स्पीकर क्या करें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

वायरलेस कर दें।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

वक्तव्य कभी दें या न दें, सवाल सारा यह है कि एस० पी० ने एस० ओ० का ट्रांसफर कर दिया और मुख्य मन्त्री ने यह आर्डर कर दिया कि वे वहीं बने रहें। इसमें इनक्वायरी की क्या जरूरत है। उस आर्डर का कैनसिलेशन होना चाहिये जो कि यहां से जारी किया गया है। जो आर्डर एस० पी० ने किया है वह कायम रहना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं इसका पता ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर ट्रांसफर करना जरूरी होगा तो वह भी हो जायेगा, मैं उसका पता ले लूंगा।

(सरकारी पक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पहले अपोजीशन की बात हो जाये, फिर आप बोलें।

नियम 51 कार्य-स्थगन प्रस्तावों एवं विशेषाधिकार के प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कल मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि आज जिलाधीश की रिपोर्ट तथा सर्टिफिकेट, जिसमें कि जाल किया गया था, सदन में रखा जायेगा। मान्यवर, वह प्रश्न आज एजेंडे पर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि न्याय मन्त्री उन कागजात को कब सदन में रखेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मेरे पास पूरी फाइल भेज दी है। आप मेरे कमरे में आ कर देख लें। वह बहुत लम्बी फाइल है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा 31 अगस्त, 1971 का कार्य स्थगन प्रस्ताव 14 सितम्बर, 1971 के लिए फिक्स हुआ था। वह उस दिन नहीं आया आपके पत्र संख्या 2070 दिनांक 15 सितम्बर, 1971 में यह लिखा गया था कि 17 सितम्बर, 1971 को गृह मन्त्री का वक्तव्य दिलवाया

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

जायेगा। बांके लाल जी ने भी यही प्रश्न उठाया था। देवरिया जिले की पुलिस बड़े ही अनैतिक कार्य कर रही है। इस वक्तव्य के न देने के लिए बहानेबाजी की जा रही है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जानकारी उनके पास आज हो, वह सदन को दे दी जाय। बांके लाल जी को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि प्रभाकर तिवारी का कत्ल जानबूझ कर हुआ है। वहां पर जनता का विश्वास पुलिस से उठ गया है। मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे आज शाम को वक्तव्य दे दें।

श्री बांकेलाल (जिला-देवरिया)--

वहां का पुलिस इंस्पेक्टर उस कत्ल की साजिश में है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी को दे दीजिये। अगर वे जानकारी हासिल करने के पश्चात् आज शाम को वक्तव्य दे सकते हों तो दे देंगे। यह आप दे दीजिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

जो सूचना उनके पास है उसको वे दे दें।

श्री अध्यक्ष--

चलिये, शाम तक दे देंगे।

श्री बांकेलाल--

श्री प्रभाकर तिवारी के बाप ने भी और मैंने भी मुख्य मन्त्री जी को दरख्वास्त दी थी और फोटो भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बीच में न बोलें, आपकी बात तो हो गयी है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन के अन्दर एक सवाल आया था जिसके बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव आपके सामने है। आज सदन का अखिरी दिन है और ऐसे ही 3-4 बज जायेंगे। वाराणसी जिले में एक हरिजनों का गांव फूंक दिया गया है, जिसमें 2-3 आदमियों के मरने की भी खबर मिली है। वह जिला मुख्य मन्त्री जी का भी जिला है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे टेलीफोन या वायरलेस से सम्पर्क स्थापित करके सदन को जानकारी दे दें।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, हमने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था विश्वविद्यालय के झगड़े के संबंध में कि वह कहां खुलना चाहिये। मुझे तार मिला है कि गढ़वाल, चमोली वगैरह में सम्पूर्ण बन्द चल रहा है। उससे बड़ा ही नुकसान हुआ है। कितने ही लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं, मगर अभी तक सरकार ने कोई हल नहीं निकाला है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इन्साफ की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री आज यह निश्चित घोषणा करें कि उसको

कहां खोला जायेगा। जब नैनीताल में एक यूनिवर्सिटी है तब दूसरी भी वहीं खोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मेरी पुनः प्रार्थना है कि इस झगड़े को माननीय मुख्य मंत्री जी तुरन्त निबटा दें और आज ही उस संबंध में घोषणा कर दें। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन के प्रति यह मंत्रि-मंडल उत्तरदायी है अथवा नहीं? अगर है, तो नियम 51 में जो मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था बयान के लिये, 15 सितम्बर की कार्यसूची में तीसरे नम्बर पर वह है, मुझे लिख कर भी मिला है कि वह स्वीकार हुआ है, थाने में कि व्यक्ति मर भी गया, तो वह वक्तव्य हुआ क्यों नहीं? क्या यह मंत्रिमंडल सदन का सेवक नहीं है? अगर है, तो आप के आदेश का पालन उसने क्यों नहीं किया?

(व्यवधान)

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरी बात सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक बार यहां पर माननीय चौधरी साहबने अपील के तौर पर यह कहा था कि जो हम लोगों का रवइया यहां होता है उसका बुरा असर जनता पर पड़ता है। इस संबंध में आपने सभी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग भी अपने यहां बुलाई थी और उनसे परामर्श किया था। माननीय चौधरी साहब नहीं आये थे, उन के दूसरे नेता श्री वर्मा जी आये थे। वहां हम लोगों ने यह डिस्कस कर के तय किया था कि हर पार्टी के नेता अपने अपने विधायकों को देखा करेंगे और ऐसी चीज नहीं होने देंगे। मैं यहां देखता हूं कि जो ज्यादा शोर करता है उसको तो आप समय दे देते हैं, दूसरा नियमों के अन्तर्गत यदि अपनी बात कहना चाहता है तो उसे आप समय नहीं देते। तो या तो आप आज्ञा दें कि हम भी हल्ला करना शुरू कर दें, या कोई और रास्ता बतायें। जिस-जिसने शोर मचाया, सब को आपने बारी-बारी से समय दिया..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लेफ्ट पार्टी के हैं?

श्री छांगुर राम—

जी नहीं, मैं मार्क्सवादी पार्टी का एक मात्र सदस्य हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इनकी उस पार्टी से शादी हो चुकी है।

(व्यवधान)

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

अभी आपने देखा एक माननीय सदस्य जो माननीय चरण सिंह की पार्टी के हैं, वह धक्का देकर चले गये, वह रोकते रहे, लेकिन वह चले गये, माने नहीं, तो मैं क्या करूं? (कई सदस्यों के खड़े होने पर) यह आप सब समय खो रहे है, यहां पर जो प्रस्ताव हैं उसको आप यदि नहीं आने देना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप बोलते चले जाओ, सब लोग मिल कर बोलते चले जाओ। कार्य नहीं होगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

हम कलिंग पार्टी में है तो क्या हुआ, आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे हमारा काम चल सकता है। हम सदन के बाहर झूठे बनाए जाएं और हमें बोलने न दिया जाए तो यह कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह अपनी जगह पर है। यह महत्व का है या यहां पर जो प्रस्ताव है वह है।

(व्यवधान)

श्री छांगुर राम—

मेरी जो शिकायत है.....

श्री अध्यक्ष—

मेरी भी यह शिकायत है कि जो आप के नेता है....

श्री छांगुर राम—

मेरा कोई नेता नहीं है।

(श्री छांगुर राम व कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह दोनों साथ-साथ श्री अध्यक्ष के मना करने पर भी बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक विषय कल विशेषाधिकार समिति में भेज दिया है। अब दूसरा विशेषाधिकार का नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है.....

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मैंने कल कहा था, उस पर मुख्य मंत्री जी ने कह दिया.... (व्यवधान) मेरी बात सही है, पी० डब्ल्यू० डी० के सचिव ने 8 सितम्बर को प्रेस कांफ्रेंस में यही बात कही है कि यहां की जमीन नहीं ली जा सके, क्योंकि राजा रामकुमार भार्गव जैसे कुछ लोगों ने कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। उन्होंने हमें झूठा बनाया है, बाहर लोग हमें झूठा बनावें, तो मैं अपनी रक्षा के लिए कहां जाऊं। मैं समझता हूं मैं सही हूं। मान्यवर, आई० जी० पुलिस के सामने यह सब हुआ है....

श्री अध्यक्ष—

तो क्या अब आई० जी० (पुलिस) को आपके सामने बुलाया जाये।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मैंने प्रस्ताव 14 तारीख को दिया....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी कोई इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब सचिव, घोषणा करेंगे।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1971

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1971 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 अगस्त, 1971 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 18 अगस्त, 1971 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 1971 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 24 वां अधिनियम बन गया।

(उपरोक्त घोषणा के मध्य भी श्री छांगुर राम कुछ बोलते रहे।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक 1971

सचिव, विधान सभा---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971, जो विधान सभा द्वारा 15 सितम्बर, 1971 को पारित किया गया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा उन विधेयक प्रमाणित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 17 सितम्बर, 1971 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

आप मुझे विवश कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं। जिसके लिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, एक घंटे से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हुल्लड़बाजी में नहीं कह पाया।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दी।

श्री छांगुर राम---

मैं एक गम्भीर घटना की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अव्यवस्था आप खुद करते हैं।

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन*

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, 1958 तथा वेयरहाउसिंग कारपोरेशंस ऐक्ट, 1962 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने

*छापा नहीं गया।

[श्री शिवराज सिंह]

के अधिकार के प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर समिति द्वारा की गयी मुख्य-मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, 1958, 10 फरवरी, 1959 को बना था और 19 अप्रैल, 1964 को इसमें एक संशोधन हुआ। परन्तु 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस अधिनियम की केवल पहली धारा जो इस के संक्षिप्त शीर्षनाम से सम्बन्धित है लागू हो सकी है, शेष अधिनियम अभी तक प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। इसका एक मात्र कारण यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाने थे वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बनाये गये हैं। 1956 में इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि जैसे ही अधिनियम बन जाय तुरन्त सम्बन्धित नियम बना दिये जायं। मान्यवर, इस सिफारिश को शासन ने 1-12-58 जो सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। उस पर फिर बल देने के लिये समिति ने 1964 में अपनी पूर्वोक्त सिफारिश को पुनः दुहराया और यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी दशा में नियम बनाने में छः मास से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। लोक सभा की अधीनस्थ विधान समिति ने पहले यह अवधि तीन महीने की ही रखी थी किन्तु मंत्रालयों के अनुरोध पर इस अवधि को बढ़ा कर छः महीने कर दिया था।

खेद की बात है कि अधिनियम के बनने के छः महीने बाद नियम बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया और अब 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियम बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं अदब से परन्तु गम्भीर स्वर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसका मूल्यांकन करें कि हमारी लोकतंत्र में आस्था क्या है। यह सदन योजना के सम्बन्ध में अधिनियम बनाये परन्तु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग उसके नियम न बनाये तो वह अधिनियम प्रदेश में लागू न हो सकेगा। इससे ज्यादा खेद की बात क्या हो सकती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी समिति की सिफारिशों की अवहेलना करने के जिम्मेदार हैं आज तक उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है।

श्री अध्यक्ष--

सदन में बहुत शोर हो रहा है, माननीय सदस्य जरा शान्त रहें।

श्री शिवराज सिंह--

इसके माध्यम से इस प्रदेश के निजी क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर के अन्दर जितने वेयर हाउसेज और स्टोर्स हैं, उनका सम्पूर्ण नियन्त्रण करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसके माध्यम से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जितने कोल्डस्टोरेज है उनकी कार्य-विधि तय करना, उनके चार्जेज नियत करना, उनमें वैज्ञानिक ढंग से...

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, जो व्याख्यान दे रहे हैं इसकी कापी अभी नहीं मिली। न पीजन होल में रखी गयी। कायदे के मुताबिक मिलनी चाहिये जो चीज प्रस्तुत करें। (व्यवधान) बाद में देंगे तो इस पर बहस क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

कमेटी की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायंगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

माननीय सदस्य की जबान ऐसी है जो समझ में नहीं आती। पढ़ने से ही कुछ समझ में आ सकता था।

श्री शिवराज सिंह--

पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर में जितने वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरजज हैं उन पर लाइसेन्स करना तथा कंट्रोल करना था। इसके अभाव में कोल्ड स्टोरेज में जो अनियमिततायें बरती गयी हैं और जो अनुचित रेट्स चार्ज किये गये हैं, उससे प्रदेश के कृषक बहुत क्षुब्ध हैं समिति की सिफारिश यह है कि जिन अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय और जो नियम अब तक नहीं बन पाये हैं उनको एक मास के अन्दर बनाया जाय और इस अधिनियम को प्रदेश भर में शीघ्र लागू किया जाय। इसी प्रकार से वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 जो है उसके सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। समिति की सिफारिश है कि इन नियमों को तुरन्त बनाया जाय और इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा की पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के गठन के संबंध में में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 200 के अन्तर्गत "यह सदन माननीय अध्यक्ष को अधिकार देता है कि वह सदन के 31 सदस्यों की एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के लिए नाम निर्देशित करें जो इस प्रदेश की पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सम्बन्ध में वह कार्य सम्पन्न करे जिनका उल्लेख सदन द्वारा पारित तत्सम्बन्धी प्रस्ताव में किया गया है।"

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष यह तय हुआ था और इस सदन में प्रस्ताव पारित हुआ था कि एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी दोनों सदनों के सदस्यों को मिला कर बनाई जाय। वह प्रस्ताव दूसरे सदन में रुका हुआ है और वहां एक अलग पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी बनी हुई है। उसको समाप्त करके वहां इस प्रस्ताव पर विचार करने में हिचकिचाहट हो रही है। लिहाजा जो सदस्यों की मांग थी कि यह पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी बने जो कि बड़ी महत्व पूर्ण कमेटी है उसका काम रुका हुआ है जब तक दोनों सदनों के बीच में निर्णय न हो जाय। लिहाजा आप नियम 200 के अन्तर्गत 31 सदस्यों का नाम निर्देशित कर दें। मैंने अन्य दलों के मुख्य सचेतकों से तथा नेताओं से इस सम्बन्ध में बातचीत कर ली है।

श्री अध्यक्ष--

यह सर्व सम्मति से हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मुझे यह अर्ज करना है जैसी कि बातचीत हुई थी और तिवारी जी रजामन्द भी थे कि सदस्यों की संख्या 31 के बजाय 35 कर दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय अध्यक्ष को अधिकार देता है कि वह इस सदन के 35 सदस्यों की एक पब्लिक अन्डर टेकिंग्स कमेटी के लिए नाम निर्देशित करें जो इस प्रदेश की पब्लिक

[श्री अध्यक्ष]

अण्डर टेकिंग्स के संबंध में वह कार्य सम्पन्न करें जिनका उल्लेख सदन द्वारा पारित तत्संबंधी प्रस्ताव में किया गया है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(कुछ क्षण बाद)

मैं यह भी बतला दूं कि हमेशा के लिये नाम निर्देशन म अपने को नहीं बांधता । सदन स्वयं सदस्यों को चुन लें लेकिन पहली मरतबा सदस्यों को मैं नामजद कर दूंगा क्योंकि यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है । इसमें 35 सदस्य होंगे ।

किसानों के गन्ने की कीमत का बकाया दिलाये जाने तथा गन्ने के दाम निर्धारित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना था कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कुछ तो सरकार की तरफ से इस बात के लिए कहा जाय कि प्रदेश में गन्ना के किसानों के गन्ने की कीमत का क्या होने वाला है? आज लोगों की निगाह इस सरकार पर इस लिए ज्यादा लगी हुई है कि 12 मिले इस सरकार ने अधिग्रहीत कर ली हैं और यह सदन आज उठ जायगा और सरकार ने गन्ने की कीमत तथा किसानों के बकाये के बारे में कोई घोषणा नहीं की है । आज शाम को ही मुख्य मंत्री कोई घोषणा इस सम्बन्ध में कर दें । ताकि लोगों के अन्दर जो बेचैनी पैदा हो गई है उसमें उन्हें कुछ राहत मिल सके और किसान लोग ठन्डे दिल से संतोष की सांस ले सकें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, गन्ने की कीमत का बाढ़ से बहुत सम्बन्ध है । किसानों को अपने गन्ने का अभी तक दाम नहीं मिला है । 14 गन्ना मिलों में से 10 मिलों का बकाया रह गया है । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जो किसानों का बकाया रह गया है वह उनको मिल सके । इसके बारे में वे आज शाम तक अपना वक्तव्य दे दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं इसके बारे में शाम तक बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

नियम 51 की सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैंने जो निवेदन किया था जिसके बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा गया था यह तो आज के एजेन्डे में भी नहीं है....

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न मेरे पास आ गया है और उसमें कहा गया है कि इतने कम समय में यह मुमकिन नहीं है । अब हम आगे चलते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने एक बात कही और उसी सिलसिले में मैं आपके माध्यम से उनके पास तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने 14 तारीख में यहीं पर नियम 51 में मुजफ्फरनगर की पुलिस के सिलसिले में कुछ चर्चा की थी। 15 तारीख में भी मैंने लिखकर दिया और माननीय उपाध्यक्ष जी ने उसे आज के लिए स्वीकार किया कि सरकार वक्तव्य देगी। परसों 15 तारीख में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और उनके सामने अपने जिले की पुलिस के बारे में चर्चा की थी। आज भी जैसा कि माननीय चंन्द्रभान शर्मा जी ने कहा है मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इससे पेश्तर भी इसी हाउस में यह कहा जा चुका है कि वहां के दरोगा ने एक आदमी को झूठा घोषित कर दिया कि वह मरा है और बाद में वह जाहिर हो गया इसके साथ ही 3 झूठे आदमियों का चालान भी किया गया। पुलिस कप्तान साहब ने उस दरोगे को वहां से कहीं दूसरी जगह भेज दिया था किन्तु फिर उसको चाहे कैसे भी हो वहां पर रखवा दिया गया। इसलिए जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे मालूम कर लेंगे। तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि वे मालूम कर हमें सूचित करेंगे। इस बात पर प्रकाश डाल दें और मुझे बतला दें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इस सम्बन्ध में मैं कल या परसों नम्रता पूर्वक सूचना भेज चुका हूं। इन बातों की जांच हेतु हमने रेडियोग्राम किया है, टेलीफोन किया है और मांग की है कि जल्दी से जल्दी उसकी सूचना भेज दें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह आज ही 17 तारीख को हमें मिल जाय। किन्तु बाढ़ के कारण कठिनाई पड़ी हुई है। यदि जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाय तब तो आज ही दे दूंगा.....।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास सूचना भेज दें मैं इनके पास भेज दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो सूचना मेरे पास आज एवेलेबुल हो जायेगी और इसके लिये मैं चेष्टा कर रहा हूं तब तो मैं दे दूंगा अन्यथा फिर यही कहना पड़ेगा कि जब सूचना मिलेगी माननीय सदस्य को इस विषय में सूचित कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

स्थायी समितियों के चुनाव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना दे दूं कि स्थानीय स्वशासन की हमारी जो स्थायी समिति है उसको छोड़कर, क्यों कि उसमें नाम वापस ले लिये गये हैं, बाकी सब समितियों का चुनाव कल होगा।

सुल्तानपुर जिले में बाढ़ से बांध टूटने की सूचना

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मुझे बड़ी तकलीफ है कि मैंने कई बार उठाया बड़ी शांतिपूर्वक, हल्ला भी नहीं मचाया और मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया। मान्यवर, आज एक बड़ी दुखद सूचना आयी है मेरे

[श्री शिवकुमार पांडेय]

जिले से कि गोमती का जलस्तर बढ़ करके 295 फिट हो गया जबकि पहली बाढ़ में 288 पर था और भूतपूर्व विधायक रमाकांत सिंह ने अपने गांव के किनारे बन्धा बनवाया था यह टूट गया जिससे दरिया उस गांव में धारा बनाकर बह रहा है । यह सूचना सुबह-सुबह मिली थी । नदी उसी जगह पर लगी हुई है और जिले की सारी स्थिति बिगड़ गयी है, इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

किस जिले की बात है ?

श्री शिवकुमार पांडेय--

सुल्तानपुर की और कहां की होगी मैं तो वहीं का हूं....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)

दो दिन तक बाढ़ पर बहस हुई और कल अंतिम रूप से लखनऊ पर भी हो गयी और मैं माननीय सदस्य को कहीं कोई मौका नहीं मिला ? और जब यह सवाल उठा रहे हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से सहायता देने के लिये कह देते हैं ।

श्री शिवकुमार पांडेय--

मेरी बात तो सुन लें जायसवाल साहब । मुझे पता नहीं अगर सुल्तानपुर बह जायगा तो जायसवाल को क्या मिल जायगा, लेकिन मैं चाहूंगा राजस्व मंत्री जी यहां से तत्काल सुल्तानपुर के लिये रवाना हो जायं और अगर कुछ कर सकते हों तो बचाने की चेष्टा करें ।

मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह सवाल बीच में उठाने का नहीं है । मुझे कह देते किस मंत्री की व्यवस्था होनी है तो जहां जरूरत होगी वह करा दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

कहने से मान नहीं सकते ।

13 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न 8 से संबद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13-7-1971 को श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करनसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 8 के संबंध में श्री सुखपाल पांडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि 30-3-1971, को प्रश्न किया गया उस समय वहां पर बस्ती जिले क अन्तर्गत कितने स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसे थे जो पांच वर्ष से और 10 वर्ष के अन्दर बस्ती जिले में काय कर रहे थे" ?

उस समय सदन में राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया कि "जिले में नियुक्ति की तारीख बता रहा हूं । श्री कृष्णकांत शर्मा 19-8-57, श्री माणिक राम 5-11-1958, श्री विक्रम जीत सिंह 30-5-46, श्री बशीर अहमद 13-7-62 से, श्री जे०एन० श्रीवास्तव

3-4-54 से तथा श्री फूलचन्द गुप्ता 14-5-59 से वहां था उसका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, सही उत्तर इस प्रकार है।

सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के नाम		बस्ती जिले में तनाती की तिथि
1—श्री कृष्ण कान्त शर्मा	..	19-8-1957
2—श्री मानिक राम	..	5-11-1958
3—श्री बिक्रम जीत सिंह	..	30-5-1946
4—श्री बशीर अहमद खां।	..	13-7-1962
5—श्री जे०एन० श्रीवास्तव	..	3-10-1954
6—श्री फूल चन्द्र गुप्ता	..	14-5-1959
7—श्री राम चन्द्र पांडेय	..	1-1-1965
8—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	..	5-8-1965
9—श्री क्षमाकर शुक्ला	..	15-1-1964
10—श्री जगदीश कुमार पांडेय	..	10-8-1965
11—श्री हरि सहायक सिंह	..	31-10-1963
12—श्री कटेश्वर प्रसाद गुप्ता	..	1-7-1966

उक्त सूची के क्रम सं० 6 से 12 तक का स्थानान्तरण जिले के बाहर कर दिया गया है। विधान सभा के द्वितीय सत्र 1971 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित सर्वश्री सुखपाल पांडेय तथा राम करन सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 तथा उस का उत्तर निम्न है।

प्रश्न

8—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और इनमें से कितने ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक गत 5 से 10 वर्ष की अवधि से उसी जिले में हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

बस्ती जिले में कुल 55 स्वास्थ्य निरीक्षक हैं। इनमें से 23 हेल्थ इन्सपेक्टर हैं तथा 32 सेनेटरी इन्सपेक्टर। कोई भी स्वास्थ्य निरीक्षक (हेल्थ इन्सपेक्टर) 5 वर्ष से ऊपर का नहीं है परन्तु हाल ही में जिला परिषद् के लिये गये निम्न पांच (5) स्वास्थ्य निरीक्षक (सेनेटरी इन्सपेक्टर) ऐसे हैं जो वहां 5 वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात हैं।

1—श्री कृष्ण कांत शर्मा
2—श्री मानिक राम
3—श्री विक्रम जीत सिंह
4—श्री बशीर अहमद खां
5—श्री जे० एन० श्रीवास्तव

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द होने तथा विश्वविद्यालय में पुलिस तथा पी० ए० सी० के बुलाये जाने के संबंध में गृह उप मंत्री का वक्तव्य

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, वहां इतनी पी० ए० सी० लगी हुई है जो यूनिवर्सिटी से विद्यार्थियों को बाहर निकाल कर, उनके बक्से निकाल-निकाल कर बाहर फेंक रही है । हमने तो नियम 56 का दिया था और आपने कहा था कि वक्तव्य के बाद प्रश्न वगैरह पूछ लीजियेगा । फाइल देख लें ।

श्री अध्यक्ष---

उपाध्यक्ष जी ने वक्तव्य के लिये किया था । (मंत्री जी से) आप वक्तव्य को पढ़ें ।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

जिला मैजिस्ट्रेट वाराणसी से दिनांक 13 सितम्बर, 1971 को रात्रि में एक वायरलैस संदेश सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में आन्दोलन चलाये जाने, कुछ छात्र नेताओं द्वारा अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल किये जाने उप कुलपति के निवास पर अनिश्चित काल के लिये छात्रों द्वारा धरना दिये जाने की धमकी तथा एक भूख हड़ताली द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1971 को 11 बजे पूर्वान्ह में आत्मदाह करने की धमकी को देखते हुए और साथ ही में छात्रों एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच बात चीत के विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने दिनांक 12/13 सितम्बर, 1971 की मध्य रात्रि को अनिश्चित काल के लिये विश्वविद्यालय बन्द करने की घोषणा की और 24 घंटे के अन्दर छात्रावासों को खाली कर देने के आदेश जारी कर दिये । उसी रात को उप कुलपति ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को लिखित रूप से यह आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय प्रागंण में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें । तदनुसार जिला मैजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी एक पुलिस दल के साथ रात को 3 बजे विश्वविद्यालय में पहुचे और 5 भूख हड़तालियों तथा 9 अन्य व्यक्तियों को जिनमें कुछ गैर छात्र भी थे गिरफ्तार कर लिया गया और विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस तैनात कर दी गई तथा विश्वविद्यालय के प्रांगण में धारा 144 लगा दी गई है।

2---बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है । विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द करने एवं छात्रावासों को खाली कराने का निर्णय विश्वविद्यालय में स्थित को देखते हुए उप कुलपति ने स्वयं लिया है, अतः राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है । जहां तक विश्वविद्यालय में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी स्थिति के अनुसार विधि के अधीन अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह जानना चाहता था कि यह इसी वर्ष का प्रश्न नहीं है । प्रत्येक वर्ष बनारस यूनिवर्सिटी में यही होता है । वहां के विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का प्रश्न है जहां तक वहां तक तो उपकुलपति सक्षम हैं, लेकिन जहां तक विद्यार्थी और मैनेजमेंट के डिफरेंसेज का प्रश्न है तो वहां की अथारिटीज उसमें किसी को कांफिडेंस में नहीं लेती, यहां तक कि मुख्य मंत्री को भी लेती हैं और न तो जिले के जो अधिकारी हैं उनको लेती है । और करते क्या हैं कि जबकि विद्यार्थियों से उनका संघर्ष रहता है तो पुलिस को बुला कर वहां के उपकुलपति विद्यार्थियों को

पिटवाते हैं, लाठी-चार्ज करवाते हैं और गोली चलवाते हैं और पूर्वी अंचल की ला एंड आर्डर सिचुएशन को समाप्त करते हैं ।

तो माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कल भी उन्होंने उत्तर देते समय कहा था कि उन्होंने उपकुलपति से इस संबंध में वार्ता को कहा है कि वह आकर वार्ता करें, तो क्या बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब इस कथन पर इस बात के लिये तैयार हैं कि आप वहां के उपकुलपति और विद्यार्थियों के नेता आपस में बैठ कर सारे प्रश्न पर विचार-विमर्श करके यूनिवर्सिटी खुलवा दें और इसमें वह सहयोग लेने के लिये तैयार हो जायं तो ठीक है और अगर नहीं है तो क्या मंत्री जी पुलिस को विदड्रा कर लेंगे ?

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैंने यह नहीं कहा था कि वाइस चांसलर साहब को मैंने बुलाया है कि वह आकर हमसे मिलें । वाइस चांसलर को बुलाने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं था और न यह उचित था कि उपकुलपति को मैं ऐसे बुला लूं । उनसे मुझ से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने सारी स्थिति मुझे बतलायी और किस स्थिति में पुलिस मंगाने की आवश्यकता पड़ी यह थोड़ा उन्होंने बताया और उसकी रिपोर्ट भी भेजने को उन्होंने कहा है और पुलिस उनके बुलाने पर गयी ।

जहांतक शांति और व्यवस्था का संबंध है जब कहीं से इस तरह की बात आती है कि यहां अशांति होने की आशंका है और वहां का अधिकारी मांग करता है । और खास कर विश्वविद्यालयों में बिना वाइस चांसलर के बुलाये पुलिस अन्दर पेश नहीं करती है । जब उन्होंने बुलाया तो उसका प्रवेश करना लाजमी था अन्यथा कोई घटना घट जाती तो यह कहा जाता कि विश्वविद्यालय किसी के अधीन हो लेकिन जहां शांति और व्यवस्था का सवाल हो और विश्वविद्यालय की रक्षा का सवाल हो वहां पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिये और ऐसे अवसर पर बिना बुलाये पुलिस घुस जाती है । इसमें तो स्वयं वाइस चांसलर ने बुलाया तब पुलिस गई ।

मैंने टेलीफोन से वाइस चांसलर महोदय से कहा था कि इस मामले को किसी तरह से हल करने की चेष्टा की जाय । आपने यूनिवर्सिटी बन्द कर दी है और आपको समय मिल गया है । उन्होंने कहा कि जब आप वाराणसी आयेंगे तो मैं बात करूंगा । यह मैंने कल कहा था । पुलिस वहां गई, हास्टल से लड़के चले गये हैं । थोड़े से लोग गिरफ्तार किये गये जो हैं भूख हड़ताल कर रहे थे । उनमें कुछ छात्र थे और कुछ गैर छात्र थे । हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाय । उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, वह लिख कर नहीं आई हैं, 20/22 उनकी ऐसी मांगें हैं जिनको कोई भी विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं कर सकता । बात यह है कि जब तक वह स्वीकार नहीं करली जायंगी तब तक हमने तो घर से निकलने देंगे और न खाना खायेंगे और न खाना खाने देंगे । उन्होंने डिमांस्ट्रेशन भी किया । मैंने पुलिस से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनकी मांगें मंगाई हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप जब बनारस जायेंगे और वाइस चांसलर से बात करते समय विद्यार्थियों के नेताओं को भी बुला लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देखिये, सारी बातें परिस्थिति के अनुसार की जाती हैं । मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण ढंग से मामला हल हो जाय क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो प्रतिक्रिया व्यापक हो जाती है। फिर कोई नहीं देखता कि किस का दोष है। जब शांति और व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो जाता है तो सरकार को कार्यवाही करनी होती है और कहीं किसी पर मार पड़ी और कौन पकड़ा गया यह प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं । किस प्रकार मेरे माध्यम से यह मसला हल हो सकता है उसके लिये मैं चेष्टा करूंगा । मैं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप आयेंगे तो बात करेंगे । इसलिये मैं जाऊंगा और उनसे बात करूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि 1958 में एक बड़ा ऐतिहासिक झगड़ा हुआ था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन बिठाया था । विश्वविद्यालय के अधिकारी डिमांड कर देते हैं और पुलिस प्रवेश करती है । पंडित जी को मालूम है कि वहां के अधिकारी, जब कमीशन स्थापित हुआ था, कोर्ट में मामला गया था । अन्त में उनके खिलाफ बयान भी दे दिया था । राष्ट्रपति के रिहर्सल के बीच में एक लड़का दब गया तो झगड़ा पैदा हो गया । इस बीच में और 64-65 में तथा कई बार उन्होंने निन्दा की है और बयान में कहा है कि कर्मचारी अनावश्यक रूप से वहां घुस गये । मैं कहता हूं कि इसलिये परेशानी होती है कि यूनिवर्सिटी केंद्र की है और ला ऐण्ड आर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है । इसलिये मैं कहूंगा कि आप कड़ाई से बात करें कि आप ला ऐंड आर्डर की सिच्युयेशन पैदा कर देते हैं और पुलिस और पी०ए०सी० को बुलाते हैं । मैं सहमत हूं कि जब वह बुलाते हैं तभी पुलिस वहां जाती है । लेकिन यह अधिकारी जानकर बुलाते हैं । मेरे दिमाग में यह है हिन्दू विश्वविद्यालय के जो काम करने वाले लोग हैं उनके कुछ फैसले ऐसे गलत हो जाते हैं जिनकी वजह से प्रदेशीय सरकार को गलत स्थिति में पड़ना पड़ता है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कि वह प्रदेश की स्थिति को देखते हुए और ला ऐंड आर्डर की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से बातें करें कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की बातें न होने पायें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि यह विद्यार्थियों का आन्दोलन इसलिये शुरू हुआ कि इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी में जो बैक पेपर की प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया गया है । यदि हां तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस प्रथा को फिर से रेस्टोर कराने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह भी एक मांग थी । इसके साथ ही साथ बीसों मांगें और भी थीं । वाइस चांसलर ने भी मुझे पढ़ कर सुनाई और मैंने अधिकारियों से भी मंगाया । उनकी भी एक लिस्ट आयी हुई है । वाइस चांसलर ने एक बार कहा कि मांगों को कंसीडर करेंगे तो दूसरी बार 10 मांगें हो गयीं, फिर 20 हो गयीं । मैंने जब कहा कि मैं आ रहा हूं तो उन्होंने कहा कि आप आयें तो मुझसे बातें कर लीजिये। मांगों की सूची को अभी मैंने पूरे तौर पर देखा भी नहीं है लेकिन उनमें एक मांग यह भी है । मुझे आप वाइस चांसलर से बातें करने का मौका दें । यह तो आप जानते ही हैं कि यह सेंटर की यूनिवर्सिटी है । वैसे हमारे यहां की यूनिवर्सिटी भी आटोनामस बाडी है फिर वह तो सेंटर के ऐक्ट से ही संचालित है । हमारे यहां जो छात्र यूनियन का अध्यादेश लागू हुआ था वह हमारे यहां की युनिवर्सिटी और डिग्री कालेजों पर लागू हुआ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर नहीं हुआ ।

यूनियन के इलेक्शन होने वाले थे । जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सब पार्टियां अपनी-अपनी मांगें रखती हैं । मांगों के लिये लड़कों में कंपीटीशन होता है । और इस प्रकार से बढ़ते-बढ़ते 25--30 मांगें हो गयी । अब सवाल यह है कि इसको किस प्रकार से तय किया जाय । इस बारे में बातें करेंगे, तब कुछ पता लगेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं मुख्य मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिये और उनकी मांगों को सामने लाने के लिये क्या वे ऐसा मुनासिब समझते हैं कि विद्यार्थियों के जो नेता हैं उनको छोड़ दिया जाय और उनसे बातचीत की जाय ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आपका मतलब है कि पहले उनको छोड़ दिया जाय ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जी हां ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जिस बात को मैं देखने वाला हूं उसको देखने के बाद ही तो यह मालूम होगा कि कोई बात आपत्तिजनक है या नहीं । हमारे नित्यानन्द स्वामी जी तो सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के चक्कर में ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उत्तर देना कठिन हो जाता है । मैं शीघ्र जाने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

इस सदन में हिन्दू यूनिवर्सिटी का मसला पहले भी चला था और यह निश्चय हो चुका है कि ला ऐंड आर्डर का मसला, चाहे वह यूनिवर्सिटी सेंटर की हो अथवा प्रादेशिक सरकार की हो, प्रांतीय सरकार का ही है । यहां तो पुलिस वाइस चांसलर के बुलाने पर ही गयी थी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे एक लड़के ने आत्म दाह की धमकी दी, पुलिस को अपने आप ही पहुंच जाना चाहिये था । न कि बाद लड़कों को दबाने के लिये गयी ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो बहस की बात है । आप प्रश्न पूछिये ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कृपा करके देखें कि ला ऐण्ड आर्डर की जिम्मेदारी हमारी प्रान्तीय सरकार के ऊपर है । तो पूरी तरह से लड़कों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों दोनों पक्षों की ओर से ऐसा आश्वासन मिल जाय तो यह प्रश्न हल हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

प्रयत्न करना उनका काम है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी कम्पलसरी यूनियन ऐक्ट के बारे में जो आर्डिनेन्स लागू हुआ था पिछली सरकार के समय में और फिर बाद को वापस हुआ तो अगर वह ऐक्ट वापस न लिया जाता तो यह गड़बड़ी न होती और इन हालात को देखते हुए उसको दोबारा लागू करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इसमें नहीं आता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जो इसमें गैर छात्र गिरफ्तार हुये हैं उनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल से है? यदि हां, तो किस दल से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसका मुझे पता नहीं है कि जो गिरफ्तार हुये हैं उनका सम्बन्ध किस दल से है।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मैं मुख्य मन्त्री जी से नहीं बल्कि विरोधीदल के भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इनका ठोस सुझाव इस सम्बन्ध में क्या है। यदि वायस चांसलर पुलिस की मदद मांगें तो उनको मदद न दी जाय। पुराने वायस चांसलर भी ऐसा करते रहे हैं जब गड़बड़ हुई है। आखिर इसका ठोस सुझाव क्या है। जो विद्यार्थी जेल गये हैं। उनको छुड़ाकर माला पहनाये और यहां सचिवालय में बिठा दें और वायस चांसलर को मुद्दई और मुद्दालेह के रूप में उनके सामने पेश किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुझे ऐसा लगता है माननीय भानु प्रताप सिंह जी, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि गृह मन्त्री या मुख्य मन्त्री को बुद्धि नहीं है। मन्त्री जी कह चुके हैं कि यूनिवर्सिटी में जहां तक सम्भव है पुलिस नहीं जायगी जब तक शांति को खतरा नहीं है तब तक नहीं जायगी। तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि वहां पर पुलिस जाय लेकिन यह सम्भव होना चाहिये कि ऐसा होगा। अगर यह सम्भव हो कि वायस चान्सलर जानबूझकर ऐसे विद्यार्थियों को जानबूझकर पकड़वाकर जेल भेज देता है तो फिर तीसरा आदमी इसमें इण्टर फियर करे। उसकी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिये कि ऐसा अवसर नहीं आयेगा। और उनकी उचित मांगें मान ली जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

बनारस यूनिवर्सिटी में हर वर्ष इस प्रकार की घटनायें होती हैं। इसके सम्बन्ध में कमीशन बिठाये जा चुके हैं। उनकी सिफारिशें आ चुकी हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से यह तमाम परिस्थिति पैदा होती है। तो बावजूद उसके यह केन्द्र से सम्बन्धित मामला है तो शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी को यूनिवर्सिटी अथारिटी को यह सब स्पष्ट कर देना चाहिये कि जो पिछली सिफारिशों को लागू नहीं किया और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तब तक ला ऐंड आर्डर व्यवस्था स्थापित करने के लिये उनकी ही जिम्मेदारी रहेगी और सरकार पर नहीं रहेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। केन्द्रीय सरकार ने वहां के लिये ऐक्ट बनाया और उसको लागू किया। आज वायस चांसलर उसके मुताबिक होता है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो बनी है वह भी उसके मुताबिक ही बनी है। अगर कहीं शांति और व्यवस्था या खूनखराबे की स्थिति पैदा हो तो वायस चान्सलर बुलाये या न बुलाये पुलिस वहां पर प्रवेश करेगी और इससे पहल भी किया है।

लल्लू प्रसाद इन्टरमीडिएट कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल पर किये गये हमले के संबंध में वक्तव्य

श्रम उपमन्त्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 10 सितम्बर, 1971 को लगभग 3 बजे अपरान्ह लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज, कानपुर में किशन कुमार साहू नामक छात्र 5–6 असामाजिक तत्वों को लेकर प्रधानाचार्य के कार्यालय में एक छात्र को कक्षा 10 में प्रवेश कराने के लिये आये। प्रवेश के सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर पाकर उन्होंने प्रधानाचार्य पर आक्रमण कर दिया। उन आक्रमणकारी असामाजिक तत्वों में जिन्हें पहचाना जा सकता था उनके नाम निम्नलिखित हैं—

1—किशन कुमार साहू—छात्र लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज, कानपुर।

2—सन्तोष कुमार पान्डेय उर्फ सन्तुन—यह गत वर्ष ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज का छात्र था तथा वहां पर भी इसने प्रधानाचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया था।

3—गंगाधरण्डप्ॅ य

4—शम्भू बंगाली

5—श्यामा बाबू इत्यादि

इस घटना से अध्यापकों में काफी रोष फैल गया है। फलस्वरूप दिनांक 10 सितम्बर, 1971 को अध्यापक एक जलूस बना कर जिला अधिकारी के निवास स्थान पर गये। वहां पर जिला अधिकारी ने उन्हें आश्वासित किया कि आक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

लल्लू प्रसाद इण्टर कालेज की शिक्षक संघ की यूनिट ने दिनांक 11 सितम्बर, 1971 से आक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कठोर कार्यवाही करने के लिये भूख हड़ताल कर दी है। इसी कार्यक्रम में अब जिला माध्यमिक शिक्षक संघ सम्मिलित हो गया। भूख हड़ताल अभी जारी है।

दिनांक सितम्बर 13, 1971 को कानपुर के अधिकतर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन्द रहे तथा नगर के शिक्षक दल एक जलूस बनाकर जिला अधिकारी के निवास स्थान पर गये तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया। इसी दिन जिला अधिकारी के निवास स्थान पर 3 बजे अपराह्न स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें शिक्षण संस्थाओं में शांति बनाये रखने के लिये समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। जिला अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की सुरक्षा हेतु असामाजिक एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। अब तक की प्राप्ति सूचना के आधार पर आक्रमणकारी किशन कुमार साहू एवं गंगाधर पाण्डेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय के सम्बन्ध में यह सूचना मिली है कि उसने उन्नाव कचेहरी में आत्मसमर्पण कर दिया है। शेष को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस सक्रिय कदम उठा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने नगर क्षेत्र में विशेष घुमन्तू पुलिस दस्ते तैनात कर दिया है। उक्त घटना के तारतम्य में अब कानपुर नगर क्षेत्र के डिग्री कालेजों में भी दिनांक 15 सितम्बर, 1971 को हड़ताल होनी थी।

जिला अधिकारी ने डिग्री कालेजों के एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के प्रतिनिधियों तथा डिग्री कालेजों, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के प्रतिनिधियों की एवं प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 1971 को 2 बजे अपराह्न

[श्री सोहन लाल धुसिया]

में अपने निवास स्थान पर बुलानी थी जिसमें कानपुर की शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने पर विचार विमर्श किया जाना था।

अध्यक्ष महोदय जी सूचना मुझे आज ही सुबह मिली है उसके अनुसार कानपुर जोन 3 भागों में बांटा गया है और हर जोन में वहां के जितने प्रधान अध्यापक हैं, वहां के सिटी मैजिस्ट्रेट और डी० वाई० एस० पी० हर 15 दिन बाद बैठक कर के वहां पर व्यवस्था कायम रखते रहेंगे और कानपुर में अध्यापकों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है और अब वहां शांति व्यवस्था कायम हो गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि सन्तोष कुमार पांडेय नामक आदमी जो उन्नाव में जाकर हाजिर हुआ है उसको लेकर वहां के अध्यापकों में बड़ा रोष है कि उसको एक उच्च सरकारी अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है और इसलिये उसके संरक्षण में जाकर वह उन्नाव में हाजिर हुआ ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट कर दूं श्रीमन्। जहां पर अपराध हुआ है उसी कचेहरी में आत्मसमर्पण किया जा सकता है। उन्नाव में तो क्राइम हुआ नहीं है इसलिये वहां उसका आत्मसमर्पण हो नहीं सकता। तो जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वह यह है कि उन्नाव में जो आत्मसमर्पण कर लिया गया यह क्यों हुआ, क्या किसी उच्च अधिकारी का समर्थन प्राप्त है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है नोटिस चाहिये।

जलपान गृह में मारपीट होने की सूचना

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, पहले प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन, व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये बड़ी अव्यवस्था हो रही है। स्थिति यह है कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और रियासत हुसैन ने कई बार जलपान गृह के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट किया। आज वहां पर फिर मारपीट हो गई और मारपीट हो रही है। लेकिन बार-बार ध्यान आकृष्ट करने पर भी आपने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है। तो आप इसकी व्यवस्था करें।

लल्लू प्रसाद इण्टरमीडिएट कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल पर किये गये हमले के संबंध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

शम्भू बंगाली व श्याम बाबू इत्यादि जो लोग अभी तक नहीं पकड़े गये हैं या अधिकारियों ने उनके खिलाफ दफा 87–88 की कार्यवाही करा कर उनका सामान वगैरह कुर्क कराया है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, दो प्रश्न पूछे गये और मन्त्री जी ने कह दिया कि जानकारी नहीं है। तो क्या मन्त्री बनने की क्वालिफिकेशन अज्ञान हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐड़े बेड़े प्रश्न करें कि पुलिस क्या कर रही है, अमुक कहां जा रहा है तो जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसमें हड़ताल इस बिना पर हुई है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं कर रही है, उनसे मिली हुई है। अगर इसको इवेड किया जायगा तो कैसे सैटिस्फैक्शन होगा ?

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मन्त्री यह काम नहीं करते कि पुलिस से इंक्वायरी करें।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

वक्तव्य तो मन्त्री जी ने सुना दिया लेकिन अब उसमें क्या कार्यवाही हो रही है। 10 तारीख की घटना है। स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। अगर यही कहा जायगा कि जानकारी नहीं है तो सदन को कैसे जानकारी होगी ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

आज सुबह तक की जो जानकारी थी वह मैंने वक्तव्य में दे दी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जो जानकारी दी गयी है वह अपूर्ण है।

श्री मनोहर लाल—

क्या किशन साहू नामक लड़का दो दिन पहले जो वहां यूनियन का चुनाव हुआ था उसमें वह अध्यक्ष चुना गया और वहां के अधिकारी लोग चाहते थे कि वह अध्यक्ष न चुना जाय और इसी को लेकर वहां सब जाल बनाया गया ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

इतना मैं कह सकता हूं कि वह प्रेसीडेंट यूनियन का था लेकिन वह तीसरी मर्तबा गया था ऐडमिशन कराने के लिये।

श्री मनोहर लाल—

क्या किशन साहू नामक छात्र दो दिन पहले वहां की छात्र यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। और जिस दिन झगड़ा हुआ है उसके उसी दिन शाम को शपथ लेनी थी। क्या यह सब उसके लिये रचा गया है। यह क्या सही है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

यह सब हमें नहीं मालूम है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सारे इस घटनाक्रम में जिलाधिकारी से यह जानने की कोशिश की कि ऐसा जघन्य अपराध किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

श्रीमन्, हमारे पास जानकारी इतनी ही है कि सारे झगड़े की जड़ एडमिनिस्ट्रेशन है।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

इसमें बड़ा अन्याय हुआ। शिक्षामंत्री इसका जवाब दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो जवाब यह आया है कि शिक्षा का मामला है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब। वहां पुलिस के रवैया के खिलाफ हड़ताल हो रही है। अभियुक्त भाग रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि यह वक्तव्य शिक्षा मन्त्री के जिम्मे क्यों मढ़ दिया गया है। इसका जवाब पुलिस विभाग द्वारा दिया जाना चाहिये था। यह तो पुलिस की कार्यवाही है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह मामला हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि प्रिंसिपल पर हमले के फलस्वरूप अध्यापकों के हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में उसमें वक्तव्य हो। हड़ताल जो हुई है उसमें शिक्षा मन्त्री सम्बद्ध हैं।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मेरा नोटिस उठाकर देखिये। मैंने ला-ऐंड-आर्डर के बारे में दो कटिंग्स दी हैं। उन अभियुक्तों को क्यों नहीं पकड़ा गया ? क्यों पुलिस चालान नहीं कर रही है उन अभियुक्तों का ?

श्री मनोहर लाल—

अध्यापकों की हड़ताल हो रही है। कुछ अराजक तत्वों ने प्रिंसिपल को मारा और उसकी बात को लेकर हड़ताल हुई है। शर्मा जी ने जो वक्तव्य के लिये दिया है यह इसलिये दिया है कि अध्यापक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। एक लड़का जो उन्नाव में हाजिर हुआ है, सुनने में आया है, उसमें स्थानीय दरोगा का हाथ है। वह तथ्य छिपा रही है। जब उसने देखा कि मामला काफी बढ़ रहा है, हड़ताल हो रही है तो उसने हाजिर कर दिया। हमारी तरफ हड़तालें हो रही हैं और पुलिस के खिलाफ हड़तालें हो रही हैं और उस पर वक्तव्य दे रहे हैं शिक्षा मन्त्री जी वह बता रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि जानकारी है।

श्री मनोहर लाल—

उनका कहना है कि जानकारी नहीं है तो वे सदन को क्या बतायेंगे। सदन की जानकारी में इस तरह क्या आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

केवल वक्तव्य के लिये यह कहा था।

श्री मनोहर लाल—

वक्तव्य कौन देगा। इसमें लिखा है कि पुलिस के खिलाफ जो वहां के अध्यापक हैं वे हड़ताल कर रहे हैं। वे इसलिये हड़ताल कर रहे हैं कि पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

हड़ताल अब खत्म हो गई है। ऐसा वे कह रहे हैं।

श्री मनोहर लाल—

ये तमाम प्रदर्शन वहां के अधिकारियों के खिलाफ हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल की है। मीटिंग्स हुई हैं जलूस निकले हैं। इसके बाद भी उनकी मांग है कि पुलिस की तरफ से वक्तव्य आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

आप गृह मन्त्री से पूछते फिर।

श्री मनोहर लाल—

हम मांग करते हैं कि मुख्य मन्त्री से कि इसकी पूरी जांच सी०आई०डी० से करायें।

श्री अध्यक्ष—

अब तो यह अगले सत्र में आयेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रश्नकर्ता की शिकायत है कि कलेक्टर और पुलिस द्वारा अभियुक्तों को बचाने की कार्यवाही की जा रही है। तो क्या मुल्जिमान के खिलाफ इस एलीगेशन की जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे कोई कागजात माननीय सदस्य के पास हों तो वे दें कि क्या शिकायत है। अवश्य जांच करा लेंगे बहुत जल्दी।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्य स्थगन के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

बनारस में 100 परिवार जला दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि इसकी जानकारी हासिल कर सूचना दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या उन्होंने ऐसा कहा है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उनके पास भेज दिया है, और उसके ऊपर लिख दिया है, कि शाम को बतला दें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

शाम को लिस्ट में कोई काम नहीं है इसलिये इस पर बहस करा दी जावे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

बहस करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह सूचना दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

आज शाम को दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जो बात होगी उसको बतलावेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह गृह मंत्री बैठे हुये हैं वह सूचना लेकर शाम को हम लोगों को बतला दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)--

कल नियम 51 में सीतापुर के वक्तव्य के लिये मंजूर किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

कोई खबर नहीं मिली इसलिये वह रक्खा नहीं था, केवल दो वक्तव्य रक्खे थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

सीतापुर के लिये कह दिये होते तो हम ही चले गये होते।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, १९७१ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत†)

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

कान्सटीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल पर जो बहस हो रही थी उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कृष्णानन्द राय जी का आभारी हूं कि उन्होंने विस्तृत रूप से जो सारे कान्सटीट्यूशनल प्वायन्ट्स हैं उसके विषय में विस्तृत वर्णन किया है। दफा 368 प्रोसीडचूरल हो या सब्सटैन्विटव हो यह बड़े विवाद की चीज है। श्रीमन्, फुट नोट ऐसा नहीं है कि सारी

---

†16 सितम्बर, 1971 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातें गवर्न करे। हम इसको भी बदल रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि 368 का प्रोसीड्यूरल अमेन्डमेंट ही नहीं है इसमें एक सब्सटैन्टिव राइट भी पार्लियामेन्ट को दिया गया है कि कान्सटीट्यूशन इस देश की इच्छाओं के अनुसार बदल सकें। एक चीज माननी पड़ेगी कि सार्वभौम-सत्ता इस देश के नागरिकों को है। उनकी इच्छाओं के अनुसार संविधान जो बनेगा उसको उसी रूप में चलना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि कोई संविधान जो बनाया अपने हितों की रक्षा के लिये, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये, अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिये अगर वह जीवित है तो उसको उसके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ होती है और वह उनकी आशाओं के अनुकूल नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि कौन सी पद्धति अपनावें कि आशाओं के अनुकूल उसे बाध्य कर सकें, चाहे अमेंडमेन्ट करके हो या माडीफाई करके हो। यह हमारी कान्सटीटयूशनल गारन्टी है और हमारा राइट है। विधान स्वतः निर्जीव है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पार्लियामेंट के माध्यम से होती है। पार्लियामेंट यह तय करती है कि देश के लोगों की इच्छायें क्या हैं और उसके अनुकूल कार्य करता है। जब बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था तो यह तय होना चाहिये था कि कम्पनसेशन का क्वान्टम कितना हो।

(इस समय 2 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर हरिप्रसाद शाही पीठासीन हुए।)

जब भी मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की सरकार ले तो उस वक्त जो बाजार भाव था उस भाव से कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। जब हम और आप जानते हैं कि सैकड़ों सालों का इतिहास बताता है कि इन बैंकों ने कितना धन कमाया। जो पूंजी लगाने वाले लोग थे उन्होंने जितना लगाया उससे कई कई गुना धन कमा लिया। जब हम उन बैंकों को बाजार भाव पर कम्पेन्सेशन देंगे तो हम को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि गत 70, 80 या 100 सालों में उन्होंने कितना शोषण किया है। पार्लियामेंट के सामने यह बात भी आई। कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो हुआ उसका विचार करके कम्पेन्सेशन का एमाउन्ट 75 करोड़ से बढ़ा कर 89 करोड़ कर दिया गया। पार्लियामेंट यह जानती थी कि हम सुप्रीम हैं और उसका इन्टरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है दूसरा कोई नहीं, पार्लियामेंट ने कम्पेनसेशन जितना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था वह दिया। राजा महाराजाओं के हकूकों को खत्म करने की बात आई। प्रिवेलेजेज जो हैं वे फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करता है। जब उसमें यह है तो उनको अधिकार नहीं है कि पार्लियामेंट उसको तय कर सके या उसके वितरित करने का कार्य कर सके। जैसा कि हमारे कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि सन् 1950 से 65 तक हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इसको चेंज करने का अधिकार संसद को है। जिन परिस्थितियों में गोरखनाथ का केस हुआ उसमें 5 के मुकाबिले 6 जजेज ने इसका फैसला उनके पक्ष में किया। केवल एक की मेजारिटी थी। केवल 1 के बहुमत में 15 सालों के जजों के फैसले बदल दिये गये। श्री शीतलवाड ने कहा था कि यह फैसला पोलिटिकल जजमेंट था, राजनीतिक था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। अब जो प्रश्न उठता है अनुच्छेद 368 के बारे में कि यह प्रिवेन्टिव हैं या सब्सटेन्टिव राइट्स हैं। इसको बदलने के लिये पार्लियामेंट ने इसको पास किया। आधे से अधिक हमारी विधान सभाओं को इसको बदलना आवश्यक है और इसीलिये यह यहां आया है। जब हम मानते हैं कि हमारे दो तरह के राइट्स हैं एक तो नेचुरल राइट्स और दूसरे एक्वायर्ड राइट्स। नेचुरल राइट्स में हमको प्रकृति ने जो चीजें दी हैं जैसे वर्षा, धूप आदि और वे सभी को एक समान उपलब्ध हैं। दूसरे राइट्स हैं एक्वायर्ड राइट्स। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं जैसे कि समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, काम का अधिकार आदि। जहां तक कि सेक्शन 8 से लेकर 21 तक का सवाल है इसमें समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो हम रीजनेबुल रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं। ये तो एक्वायर्ड राइट्स हैं। इसमें प्रापर्टीज को होल्ड करने का अधिकार है और इसी बिना के ऊपर राजा महाराजाओं के प्रीवीपर्सेज की बात आई। उनका यही कहना था कि राजा महाराजाओं का यह फंडामेंटल राइट है और पार्लियामेंट को इसको चेंज करने का अधिकार नहीं है।

[श्री राजमंगल पांडेय]

कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में से राइट टु प्रापर्टी अगर डिलीट कर दिया जाय तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या यह 368 में अमेंडमेंट से हो सकता है या 13 के अमेंडमेंट से हो सकता है ? श्रीमन्, 368 बिल्कुल अलग चीज है और आर्टिकल 13 अलग चीज है। श्रीमन्, हमारा जो संविधान है इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों की चीजें मिक्स्ड हैं। जहां इसमें रिजीडिटी है, जुडीशल, लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव का जहां तक सवाल है वहीं इसमें प्रेसीडेंट को इमरजेंसी पावर्स भी है कि वह संविधान को सस्पेंड कर सकता है, पार्लियामेंट को सस्पेन्ड कर सकता है। लेकिन चूंकि कांस्टीट्यूशन एक निर्जीव चीज है, उसकी अभिव्यक्ति पार्लियामेंट से होती है। इसलिए दोनों को अलग करना ठीक नहीं होगा। हम यह मानकर चलते हैं कि पार्लियामेंट को अधिकार है समय की परिस्थितियों को देखते हुए वह संविधान में इस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुसार संशोधन कर सकती है। यदि नहीं करेगी तो वह संविधान मुर्दा है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे संविधान को कोई भी देश नहीं चाहेगा। जब संविधान जीवित है और जनता के जीवित विश्वास का प्रतीक है तो फिर उसकी अभिव्यक्ति पार्लियामेंट को करनी है या नहीं ? आज हमारे सामने लाखों, करोड़ों लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता का सवाल है। जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। संविधान के कुछ आर्टीकिल्स उसमें रुकावट हैं। अगर उनको नहीं बदला जाता तो हम लोगों को कब तक रोक सकते हैं। पाकिस्तान में तथा बर्मा में भी संविधान था लकिन जब वहां के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने उसे ताक में रखकर सरकारी हुकूमत अपने हाथ में ले ली। इसलिए जहां संविधान की मर्यादा है वहां देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की भी मर्यादा देखनी पड़ेगी। अगर संविधान कुछ दिक्कत पैदा करता है तो उसको दूर करना पड़ेगा अगर हमें प्रगति के राह पर चलना है, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार चलना है।

श्रीमन्, मैं कुछ उद्धरण भी इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। एक ब्रिटिश फिलास्फर मि० थाम्सपेन थे। उन्होंने कहा है--

"There never did there never will and there never can exist a Palriament or any description of man or any generation of man in any country possessed of the right of the power of binding and controlling posterity to the end of time or of commanding for ever how the world shall be governed or who shall govern it."

तो इससे जाहिर है कि कोई भी संविधान हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को इस हद तक नहीं बांध सकता कि वह अपनी आकांक्षाओं और आशाओं के अनुसार न चल सके।

श्रीमन्, अमेरिका में अब्राहम लिंकन और जैफरसन बहुत बड़े आदमी हुए हैं। श्री लिंकन ने कहा है--

"Our judges are as honest as other men and not more so. They have with others the same passions for party for privilege for power and the privilege of their corps....."

"..... Their power is more dangerous as they are in office for life and not responsible as the other functioraries".

तीसरी चीज मैं श्रीमन् के सामने यह रखना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन के सम्बन्ध में बातें हुई थीं कि जमींदारी एबालिशन करें या न करें। 10-9-1949 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा बतलाया था:--

"Within limits no judge and no Supreme Court can make itself a third chamber No. Pupreme court and no judiciary can stand in judgement of. the soverign will of Parliament representing the Will of the entire commuity"

तो इससे साफ जाहिर है कि यदि कोई जज या सुप्रीम कोर्ट देश की प्रगति में कोई व्यवधान करते हों तो उसके लिए इस पार्लियामेंट को अधिकार ह कि वह संविधान को बदल दे या उसमें तरमीम कर दे और उस हद तक तरमीम कर दे ताकि इस देश की प्रगति में कोई व्यवधान न हो और आने वाली पीढ़ियों को हम यकीन दिला सकें कि हमारा संविधान जनता के विश्वास के अनुकूल कार्य कर रहा है।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, नेता सदन ने जो संविधान में 24वें संशोधन के समर्थन में प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे भय है कि मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा इसलिए मैं प्रारम्भ में ही आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत कम बोलता हूं—थोड़ा समय ज्यादा दे दीजियेगा और इस संबंध में मेरी एक कठिनाई यह भी है कि बड़ी भ्रामक बातें कही गयी हैं। पहले उन भ्रामक बातों का ही उत्तर मुझे देना है।

सबसे पहली बात जो फैलायी जा रही है और समर्थकों में से प्रत्येक ने बार-बार कहा है कि यदि संविधान में शान्तिपूर्ण ढंग से संशोधन नहीं किया गया तो इस देश में क्रान्ति होगी और इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा समझदार व्यक्ति इस देश में है जिसने यह कहा हो कि संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकता है। मैं इस गलतफहमी को प्रारम्भ में ही दूर करना चाहता हूं। मैं इस बात का हिमायती नहीं हूं कि एक बार जो संविधान बन गया वह बदला नहीं जा सकता है। मैं मानता हूं कि ज्यों-ज्यों मानव जाति का विकास होगा उसी क अनुसार उनके विचारों और मान्यताओं में भी परिवर्तन होगा और उन परिवर्तनों के अनुसार संविधान बदलेगा तथा कानून बदलगा। मैं समझता हूं कि किसी ने इस देश के अन्दर ऐसा नहीं कहा ह कि संविधान बदल ही नहीं सकता है। फिर यह भ्र म क्यों पैदा किया जा रहा है। मुझे आपत्ति केवल इस बात की है कि बदलने का ढंग क्या हो? मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान ही में संविधान की धाराओं को बदलने के 3 तरीके लिखे हुए हैं। कुछ अधिकार क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें केवल बहुमत से ही संविधान की धाराएं बदली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रदेश का नाम बदलना है या किसी राज्य की सीमा घटानी-बढ़ानी है तो 2/3 बहुमत से भी नहीं, बल्कि लोक सभा साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें पार्लियामेंट 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब लोक सभा 2/3 बहुमत से प्राप्त कर ले तब विधान सभाओं को भी भेजें और उनसे भी अनुमोदन प्राप्त करें। बावजूद गोलकनाथ केस में अभी भी संविधान को बदलने की काफी छूट है और जब यह छूट है तभी तो संविधान में 23 संशोधन हो चुके हैं। श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गोलकनाथ केस का फैसला सन् 1967 में हुआ। गोलकनाथ केस का जजमेंट जिन लोगों ने लिखा उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि फण्डामेंटल राइट्स को बढ़ाना हो तो उसक लिए पार्लियामेंट सक्षम है, वह फण्डामेंटल राइट्स बढ़ा सकती है।

हमारे माननीय कृष्णानन्द राय ने अमेरिका का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर भी बिल आफ राइट्स में संशोधन हुये हैं। माननीय जयराम वर्मा जी न भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स स्टेटिक हैं और डायनेमिक केवल डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स हैं। मैं उनस निवदन करना चाहता हूं कि अमेरिका में जितनी बार भी बिल आफ राइट्स में संशोधन हुये हैं, हर बार नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के विस्तार के लिये संशोधन हुये हैं, उनको कम करने के लिये कभी संशोधन नहीं हुये हैं। एक बार भी उनको कम नहीं किया गया है। हमारे देश में जब-जब संशोधन हुये हैं तब-तब नागरिकों के फन्डामेंटल राइट्स को बढ़ाने के बजाय कम करने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह—]

लिये संशोधन हुये हैं। अब मैं डायनेमिक और स्टेटिक पर आता हूं। आज अगर आप यह कहें कि इसमें यह जोड़ दिया जाय कि प्रत्येक नागरिक को काम करने का अवसर देंगे तो यह फंडामेंटल राइट्स का विस्तार कहा जायेगा क्योंकि उससे नागरिकों को लाभ पहुंचेगा और यह डायनेमिक कान्सटीट्यूशन का अंग होगा। फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाना डायनेमिज्म का सबूत है और उसको कम करना सिलेवरी है, वह डायनेमिज्म नहीं हो सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि संविधान की 2—3 धारायें ही नहीं, जहां जहां कमजोरी है जो पिछले 20 वर्षों में पायी गयी हैं, उन्हें दूर करने के लिये पूरे संविधान को ही बदलने के लिये आप कान्सटीट्युएन्ट असेम्बली बिठा दें अथवा रिफ़्रेंडम हो। मैं चाहता हूं कि आप इस 24 वें और 25 वें संशोधन पर जनता की स्वीकृति ले लें। इसमें किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब रिफ़्रेंडम क्या है, इसके बारे में मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो कहा है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिफ़्रेंडम तो हो चुका। उनका तात्पर्य पिछले चुनाव से था जिसमें उनके दल को बहुमत मिला। तो पहल में रिफ़्रेंडम की परिभाषा पंडित नेहरू ने जो बतायी, वह मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, पहले जो काश्मीर में एक प्रावीजनल एक्सेशन हुआ था, यानी पहली बार जब वहां चुनाव हुआ तो शेख अब्दुल्ला पावर में आये। उन्होंने पंडित नेहरू को उस समय लिख कर भेजा कि यह चुनी हुई असेम्बली है, हम यह प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं कि यह एक्सेशन कम्पलीट ह। उन्होंने लिखा कि हम इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं क्योंकि यह चुनी हुई असेम्बली ह जो अडल्ट फ़्रंचाइज से चुनी गयी ह। उस पर पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यह इस तरह का चुनाव रिफ़्रेंडम नहीं हो सकता। रिफ़्रेंडम वह है कि जब किसी विशेष प्रश्न को लेकर जनमत संग्रह किया जाय। इसी तरह आपका जो पिछला चुनाव था वह रिफ़्रेंडम नहीं कहा जा सकता। हां, वह तब होता जब यदि आपने अपने मैनीफेस्टो में यह कहा होता है कि हम संविधान में यह यह 24वां और 25वां संशोधन करेंगे। अगर उस मैनीफेस्टो में आप उसको कह देते तो यह रिफ़्रेंडम हो जाता, हम उसे स्वीकार कर लेते। उस वक्त आपको यह करने का पूरा हक था।

मान्यवर, बहुमत की बात कही जाती है। कुल मतदाताओं में से केवल 54 फीसदी लोगों ने अपने मतों में का प्रयोग किया यानी 54 फीसदी लोगों ने अपने वोट डाले। 46 फीसदी नहीं गये। इसमें से भी 43 फीसदी के करीब लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। अब गणित का प्रयोग करके देखें। इससे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुल का केवल 23.2 फीसदी वोट कांग्रेस को मिला। देश के कुल मतदाताओं में से चार में से एक का मत, पाजीटिव वोट, इनको मिला।

एक सदस्य—

बाकी का क्या हुआ?

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)—

मैं रेफ़्रेंडम की बात कर रहा हूं। आब्जेक्टिव वोट 23.2 प्रतिशत रहे। अब एक तो यह बात हुई—रेफ़्रेंडम की हुई दूसरी बात आप पूछ सकते हैं कि भाई, इतने संशोधन होते हैं, और होते रहते हैं, तो हर बार तो यह नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि 24वां जो हुआ है, उसको हम अकेले नहीं सोचते ह, क्योंकि 25वां भी पेश हो गया है, और वह बानगी से सरकार के आने वाले रवये की। आपका मुख्य उद्देश्य गरीबी मिटाना है। आप कहते हैं कि गोलकनाथ

केस का फैसला ऐसा हो गया कि हम डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स इम्पलीमेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका फैसला तो सन् 67 में हुआ है, सन् 50 से 67 तक तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ था, उस अवधि में आपने कौन-सा तीर मार लिया? कितने डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स का इम्प्लीमेंटेशन किया आपने इस बीच? डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स की संख्या 13 है। जो उप धारा 39 से लेकर 51 तक है। 12 पूरी-पूरी धाराएं इसके सम्बन्ध में हैं। उसमें से दो उपधाराओं को छोड़ कर कौन से डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स ऐसे हैं, जिनको इम्पलीमेंट करने में आज तक, कानून में, गोलकनाथ केस को भी मद्देनजर रखते हुए, कठिनाई रही है? मैं डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स पर सरसरी तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"Certain prlnciples of policy to be followed by the State.

Organisation of village panchayts.

Right to work, to education and to public assistance in certain cases. Living wage for workers.

इन सबको लागू करने से आपको किसने मना किया था? और देखिए—

"Provision for free and compulsory education for children."

अपने देश में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बेपढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ाने में आपका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, जब तक वे ज्यादा संख्या में नहीं होंगे तब तक इनकी गद्दी नहीं चल सकती है। आप इस देश में इन सबमें आज सबसे पीछे हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि 13 में से पौने तेरह में, किसी में कोई बाधा नहीं है। 17 वर्ष तक कोई बाधा आपको नहीं रही है। आपने कौन सा तीर मार लिया है इतने समय में, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। कल श्रीमती बाजपेयी जी कह रही थीं गरीब बच्चों को दूध नहीं मिलता है, उन्हें यह तकलीफ है, वह तकलीफ है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर कौन उसके लिए जिम्मेदार है? यदि आपका ऐसा विचार है कि इस देश के बड़े लोगों को सम्पत्ति विहीन बना कर देश से गरीबी हट सकती है, तो मैं चुनौती देता हूं कि आप सम्पत्ति ही नहीं जो एक हजार सबसे अधिक सम्पत्ति वाले लोग हैं, उनको खड़े कर के गोली मार दें। बशर्ते कि आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को इम्पलीमेंट कर सकते हों। आप एक हजार में हमें भी शामिल कर सकते हैं, मैं उसके लिये तैयार हूं कि यदि आप डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को इम्पलीमेंट करने की शक्ति रखते हों तो हमारे साथ में एक दो हजार आदमियों को गोली से मार दिया जाए। किन्तु यदि वह नहीं कर पायेंगे तो वह हमें क्या देंगे? तो क्या वे इसके लिये तैयार होंगे कि इसमें असफल होने पर इस देश के एक हजार राजनीतिक नेताओं को मार दिया जाए। घड़ियाली आंसू बहाना एक बात है। खाली जनता के लिए नारे दे देना बहुत सरल काम है। लेकिन वास्तव में देश की गरीबी दूर करना इनके बस की बात नहीं है। गलत रास्ते पर हैं। 1959 में कांग्रेस ने समाजवाद इस देश में स्थापित हो इसका प्रस्ताव पास किया। 1960 से 1970 के बीच में इस देश के नागरिकों की औसत आमदनी चार प्रतिशत बढ़ी है। जब कि उसी अवधि में जापान में 116 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 87 प्रतिशत और सिंगापुर में केवल पांच वर्षों में 50 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। समझ में नहीं आता है, फिर भी कहते हैं कि हमारा तरीका ठीक है। एक बात और बार-बार कही गयी कि इस देश में 10 प्रतिशत सम्पत्ति वाले लोग हैं और 90 प्रतिशत सम्पत्तिविहीन हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, आज के दिन कम से कम कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

चार मिनट और समय देता हूं।

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)]

आप कहेंगे तो कभी नहीं बोलूंगा लेकिन आज बोल लेने दीजिये। मुझको आश्चर्य होता है कि किस तरह से एक गलत बात कोई बड़ा नेता कह देता है और मझले नेता उसी को दोहराने लगते हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, माननीय जयराम वर्मा जी ने कहा कि 90 प्रतिशत सम्पत्ति विहीन हैं। उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक साधारण सी बात है। इस देश में प्रत्येक किसान सम्पत्ति वाला है चाहे दो एकड़ वाला हो या तीन एकड़ वाला हो। उसकी संख्या कितनी है? देश की पूरी आबादी की पचास फीसदी से ज्यादा है। एक ही काम करने वाले इस देश के नागरिकों में, पचास फीसदी से ज्यादा सम्पत्ति वाले हैं। फिर और लोग हैं, दूकानदार हैं, रिक्शे चलाने वाले हैं। तो यह कह देना कि 90 प्रतिशत व्यक्तियों के पास सम्पत्ति नहीं है, और दस प्रतिशत उनका शोषण करते हैं, यह कितनी गलत बात है। अगर आप में साहस है तो इन दोनों विधेयकों पर रेफरेंडम करवाइये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आये हैं, 24वें को अलग से देखना ठीक नहीं है, 25 वें पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं, यद्यपि मेरी राय नहीं है, मुमकिन है इनकी राय सही हो, जितनी सम्पत्ति वाले हैं, उनकी सम्पत्ति छीन ली जाय तो गरीबी दूर हो जायगी। सारे साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, यद्यपि जिनका राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं उनका रेकार्ड यह है कि अभी वह प्रत्येक वर्ष नुकसान ही उठा रहे हैं। जो एक बड़ी पूंजी लगी हुई है सरकारी-कारोबार में उससे इस देश के नागरिकों को एक पैसे का मुनाफा नहीं है। बल्कि 24 करोड़, 24 करोड़, 60 करोड़ का प्रयेक वर्ष निरन्तर घाटा होता जा रहा है। यह उत्सुक हैं और भी उसी बद-इन्तजामी के अन्दर ले आयें। पहले आप कुछ करके दिखाते तो हम भी कहते कि इसे भी आपके सुपुर्द किया जाय। आपने जो कुछ लिया चौपट किया। आप उसका नाम राष्ट्रीयकरण कहते हैं, अगर उसको नाम चौपटीकरण कहें तो गलत नहीं होगा। जो कुछ आपने लिया चौपट करके छोड़ दिया। राज्य विद्युत् परिषद् की चर्चा हो रही है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन वह भी नमूना है।

मैं पच्चीसवें संशोधन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि केवल उद्देश्य यह है कि गोलकनाथ के केस के पहले की स्थिति रखी जाय, पच्चीसवें संशोधन में विशेष कर इस धारा की क्या आवश्यकता है? 24 वां संशोधन है और 25 के पैराग्राफ 1 व 2 हैं उससे किसी नागरिक अथवा संस्था की सम्पत्ति ले सकते हैं। 31 सी इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं और यह इस बात का नमूना है कि यह सरकार क्या कराना चाहती है:—

"Notwithstanding anything contained in article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing the principles specified in Clause (B) nor Clause (C) of Article 39 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 Article 19 or Article 31 and now law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy."

मैं सारांश में इसका अनुवाद कर दूं। इसका आशय यह है कि कोई भी कानून, चाहे कुछ भी धारा 13 में लिखा हो संविधान की यदि उसमें एक क्लाज यह डाल दिया जाय कि यह डायरेक्टिव प्रिंसपिल्स के इन क्लाजेज की पूर्ति हेतु बनाया जा रहा है तो फिर यह ध्यान नहीं रखा जायगा कि वह 14, 19 अथवा 31 वें अनुच्छेद का किसी तरह से उल्लंघन करता है और किसी भी व्यक्ति को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह किसी कोर्ट आफ ला में जा कर कहे कि

जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार इसको ला रही है उस उद्देश्य की पूर्ति उससे नहीं होती डायरेक्टिव प्रिन्सिपुल्स (बी) तथा (सी) जिनका हवाला है उनमें यह कहा गया है:—

"(*b*) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ; and

(*c*) That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कोई सरकार बनी। आज कल जिस तरह से नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है उसकी आलोचना की जाय या जिस तरह से वह अपने मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करती है उसकी आलोचना करे और वह सरकार यह कानून बनाये चूंकि ये नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं इसलिए है कि कंसन्ट्रेशन आफ वेल्थ न हो इसलिए उनकी आलोचना करना जुर्म है तो क्या इससे फ्रीडम आफ स्पीच खत्म नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एंग्लो इंडियन्स की एक कम्युनिटी है जिसने अनेक विद्यालय तथा अस्पताल खोल रखे हैं। अब अगर सरकार ने यह कहा कि आपके पास कंसन्ट्रेशन आफ वेल्थ हो गयी है यह सारा इन्तजाम अब सरकार करेगी तो मायनारिटी राइट्स या प्रोटेक्शन के लिए जो धारायें हैं वे कहां रह जाती हैं ? इसके बाद वे क्या ले कर खड़े होंगे। इसके बाद अगर कोई समाचार-पत्र किसी विषय पर जरा सा भी इनडायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स को छूता है उसे रोक देने का अधिकार है तो फिर उस अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जा सकेगा ?

अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या नुस्खा है, कैसे गरीबी-अमीरी का अन्तर दूर हो ? मैं मानता हूं कि अन्तर कम होना चाहिए लेकिन मैं आपके सामने कुछ टैक्सेशन के आंकड़े रख देना चाहता हूं जो पिछले सेंट्रल बजट में पास हुए हैं। उसमें वेल्थ टैक्स के रेट की एक सीमा के बाद 2 परसेंट से 8 परसेंट कर दिया गया है यदि आप वेल्थ टैक्स को एक साल के अन्दर चौगुना कर सकते हैं, 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कर सकते हैं तो कौन सी कानूनी अथवा संवैधानिक अड़चन है कि आप से उसे 8 से 32 प्रतिशत नहीं कर सकते ? अगर यही चीज है तो आप दो-तीन साल में कितना ही वेल्थ-टैक्स ले सकते हैं। जहां तक सम्पत्ति का सवाल है उसमें अगर किसी की पांच लाख की आय है तो इस पांच लाख में से 4 लाख 44 हजार टैक्स दे देना पड़ता है। अगर 10 लाख की आय है तो 9 लाख 34 हजार टैक्स दे देना पड़ता है। अगर आज इस देश में धनवान लोग हैं, लखपति और करोड़पति लोग हैं तो वह सिर्फ इसीलिए हैं कि यह सरकार सक्षम नहीं है अपने कानूनों को लागू करने के लिए। वह अकर्मण्य है और अव्वल दर्जे की बेइमान है। इस तरह का टैक्शन होते हुए कोई कैसे धनवान हो सकता है इस देश में ? तो अपनी क्षमता को छिपाने के लिए और अपने पूरे 20–25 वर्षों के रिकार्ड को छिपाने के लिए एक गोलकनाथ केस को बहाना बनाया गया। लक्ष्य तो आपका कोई दूसरा ही है और वह 31 (सी) से साबित हो जाता है। और जब संविधान में मूल परिवर्तन करने की जरूरत हुई तो आज आप भारत की जनता से उसे स्वीकार करा रहे हैं ?

*श्री शांतिचरण पिंडारा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से मैं बड़े ध्यान से इस वाद-विवाद को सुन रहा हूं और खासतौर से जिन्होंने विरोध किया है उन स्वतंत्र पार्टी के नेता के भाषण को मैंने सुना। काफी ध्यान से इसलिये भी सुना और यह समझकर सुना कि वे कोई खास चीज हम लोगों को बतायेंगे। मुझे लगता है कि उनके सामने संविधान का 24 वां संशोधन नहीं है बल्कि 25 वां संशोधन है जिसका भय उनको सता रहा है और जिसके कारण वे सोच नहीं पा रहे हैं और चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं ताज्जुब करता हूं कि कितने गुस्से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिचरण पिंडारा]

में उन्होंने ये चीजें कहीं। उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है क्यों कि उनके दिल में 25 वें संशोधन का भूत समाया हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां पर राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है बल्कि चौपटीकरण हुआ है और उसके लिए उन्होंने चौपटीकरण शब्द का प्रयोग किया है....

श्री भानुप्रताप सिंह---

मैंने सही कहा है....

श्री शांतिचरण पिंडारा---

चौपटीकरण की बात उन बड़े-बड़े महलों और बड़े-बड़े मकानों के लिये हो सकती है किन्तु यदि आपको देखना ही है तो पश्चिमी जिलों के देहातों में जाकर देखिए कि चौपटीकरण हो रहा है या उनमें कितनी खुशहाली हो रही है। कुछ थोड़े से लोगों का अवश्य चौपटीकरण हो रहा है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं और शायद कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि सारे सूबे में बरबादी हो रही है। उन्होंने जिन बातों को कहा उनसे मालूम होता है कि वे सभी कंट्राडिक्टरी थीं। उन्होंने एक बात कहीं और उसका विरोध दूसरी बात से किया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि संविधान के सारे जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब में परिवर्तन किया गया है। जब वे ऐसी बात करते हैं तो इस 24 वें संशोधन के विरोध में बोलने के लिए उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए था। चीज बिलकुल स्पष्ट है। यह जो संशोधन हैं वह तो केवल डिक्लामेंटरी और कन्फरमेंटरी है जिसमें यह कहा गया है कि जो चीज है उसमें परिवर्तन करने का हमारा अधिकार है। एक बात उन्होंने जरूर कही और मैं चाहता हूं कि हाउस के सामने उसके बारे में कुछ कह दूं। उन्होंने कहा कि फंन्डामेन्टल राइट्स को बढ़ाने की बात सोची जानी चाहिए। फन्डामेन्टल राइट्स को कम करने की बात नहीं सोची जानी चाहिए। उन्होंने अमेरिका के बिल आफ राइट्स में संशोधन करने की बात कही। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस हाउस का ध्यान संविधान सभा की ओर दिलाना चाहता हूं जो संविधान सभा सन् 1948 से लेकर 1950 तक दिल्ली में बैठी थी। उसमें कौन लोग थे। उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। उस संविधान सभा में उन विधान सभाओं के प्रतिनिधि थे जिसमें कि प्रापर्टी वाले लोगों को चुनकर भेजा गया था। उस संविधान सभा में और प्रतिनिधि थे और उसमें कुछ फंडामेंन्टल राइट्स को जोड़ दिया गया जिनका जोड़ा जाना जरूरी नहीं था। जिनको खत्म करने की जरूरत थी तो कौन सी परेशानी पैदा हो रही है।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या जवाहरलाल नेहरू जी उसके सदस्य नहीं थे?

श्री शान्ति चरण पिंडारा---

वे जनता के प्रतिनिधि इस माने में नहीं थे कि यहां से चुन कर भेजे गये थे और यहां जो चुनाव हुआ उसमें वे लोग थे जिनको जनता द्वाराचुना गया था जो एडल्ट फ्रेन्चाइज में नहीं आते थे। मैं कह रहा था कि हमें सोचना चाहिए कि संविधान सभा ने ऐसे फंडामेंटल राइट्स रख दिये जो उचित नहीं थे तो उनको खत्म करने का हमारा अधिकार कहीं नहीं जाता है।

मैं जो कहना चाहता था उसको तो हाउस के सभी पक्षों ने मान लिया है। स्वतंत्र पार्टी ने भी मान लिया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है अगर फंडामेंटल राइटस में या संविधान में परिवर्तन किया जाय। मैं इस हाउस का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जब अमेरिका में स्लेवरी खत्म करने के लिये मामला आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि स्लेवरी खत्म नहीं की जा सकती है क्योंकि वह प्रापरटी है। उनका अधिकार नहीं है। उस समय क्या हुआ था? वहां सिविल वार हुई और मानना पड़ कि इसे खत्म किया जा सकता

है। मेरा कहना यह है कि हमें समझ लेना चाहिये कि इस तरह के फंडामेंटल राइट्स के खत्म करने की बात कही जा सकती है और कही जानी चाहिये।

यहां सुप्रीम कोर्ट के बारे में और सुब्बाराव साहब के बारे में बहुत सी बातें कही गई। यह वही सुब्बाराव हैं जब वे चीफ जस्टिस नहीं रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और उस समय सारे विरोधी दलों ने, चाहे वे लेफ्टिस्ट कहते थे, चाहे राइटिस्ट कहते थे, सबने मिलकर कांग्रेस कैंडीडेट के खिलाफ इनका समर्थन किया था। यह चीज इतिहास की है और मैं चाहता हूं कि हाउस इसको समझ ले कि हम लोग कुछ भी कहें। जब दूसरी कोई चीज आती है तो आप सुब्बाराव को गाली देते हैं और उस समय कह रहे थे जब वे गोलकनाथ केस का फैसला दे चुके थे। वह समय आ सकता है जब सुप्रीमकोर्ट कहे जो परिवर्तन चौब्बीसवें संशोधन द्वारा किया है वह अवैध है। यह चीज सम्भव हो सकती है। उस समय सुप्रीमकोर्ट को होलीबाडी मानकर हम चुप न रह जायं बल्कि वही करें जो रुजवेल्ट ने न्यू डील के संबंध में अमरीका में कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा तो उस समय कहा कि हम जजेज की संख्या बढ़ सकते हैं। आखिरकार हिन्दुस्तान में यही कहा जा रहा है। मैं कहता हूं कि इसमें क्या बुराई है। जब जनता विवश हो जाय उस समय कुछ लोग जनता की आवाज को रोकने के लिए कटिबद्ध हों तो उस समय यही बात कही जाय कि हम जजों की संख्या बढ़ा देंगे तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है ? मेरे ख्याल से जनता की आवाज एक तरफ है और थोड़े से लोगों की आवाज दूसरी तरफ है तो थोड़े से लोगों की आवाज को बन्द करना पड़ेगा। एक चीज और मैं हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि और मेरा खयाल है कि उसको हाउस ने एक अहम बात समझा है। सुप्रीम कोर्ट की बहसों में यह कहा गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया गया तो पार्लियामेंट किसी दिन इस रिपब्लिक को किंग्डम या मोनार्की में बदल देगी और किसी दिन पार्लियामेंट यह भी कह सकती है कि राइट आफ वरशिप या राइट आफ एक्सप्रेशन भी किसी को न होगा, मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसके इस अधिकार को कोई रोक नहीं सकता।

श्री भानुप्रताप सिंह---

पार्लियामेंट सुप्रीम है यह कांस्टीट्यूशन में कहां लिखा है ?

श्री शान्ति चरण पिंडारा---

डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

यह पिंडारा जी जो कह रहे हैं। वह किसी आधार पर कह रहे हैं या यह उनके दिमाग की कोई उपज है ?

(व्यवधान)

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री शान्तिचरण पिंडारा---

माननीय बसन्त लाल जी इस बात को स्वयं जानते हैं, फिर मैं क्या कहूं। मैं यह कह रहा हूं कि पार्लियामेंट एक सावरेन बाडी है। वह सब कुछ कर सकती है। सवाल यह है कि हमें जनता में कितना विश्वास है। जनता को हम कितना पावरफुल समझते हैं और कितनी ईमानदार समझते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

उनकी बातों से तो ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार से वह आर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवध घोषित कर दिया गया था उसी प्रकार से यह संशोधन भी अवध घोषित कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय बांकेलाल जी कभी कहते हैं कि माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है और कभी कहते हैं जानकारी है।

श्री शान्तिचरण पिंडारा---

मैं तो यह कह रहा था कि हमारी जनता कितनी जिम्मेदार है, जनता में कितनी शक्ति है, यह बात तो इसके ऊपर निर्भर करती है।

श्री बांकेलाल---

धन्य है इस मुल्क की जनता और धन्य हैं आप।

श्री शान्तीचरण पिंडारा---

इन शब्दों के साथ, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा संविधान एक तो अंग्रेजों के वक्त में बनाया गया था। अंग्रेजों के वक्त में ही कांस्टीटुयूएंट असेम्बली का चुनाव हुआ। वह बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं बनी बल्कि सीमित वोट वाले लोगों के द्वारा बनायी गयी थी। इन दोनों चीजों का असर संविधान पर बराबर दिखाई देता है। मैं उन लोगों की शान में तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना कहूंगा कि अंग्रेजों के वक्त में चुने हुए और सीमित वोट वाले लोगों के द्वारा चुने गये थे इसलिये यह स्पष्ट है कि संविधान आदर्श संविधान न बन सका। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें भी पसन्द नहीं है। गौर से अगर देखा जाय तो संविधान की डंडी सम्पत्ति के पक्ष में कुछ झुकी हुई है। जैसे मौलिक अधिकारों में स्थान मिल गया सम्पत्ति के अर्जन का, उसको रखने का और उसको देने का। उसी तरह से अगर सार्वजनिक उपयोग के लिये आप सम्पत्ति का अर्जन करना चाहें या ग्रहीत करना चाहें तब भी बगैर मुआविजा के उस को कर नहीं सकते हैं। अगर आप और आगे जायें तो आपको इसमें ऐसी धारायें मिलेंगी कि जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आदमी की जिन्दगी को सम्पत्ति के मुकाबले गौण स्थान मिला हुआ है। जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का तो कोई आदमी अगर अदालत से मौत की सजा पा गया है और हाई कोर्ट भी उसी सजा को बरकरार रखता है तो जब तक हाई कोर्ट उसको यह सर्टिफिकेट न दे दे कि यह केस अपील के लायक है तब तक वह अपने अधिकार से अपील में नहीं जा सकता। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कोई मामला खाली 20 हजार या उससे ऊपर का हो जाय तो वह आदमी वहां अपील कर सकता है। इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत से भले लोग इस संविधान को इस हद तक पसन्द नहीं करेंगे और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कम से कम सोशलिस्ट पार्टी ऐसी रही है कि जो शुरू से आवाज उठाती रही है कि सम्पत्ति वाली बात को मौलिक अधिकारों में स्थान नहीं मिलना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद यह हो गया तो कौन जिम्मेदार है? सेठ दामोदर स्वरूप, जिन्होंने इसकी मुखालिफत की थी या फिर हमारे दादा, परदादा लोग जिम्मेदार है? सन् 1947 में ही जब यह देश आजाद हुआ था और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान बना भी नहीं था तभी डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने मांग की थी कि जमींदारी को बगैर मुआविजा के खत्म किया जाय। उस वक्त कौन बाधा थी? यही नहीं कि खाली स्टटमेंट आफ प्रिंसिपल्स में माना हो कि सम्पत्ति का अधिग्रहण होना चाहिए। अगर यहां के लोगों को सुखी बनाना है बल्कि 28 से 30 दिसम्बर तक 1963 में कलकत्ता में हमारी पार्टी का एक जलसा हुआ था उसमें राष्ट्रीयकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो मैं आपकी जानकारी म लाना चाहता हूं।

"सोशलिस्ट पार्टी के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन की स्पष्ट राय है कि देश में 50 लाख व्यक्तियों की आमदनी को घटा कर रोज 3 आना पाने वाले 27 करोड़ के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह निहायत जरूरी है कि तत्काल देश के प्रमुख उद्योग जैसा कि जूट, कपड़ा, चीनी साधारण बीमा, बैंक, इंजीनियरिंग, छोटी-बड़ी खदान, लोहा, इस्पात, आयात, निर्यात दवा, चाय, काफी वगैरह का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसी तरह अनाज का थोक व्यापार सरकार के हाथों में हो। लेकिन इसके साथ ही साथ दाम नीति भी मंजूर हो कि दो फसलों के बीच, किसान के बीच और व्यापारी के बीच म एक सेर अनाज म एक आना या 16 प्रतिशत से ज्यादा उतार-चढ़ाव न हो। ये सारे उद्योग निजी क्षेत्र म रहने से देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि देश की सर्वांगीण योजनायें बनाना असम्भव है।"

मान्यवर, यह तो आज आपको प्रगतिवाद का भूत सवार हो गया है, हम तो इतने दिनों से बराबर कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि जल भी गये हैं, आपके राज्य में भी हमको जेल जाना पड़ा है। आज कुछ लोग यहां पर खड़े हो कर इस संशोधन की जो बात करते हैं उससे यही पता चलता है कि 'जाके पर न जाय बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई'। जिन्होंने कभी कोई दुःख नहीं उठाया है वह समझते नहीं हैं कि क्या होने जा रहा है। आपने कभी पढ़ा है कि इसका अर्थ क्या है। जो संशोधन है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो आप तीन चीजें मोटे तौर से पायेंगे। अभी तक प्रतिबन्ध था स्टेट की ताकत पर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का या आप समझिये कि जो हमारी रूट है, जो आपकी मर्यादा बांधी गई है वह सारी मर्यादा इसके सामने समाप्त हो जाती है अगर यह पास हो जायगा। जो आप यहां पर आश्वासन देंगे वह इसमें जगह नहीं पायेगा। उस समय खाली आपका संशोधन रह जायगा, संशोधित संविधान रह जायगा सिर्फ इतना कि आप जिस अनुच्छेद में चाहें उसमें संशोधन कर सकते हैं। जब चाहें और जिस तरह से चाहें उसमें संशोधन कर सकते हैं। उस वक्त खाली यह नहीं है कि सम्पत्ति वाला मामला हो। सम्पत्ति के सम्बन्ध में संशोधन होगा यह इसमें कहीं नहीं है। अगर कहीं हो तो उस पर रोशनी डाली जाय हमको मालूम हो जायगा। सम्पत्ति तो आपके संशोधन से सम्बन्धित नहीं है। यह भी इसमें गारन्टी नहीं है कि स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार है। आप उसको नहीं पायेंगे।

तीसरे, यह भी नहीं है कि जो हमारी स्वतन्त्रता है, जो हमारे संविधान का राइट है, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हमारा राज्य जो है उसको आप अक्षुण्य रखेंगे, इसमें इसकी भी कहीं पर गारन्टी नहीं है। जो हमारे संघीय राइट्स हैं, केन्द्र के साथ जो हमारी स्टेट हैं, वह उसके साथ सम्बन्ध रखेंगी ऐसी कोई चीज नहीं है। एक तरफ यह संशोधन पेश किया जाता है कि वह तमाम मर्यादा जो हमको बांधती है, जो अभी तक स्टेट के ऊपर लागू हैं वह सारी की सारी बनी रह जायगी। यह आपने बहस की कि क्या संविधान बदला नहीं जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि लोग यह दलील दे रहे हैं। इसलिये आपने इस मेहनत को जाया किया क्योंकि यह नहीं कहते हैं कि संविधान बदला नहीं जा सकता है। बहस यह है कि

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

किस तरह से बदलेंगे और कौन है सक्षम बदलने की। इस संविधान में गोलकनाथ का केस तब तक आ गया था। यदि आप संविधान को गौर से देखें तो मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 12 और 13 की तरफ ले जाना चाहता हूं। 13 (2) में यह दिया है कि "13 (2) में यह है कि "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।" तो यह प्रतिबन्ध बहुत पहले से था। इस (3) में जो संविधान में अधिकार नागरिकों को दिये हैं उनको समाप्त करने वाला कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता है। स्टेट की परिभाषा क्या है? यह कहते हैं कि पार्लियामेंट सक्षम है। अनुच्छेद 12 में दिया है कि "यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान मंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं" तो यह राज्य की परिभाषा दी हुई है। उस राज्य में यह संसद् भी शामिल है। अगर राज्य कोई कानून नहीं ला सकता है तो उसमें संसद् भी शामिल है। तो संसद् को यह अधिकार कहां से मिल गया इस प्राविधान के रहते हुये। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हू कि गोलकनाथ केस का भाष्य दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो अब दूसरा उसका भाष्य नहीं हो सकता है। बहुत जगहों पर जजमेंट होते हैं। उसमें अदालत निश्चय ले लेती है। अदालत बड़ी मेहनत करके एक चीज निकलवाती है तो वह उसी के आधार पर अपना जजमेंट देती है। अक्सर यह देखने में आया है कि एक नया जजमेंट हो गया और उसमें पुराने जजमेंट को कोर्ट ओवररूल कर देता है।

हमारे शर्मा जी कांस्टीटयूशन के न सही लेकिन फौजदारी के एक योग्य वकील हैं वह स्वयं देखें कि इस अनुच्छेद 12-13 को रखकर यह कैसे कहा जाता है कि संसद को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त है। जिस गोलकनाथ केस का हवाला दिया जा रहा है उसमें यह दिया हुआ है कि उसके संशोधन के लिये फिर से विधान निर्मात्री परिषद् या सभा बुलाना चाहिये। शायद आप की जानकारी में यह चीज भी हो कि सार रूप में इसी प्रकार का एक संशोधन विधेयक जुलाई, 67 में लोकसभा में श्री नाथपाई ने पेश किया था और उसी को आधार मान कर, उसमें थोड़ा सा हेरफेर करके इसको पेश किया गया है और स्वर्गीय डाक्टर राममनोहर लोहिया ने भी उस बहस में हिस्सा लिया था हालांकि डाक्टर लोहिया उस वक्त रक्तचाप या लो ब्लडप्रेशर से पीड़ित थे लेकिन फिर भी वह इस अहम बहस में हिस्सा लेने के लिये संसद गये थे और वहां उन्होंने बोलते हुये कहा था-यह मैं लोक सभा डिबेट के वाल्यूम 7, नं0 47, दिनांक 21 जुलाई, सन् 1967 के पृष्ठ 13804 से पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा था कि "उसके लिये जरूरी है कि आप किसी न किसी प्रकार की कोई विधान निर्मात्री परिषद् बुलायें और जैसा कि श्री मधुलिमये तथा दूसरों ने भी कहा है कि न सिर्फ वह बुलाई जाय बल्कि वह विधान निर्मात्री परिषद् ऐसी हो कि वह जो संविधान बनाये वह भारत की समूची बालिग जनता से जनमत लेकर पास कराया जाय।" यह सुझाव उस वक्त डाक्टर साहब ने दिया था। उसमें केवल नई संविधान सभा बुलाने की ही बात नहीं थी बल्कि इस तरह के तमाम अनुच्छेद जो समाविष्ट हो गये हैं, जो नहीं होने चाहिये थे उन सब को फिर से संविधान में नये सिरे से रखने की सलाह उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि फिर से एक विधान निर्मात्री परिषद् बुलायी जाय और उसको बुलाने और पास कराने की ही खाली बात न हो बल्कि रिफ्रेंडम की तरह बालिग मताधिकार से उसको पास कराया जाय।

श्री राजमंगल पांडेय---

कांस्टीटयूशन असेम्बली की बात जो हमारे माननीय नेता ने बतलाई वह आखिर किसी संविधान के अन्दर कोई चीज है, कास्टीट्एंट असेम्बली ने संविधान बनाया और उसको सर्वोपरि माना जाता है तो कहीं कांस्टीट्यूशन में ऐसा भी है कि इस तरह का मसला आयेगा तो

कांस्टीटुएंट असेम्बली बनेगी और उसमें किसका प्रतिनिधित्व होगा ? अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कांस्टीटुएंट असेम्बली जो बनने वाली है, उसकी वह रूप-रेखा बता दें कि वह क्या होगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अगर वह गौर से.....

श्री उपाध्यक्ष--

एक प्रश्न माननीय सदस्य का आया। जो विधान में नहीं है वह काम नहीं हो सकता ऐसा उनका ख्याल है। अब जब देश की जनता और पार्लियामेंट चाहेगी कि एक कांस्टीटुएंट असेम्बली बुलायी जाय तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई रुकावट नहीं होगी और वह कान्स्टीटुएंट असेम्बली बुलाये जाने की मांग करते हैं। वे इसी आधार पर करते हैं। अब इसका जवाब माननीय सदस्य क्या देंगे ? इसका जवाब तो पार्लियामेंट चाहेगी तब आप कहेंगे सम्भव है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं पाण्डेय जी से निवेदन करूंगा कि वे 368 को गौर से पढ़ें। तो उसमें दिया हुआ है कि कुछ संशोधन तो ऐसे हैं जिनको बहुमत से पास कर सकते हैं और दूसरे ऐसे हैं उनको अगर आप संशोधित करना चाहते हैं तब फिर जरूरी है कि लोक सभा का बहुमत उसको पास करे और जो लोग वोट में हिस्सा लें उसका दो-तिहाई मिल जाय बहुमत में रैटिफिकेशन के लिये राज्यों में भेजकर और आधे से ज्यादा राज्य उनको पास कर दें। लेकिन इसके साथ यह कहा है कि फंडामेंटल राइट में 12- 13 अनुच्छेद को नजर से ओझल नहीं कर सकते। उन्होंने यह प्रतिबन्ध लगा रक्खा है। कोई भी तरमीम नहीं लाई जा सकती है। जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करते हैं या कटैल करते हैं या उनको समाप्त करते हैं, न्यून करते हैं, इस तरह का कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता है। यह जरूरत पड़ गई है कि आप उसको खत्म कर रहे हैं उसी बहाने से यह जो प्रतिबन्ध है उसको आप हटाने जा रहे हैं। दूसरा कारण यह था विरोध का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर हवाला दिया जा रहा है कि अमेरिका में ऐसा हो जाता है, हवाला दिया जाता है कि इंग्लैण्ड में ऐसा हो जाता है। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। आप इस तर्क को क्यों भूल जाते हैं। भानु बाबू ने कहा, जितनी दफा संशोधन होता है उतनी दफा जनता के मौलिक अधिकार को बढ़ाने वाला होता है और दूसरी तरफ वहां की सारी जनता भी उसका मन जनतांत्रिक मन है वह डेमोक्रेसी से लिपा पुता और सना हुआ मन है उसका आउटलुक फियूडल नहीं है। इस जबर्दस्त फर्क को आपको अपने सामने रखना चाहिये। आज यहां के लोग स्वेच्छाचारिता में जब जो चाहे कर डालते हैं। मैं गिनाना चाहूं कि किस तरह का मन है। इस संशोधन के जरिये से ये जो छूट लेने जा रहे हैं इस छूट के न रहते हुए भी इन्होंने क्या-क्या कर डाला है। बस्तर का कांड आपको याद है, जिस तरह से गोली चली। केरल में जिस तरह से गैर-कांग्रेसी सरकार गिराई गई। जिस तरह से आप रोज-बरोज कभी बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार गिराते हैं और इससे भी बढ़कर।

मान्यवर, जिस तरह से यहां के प्रधान मंत्री ने जिस आदमी का पर्चा भरा प्रैसीडेंटशिप के लिये और उसी के खिलाफ वकालत की वोट देने के लिये और खुद वोट दिया। आप समझते हैं कि ये मामूली चीजें हैं और खाली यही नहीं। प्रधान मंत्री ने जिन लोगों का साथ दिया। उस वक्त हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर कैसे डिक्टेटर बन गया है उसको देख लीजिये। हिटलर ने यही किया। जहां पर मकर की जरूरत थी उससे वहां काम लिया। जिनको बामपंथी कहा जाता था, उनका भी साथ दिया और जो घोरतम प्रतिक्रियावादी थे उनका भी साथ लिया। दोनों को धोखा देकर पावर में पहुंच गया। इसी तरह से प्रधान मंत्री ने जो जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद हैं पहली सजा इन्हीं को मिली है। मान्यवर, जैसे ही बहुमत मिला तो पहले जो जगजीवन राम बाबू से लिखा लिया गया कि तुम

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

प्रेसीडेंटशिप छोड़ो उसके बाद मंत्रिमंडल में स्थान मिला। आप लोगों से यह छिपा नहीं है कि फखरुद्दीन अली अहमद और जगजीवन राम को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की रोज बात हो रही है। जहांतक दल के संगठन की बात है क्या वह डेमोक्रेटिक संगठन रह गया है? क्या वहां एक आदमी की इच्छा नहीं चलती है कि जब वह जैसा चाहे कर डाले? अभी हाल में राजस्थान, मध्यक्ष प्रदेश, बंगाल, त्रिपुरा और बिहार की राज्य समितियां भंग कर दी गयी हैं। जिस आदमी को वह चाहती हैं वही रह सकता है। कभी ब्रह्मानन्द रेड्डी, कभी सुखाड़िया का नम्बर आता है और इस समय हवा जोरों पर है कि कमलापति को इंदिरा कब हटायेंगी। रोजाना यह बात पूछी जाती है। अगर जनतांत्रिक मन आपका हो तो यह बात पैदा न हो। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दफायें तो संविधान में पहले से ही मौजूद हैं। आपातकालीन स्थिति के लिये हमारे संविधान में 352 से 360 तक प्राविजन्स हैं कि प्रेसीडेंट आपातकालीन स्थिति में जब चाहे प्रोक्लेम कर सकता है और उसमें विधान सभा और सरकार को सस्पेंड कर सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूज्य गांधी जी के जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर, 1970 को उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाया गया था जिसमें आपका भी साझा था। सारे देश ने इसको कंडम किया था और प्रसीडेंट को इम्पीच करने का सवाल आया था तब यह डमोक्रेसी रेस्टोर हुई थी। आपका मन जनतांत्रिक नहीं है। आप मिसाल अमरीका और इंगलैंड की देते हैं जिनका कि मन जनतांत्रिक है। उनका मन लोटपोट हो गया है जनतंत्र में इसलिये वह अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन क्या इन अधिकारों को लेकर आप हिटलर नहीं बन सकते हैं? मान्यवर, पहले वह भी इसी तरह से संशोधन लाया था। जो उनका संविधान था उसमें 5 क्लाज का संशोधन रक्खा था। एक तो यह कि पार्लियामेंट के बगैर भी गवर्नमेंट कानून बना सकती है और दूसरा यह था कि ऐसा कानून बनाने में 4 साल का अख्तियार ले लिया गया। तीसरा यह कि उसमें शक्ति एडोल्फ हिटलर को होगी और चौथा यह कि यह मामला पास नहीं हुआ था तो इसके लिये जो कम्युनिस्ट थे उनको जेल में भेज दिया गया था तब 2/3 का बहुमत मिला था। जब यह हो गया तो फौज को हिटलर की फरमावरदारी की कसम खानी पड़ी कि हम हिटलर के फरमावरदार रहेंगे। आज क्या हो रहा है, क्या उसी तरह से परसनालिटी कल्ट नहीं चल रहा है? आज मालूम होता है कि दूसरी शक्ति रह नहीं गई है। अगर कोई है तो इंदिरा जी हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री पंडित जी हैं और उनकी आज कोई इज्जत नहीं है, धूल धुसरित हैं। मालूम होता है कि वह नेता नहीं हैं, नौकर हैं, जब चाहें हटा दें।

इस प्रकार की चर्चा सभी जगह हो रही है। आप कहेंगे कि यह हमारी राय है परन्तु यह हमारी राय नहीं है बल्कि सभी लोगों की राय है। हिन्दुस्तान में हो क्या रहा है? यहां पर ऐसा आतंक है, ऐसी हवा बह रही है जिसमें सभी लोग घबड़ा रहे हैं। इस संबंध में एक किस्सा याद आ रहा है। एक बादशाह को कपड़ों का बहुत अधिक शौक था। एक चंट आदमी को यह मालूम हो गया और उसने इसका बेजा फायदा उठाने का विचार किया। वह बादशाह के पास गया और उससे कहा कि हम ऐसा कपड़ा बना सकते हैं जिसको यदि बादशाह पहने तो उस कपड़े को जो मूर्ख मनुष्य हैं वह नहीं देख सकते हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। उस कपड़े को केवल अक्लमन्द लोग ही देख पायेंगे। खजाने का पूरा रुपया उसको मिल गया। कपड़ा बन गया और उसने राजा को इसकी खबर दी। बादशाह ने अपने सबसे ज्यादा अक्लमन्द आदमी को हुक्म दिया कि जाकर कपड़े को देख आवे। उस आदमी ने विचार किया कि यदि वह कपड़े को नहीं देख पायेगा तो मूर्ख माना जायगा इसलिये उसने अपने छोटे आदमी को उसको देखने के लिये भेज दिया। उस सौदागर ने कहा कि देखिये कैसा कपड़ा है। उसको कपड़ा तो दिखाई नहीं दिया लेकिन फिर भी मूर्ख

न माना जाय इसलिये उसने कहा कि बहुत बढ़िया कपड़ा है । वह सैटिसफाइड होकर चला गया । राजा के बड़े अफसर ने कह दिया कि कपड़ा बहुत अच्छा है । इस तरह से बड़े-बड़े अधिकारियों ने जाकर कपड़े को देखा और कह दिया कि कपड़ा बहुत अच्छा है वह इसलिये कि कहीं वे मूर्ख न माने जायं । कपड़ा आया और लिबास बन गया । पोशाक तैयार हो गई । अब राजा की सवारी निकली राजा ने उसी लिबास को पहना और हाथी पर बैठकर उसकी सवारी निकली । बादशाह बिल्कुल नंगधड़ंग, हाथी पर बैठा था। सभी लोग कह रहे हैं कि बढ़िया पोशाक है । पूरे शहर में कोई हिम्मत नहीं करता है कि यह कहे कि बादशाह नंगा है । वहां पर कुछ नौजवान थे। उन्होंने कहा कि बादशाह तो एक दम नंगा बैठा है । एक दो चार और इसी प्रकार से बहुत से नौजवान कहने लगे कि बादशाह नंगा है । अब तो सभी लोग कहने लगे कि बादशाह नंगा बैठा है । मान्यवर, आज यही हालत हो गयी है । हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, उनका हनन होता है । नासिक के छापाखाने में नोट छपते हैं । दो-दो चार-चार नोट एक ही नम्बर के होते हैं । यह कैसे होता है । रिजर्व बैंक के अधिकारी कहते हैं कि सब सही है । एक ही नम्बर के दो-दो तीन-तीन नोट निकलें और वह सही है।

नागरवाला की बात भी आयी । माताजी की आवाज पर 60 लाख रुपया कैसे निकल आता है ? आखिर क्या हो गया है इस देश को ? अगर इसी का मतलब प्रगति है तो आपकी प्रगति आपको मुबारक। यह हाल है और चाहते हैं कि इसको पास कर दिया जाय । श्रीमन्, इस देश में गांधी जी से लेकर बालिक मताधिकार मिलने तक एक युग चला । जो गरीब थे, जो पिछड़े हुए थे, जो हरिजन थे, उनको कुछ जिन्दगी मिली और उसका कलमीनेशन हुआ बालिग मताधिकार में । लेकिन इस हिन्दुस्तान के जनतांत्रिक ढांचे को दो लोगों ने पसन्द नहीं किया । एक तो फ्यूडल आउटलुक रखने वाले जो सामन्त थे उन्होंने और दूसरे यहां की नौकरशाही ने । इन्होंने जनता में जान का आना पसन्द नहीं किया । स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहले ही दिन से उनकी यह साजिश चल रही है कि हिन्दुस्तान में बालिग मताधिकार खत्म हो, जनतंत्र का ढांचा खत्म हो, जो पहले मुर्दनी थी वही हो जाय ताकि हम फिर पीठ पर चढ़ बैठें और यह जो नारा चल रहा है जनतंत्र का, समाजवाद का, उसके पीछे कट्टरतम प्रतिक्रियावाद चल रहा है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि काउन्टर रिवोलूशन इंदिरा जी की अगुवाई में कम्प्लीट है।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले का एक गांव है बीहड़, थाना मिर्जा मुंरांडा । वहां माफीदार लोगों ने हरिजनों की बस्ती पर हमला किया । दुग्गल नाम के हरिजन को उन्होंने मार डाला और 16–17 आदमी घायल हुए । उन लोगों ने मना किया था कि हम नार नहीं काटेंगे, मुर्दा मवेशी नहीं उठायेंगे। नतीजा यह हुआ कि एक की जान गयी और 16–17 घायल हुए । तो यह अत्याचार हो रहा है । श्रीमन्, रोज यहां सवाल आते हैं । जिह तरह का राज्य आप बना रहे हैं यह रिकार्ड पर आ चुका है, यह केवल मेरा कयास ही नहीं है । कांग्रेस के एक प्रमुख नेता पं0 द्वारिका प्रसाद जी मिश्रा का इंटरव्यू लिया है श्री कुलदीप नायर ने, उसमें से मैं पढ़ देना चाहता हूं । यह पुस्तक है "इंडिया–दि क्रिटीकल ईयर्स" । इसमें पेज 7 पर चौथा और पांचवां पैरा है

"To strengthen the hard line on Mrs. Gandhi's side now came Dwarka Prasad Mishra, a Brahmin who had once called Jawaharlal Nehru a Communist but now befriended his daughter. His train was late but he was happy he was in time to stop all talk of a compromise."

इसी के आगे अगला पैरा है

"As he told me later : 'I pressed for a split because I could see the Thakurs (non-Brahmins) going down and as a Brahmin I enjoyed the

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

prospect.' (Ninetzche thought that the best blood in Germany was in peasant veins ; Mishra thought it was in the Brahmin's. Mrs. Gandhi even though widow of a Parsi, Feroze Gandhi, was a pandit, a Brahmin तो मान्यवर, प्रजातंत्र के नाम पर ब्राह्मण राज्य आप बना रहे हैं । श्रीमन्, टाइम्स आफ इंडिया की एक पत्रिका है "दिनमान" 18 जुलाई की। इसमें पृष्ठ 11 पर सम्पादकीय में लिखा है--

"उन्होंने 1942 के बाद से राजनैतिक समझौते की परम्परा से ही शक्ति पायी है और इस समय वे लोकतंत्र की आखिरी घड़ियों में नौकरशाही और केंद्रीयकरण के तरीकों से एक नया तंत्र विकसित करने में लगे हुये हैं ।"

इसी तरह से श्रीमन्, उर्दू का बहुत मशहूर अखबार है "सियासत जईद" । इसके 8 सितम्बर के एडीटोरियल में लिखा है--

"बिहार की तो पूरी सियासत ही जातिपांति की गिरोहबन्दी में चल रही है । मगर उत्तर प्रदेश भी इस मामले में उससे पीछे नहीं है । आज आपको उसके हर शोबे और हर सियासी व समाजी व इन्तजामी गोशे में "ब्राह्मणगर्दी" और "आलाजातियत" के इक्तदार व असर की कारफरमाई की बैनोरोशन मिसाले मौजूद मिलेगी ।"

श्रीमन्, यह केवल हमारी ही राय नहीं है । लोगों ने कहना शुरु कर दिया है कि इस तरह से ब्राह्मण राज्य बन रहा है, जनतंत्र के नाम पर, प्रगति के नाम पर और समाजवाद के नाम पर ये सब कर रहे हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक काउन्टर रिवोल्यूशन (प्रति क्रांति) कमप्लीट कर दी है और अगर वक्त रहते हमारे भाइयों ने न सोचा और इस सदन ने इनकी गलतियों को न देखा तो इनकी वही दुर्दशा होगी जो कि हिटलर के साथियों की कभी हुयी थी । न मालूम, हिटलर के साथी कहां-कहां चले गये थे, कुछ कनसेन्ट्रेशन कैम्पस में गये थे और कुछ मार डाले गये थे । ये लोग भी ऐसे ही जायेंगे, कोई यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। इनका गिरना तो शुरू हो गया है । जगजीवन राम जी इधर गिरे और फखरुद्दीन अली अहमद उधर गिरे । न मालूम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी कहां गिरेंगे, इसका तो उन्हें भी नहीं मालूम । वैसे यहां पर यह सुनाई देता है कि शायद हमारी विधान सभा का आखिरी सत्र हो--विधान सभा का आज आखिरी दिन है। कभी-कभी सच्ची बात मुंह से निकल जाती है । हमारे भाई, राम धारी शास्त्री जी ने कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के दो पदों में से केवल एक ही पद रह गया। पहले तो वे कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और मुख्य मंत्री भी थे, अब केवल मुख्य मंत्री ही हैं । ये दोनों पद न मालूम उनके पास कितने दिन से थे । इस तरह से उनके पर तराशे जा रहे हैं । पता नहीं पंडित जी कहां बैठेंगे । उनका एक आफिस तो ले ही लिया है। पता नहीं डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी कब तक रहेंगी इस ओहदे पर और आगे उनका भी क्या हश्र होगा ? उनका भविष्य गर्भ में है । केवल थोड़े से यह देखने वाले लोग हैं जो यह समझ रहे हैं कि यहां पर डिक्टेटरशिप आ रही है । मान्यवर, गोविन्द सिंह नेगी जी बैठे हैं, वे हंस रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हिटलर के साथियों की भी पिटाई हुई थी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उस समय आप हमारे साथ नहीं थे । अच्छा होता आपका भी सहयोग हमें मिलता।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पिटाई की गयी थी । हम जैसे लोग भी पीटे गये थे । यहां पर भी ये लोग पिटने वाले हैं । खाली ये ही नहीं पिटेंगे, बल्कि हम लोग भी पिटेंगे और पता नहीं कि किस-किस की क्या हालत होगी । पिटाई भी होगी और जानें भी जायेंगी । यह सब अब होने वाला

है । मान्यवर, जब तक प्रधान मंत्री का लोक सभा में बहुमत नहीं था तब तक पी० डी० ऐक्ट पास नहीं हुआ था । बहुमत प्राप्त होते ही पी०डी० ऐक्ट पास हो गया । इनकी जबान बह गयी है । प्रधान मंत्री ने अभी कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग में कहा "खबरदार जबान नहीं खोलोगे ।" तो इस तरह से इस देश के अन्दर डिमोक्रेसी खत्म की जा रही है । मान्यवर, डिमोक्रेसी को खत्म करने के लिये यह विधेयक हमारे सामने लाया गया है । सामन्ती लोगों की हरिजनों और पिछड़े लोगों के साथ यह साजिश है । हमने इसमें एक संशोधन दिया है कि आप मौलिक अधिकारों में से जमींन और सम्पत्ति वाली बात को निकाल डालिये । इसी के साथ ही साथ संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको आप न छूयें । होना यह चाहिये कि हमारा सावरन डिमोक्रेटिक रिपब्लिक कैरेक्टर जो है वह भी प्रगति करता रहे और उसको छूने का कोई कानून न आये । मैं यह निवेदन करता हूं कि कहीं आप ही इसमें भागीदार न बन जायें । माननीय शर्मा जी वह किस्सा याद रखेंगे जो कि हमने पहले सुनाया था । कहीं अक्लमन्द बनने के चक्कर में यह सब न हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यही कह रहा था कि 2 तरह के लोग ऐसा कर रहे हैं । एक तो वे लोग हैं जो कि बहुत फ्रेस्ट्रेटेड हैं और दूसरे वे जो कि बहुत एम्बीशस हैं । वे दोनों ही इस बात में शामिल हैं । मान्यवर, आप तो इन दोनों में से कोई भी नहीं रहे हैं । आप तो उन सबसे अपने को अलग रखिये । जैसे आप शानदार थे उसी तरह से शानदार रहें । यह बड़ा गन्दा काम हो रहा है । इसको आपको नहीं छूना चाहिये । यह बहुत गन्दी चीज है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, पक्ष और विपक्ष दोनों को समय आप दें । इसमें किसी पक्ष का सवाल नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं हर पक्ष को समय दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अमरनाथ दुबे—

मान्यवर, मैंने माननीय जायसवाल जी से एक श्लोक कहने के लिये कहा था, वे भूल गये उसको कहना । आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं । वह इस प्रकार है—

"अनायका विनश्यन्ति न श्यन्ति शिशुनायका
स्त्री नायका विनश्यन्ति नश्यन्ति वहुनायका ।" मान्यवर इस संशोधन से भी सर्वनाश होने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पहले कि माता प्रसाद जी बोलें, मैं, माननीय राजमंगल पांडेय ने जो प्रश्न उठाया था उस संबंध में कुछ निवेदन कर दूं । बात यह है बहुत से माननीय सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपतियों की चर्चा यहां करते हैं और उससे कुछ भ्रम हो जाता है और ऐसा लगता है कि उनको गोलकनाथ केस की पूरी जानकारी नहीं है । उसको यहां किसी ने पढ़ा भी नहीं है । इसलिय उस केस के बारे में 11 सदस्यों की बेंच में से 6 ने बहुमत से जो निर्णय लिया उसकी हिन्दी में आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि कुछ भ्रम न हो । गोलकनाथ के मामले में

[श्री उपाध्यक्ष]

एक विशेष 11 सदस्यीय बेंच के 6 न्यायपतियों के बहुमत से पुराना निर्णय बदल दिया गया और यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि यद्यपि धारा 368 की परिधि से बचने के प्रति कोई प्रत्यक्ष आपत्ति नहीं हो सकती है तथापि संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकार स्वभावतः संशोधित नहीं किये जा सकते और यदि इन अधिकारों में से किसी को संशोधित करना हो, एक नई संविधान सभा निश्चय ही बुलायी जानी चाहिये जो नया संविधान तैयार करे अथवा उसमें मूलतः परिवर्तन करे ।" यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का सारांश जजमेंट है ।

*श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने अभी यह कहा कि इलैक्शन के जमाने में, चुनाव के अवसर पर अपने मैनीफैस्टो में कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि हम इस तरह का संशोधन करेंगे । मान्यवर, चुनाव के जमाने में कांग्रेस के घोषणापत्र में संविधान में संशोधन करने की बात स्पष्ट रूप से रखी गयी है । आपकी आज्ञा से मैं कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र का उद्धरण देना चाहता हूं ।

मान्यवर, इसमें पैराग्राफ 14 में लिखा है "जो भी हो, हाल की कुछ अदालती घोषणाओं के फलस्वरूप हमारे संविधान के कुछ निदेशक सिद्धांतों और कांग्रेस के बुनियादी आर्थिक कार्यक्रमों को कारगर तौर पर अमल में लाना नामुमकिन हो गया है।" पैराग्राफ 15—"राष्ट्र की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र का तकाजा है कि संविधान जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति में मददगार हो। हमारा संविधान आर्थिक विकास के उद्देश्य से पहले भी संशोधित किया जा चुका है । हमारी कोशिश होगी कि सामाजिक न्याय के रास्ते में आने वाले रुकावट को दूर करने के लिये अभी और संवैधानिक उपचार और संशोधन किये जायें"

यह स्पष्ट है कि यह जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ अभी हाल में उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं । इसके पहले जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे और यह जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें फर्क है । यह जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ यह स्पष्ट रूप से सिद्धांतों को लेकर हुआ और वह सिद्धांत हमारे घोषणा-पत्र में निहित हैं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं माता प्रसाद जी से एक बात जानना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणापत्र से जितने उद्धरण पढ़कर सुनाये हैं उसमें यह है कि संविधान का संशोधन करेंगे । अगर आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन यह कहां लिखा है कि मौलिक अधिकारों में कमी करेंगे। अगर इस पर मत लिया गया होता तो उसका परिणाम कौन कह सकता है क्या होता ।

श्री माता प्रसाद—

इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बारहवां पैराग्राफ है "राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है 'कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था', जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधन रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।" पैराग्राफ 13—"निदेशक सिद्धांतों में यह भी घोषणा की गयी है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतः ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(1) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(2) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केंद्रण न हो (अनुच्छेद 39 ख और ग) और संविधान ने विशेष रूप से यह भी आदेश दिया है कि राज्य कानून बनाने में इन सिद्धांतों को काम में लायेगा।"

इस चीज को हमारे एलेक्शन में मद्देनजर रखा गया । एक चीज यहां पर और उठायी गयी कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है । इस संबंध में अभी माननीय भानुप्रताप ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि इस संविधान में 23 संशोधन हो चुके हैं । इसका मतलब यह है कि हमारी पार्लियामेंट ने 23 बार संविधान में संशोधन किया है । 24 वां संशोधन करने जा रहे हैं । हमारी सुप्रीम कोर्ट संविधान के अन्तर्गत बनी हुई है । संविधान को पार्लियामेंट संशोधित कर सकती है तो निश्चित रूप से सार्वभौम सत्ता संसद में निहित है सुप्रीम कोर्ट में निहित नहीं है । एक चीज और कही गयी । इसके पहले श्री भानुप्रताप जी बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि गोलकनाथ केस का 1967 में फैसला हुआ उसमें कौन सी बाधायें आ गयी और उनको उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया गोलकनाथ केस के कारण कुछ ऐसी बाधायें आ पड़ी जो नीति निदेशक सिद्धांतों को पूरा नहीं कर सकते । उन्होंने सम्पत्ति का मौलिक अधिकार माना और यह कहा कि अगर सार्वजनिक हित में किसी सम्पत्ति को सरकार लेती है तो उसका बाजार भाव से मुआवजा दे । उसी के फलस्वरूप बैंक के राष्ट्रीयकरण में करीब 90 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ा और अभी 12 चीनी मिलों की उत्तर प्रदेश में अधिग्रहण की बात की गयी तो चौबीसवां संशोधन नहीं हुआ इसलिये साढे तीन करोड़ रुपया चीनी मिलों को देना पड़ रहा है । इस तरह की अड़चन गोलकनाथ केस की 1951 में हो गयी होती तो हमारे प्रदेश में जमींदारी का उन्मूलन न हो पाता । संशोधन की इसलये आवश्यकता है।

शहरों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी सम्पत्ति एकत्र होती जा रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, शहरों की सम्पत्ति की सीलिंग करने के लिए, देहातों की सम्पत्ति की सीलिंग करने के लिए, जिनके पास बड़े बड़े फार्मस और खेत हैं, उन पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक था । बहुत सी विदेशी कम्पनियां हमारे देश में हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए, यह आवश्यक था । हमारे देश में बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जो एकाधिकार कायम करके देश का आर्थिक शोषण कर रही हैं, उनको हमें समाप्त करना है । तो हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा । गोलकनाथ केस के कारण जो एक भ्रम पैदा हो गया है, कि यदि हम किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो बाजार भाव से ही हमें दाम देना पड़ेगा । यदि यही व्यवस्था रही तो हम लोग गरीबों का कोई फायदा नहीं कर सकते हैं और अमीर अमीर होते चले जायेंगे ।

आज हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस (ओ) और बी0के0डी0 के लोगो ने इसका समर्थन किया है । जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सके हैं । उन्होंने इसका समर्थन किया है या विरोध, यह पता नहीं चल सकता है, उन्होंने गोलमटोल बात कही है । स्पष्ट रूप से इन्हें अपने मन की बात बतानी चाहिये थी । सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर जो यह संशोधन किया जा रहा है, इसके बारे में अपना रुख इन लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये था । गोलमटोल बात इन्होंने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए कही है । आज हमारे देश में महल खड़े होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ झोपड़ियां उजड़ती चली जा रही हैं । स्थिति यह है कि कुछ लोग खाने की अधिकता से बीमार हो रहे हैं और कुछ लोग भूख से मरे जा रहे हैं । इसको यदि बन्द करना है तो इसका संशोधन बहुत आवश्यक था । यदि यह संशोधन नहीं किया जायेगा तो देश में बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो जायेगा । देश के एक हिस्से में, बंगाल में जो नेक्सलाईट पैदा हो रहे हैं, उसका कारण यही असंतोष है । कुछ लोग जो एकाधिकारवादी हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं । जो लोग मौज उड़ा रहे हैं, वे गरीबों, किसानों श्रमिकों विद्यार्थियों का शोषण करते रहना चाहते हैं उन्हें उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं । जिनके निहित स्वार्थ हैं वे आज इसका विरोध

[श्री माता प्रसाद]

करते हैं । देश में समाजवाद लाना है तो इस सबसे बड़े रोड़े को दूर करना ही है । गोलकनाथ केस के प्रवाह को बन्द करने के लिये हमने इस संशोधन को लाने का निश्चय किया है। यदि संशोधन हो जायेगा तो ऐसे-ऐसे कई आयेंगे, जिनमें हमें संशोधन करना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत से श्रमजीवी पत्रकार हैं उनके लिये संशोधन लाना पड़ेगा, जिससे वे जो मेहनत करते हैं अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकें, क्योंकि देश के कुछ पूंजीपति लोग उन श्रमजीवी पत्रकारों का शोषण कर रहे हैं । ऐसा होने से हमारे पत्रकार इजारेदारों के चंगुल से मुक्त हो जायेंगे। इस तरह से संविधान में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं इसके बड़े दुरगामी परिणाम होंगे और जो बाधा हमारे सामने है वह दूर होगी और हमारा देश समाजवाद की दशा में आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो सबसे पीछे बोलने का ड्राबैक होता है वह आज मुझे मिला है। भानु-प्रताप सिंह तथा जायसवाल जी अधिकांश बात वह कह गये जो मैं भी कहना चाहता था। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। जिस रूप में इन दोनों व्यक्तियों ने विरोध किया है उसमें थोड़े से संशोधन के साथ मैं अपना अध्याय उसी के साथ जोड़ूंगा। जिन पहलुओं पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये है जब तक आवश्यक नहीं होगा उनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और संक्षेप में मैं उनकी पुष्टि में अपने तर्क रखूंगा।

आज हमारे सामने प्रश्न मौलिक अधिकारों में संशोधन का है। मैं भी मानता हूं जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है 'कांस्टीट्यूशन इज नाट दी लास्ट वर्ड।' हो सकता है असमानता को दूर करने के लिये, गरीबी को दूर करने के लिये जनहित में देश के हित में संविधान को सशोधन करने की आवश्यकता हो तो अवश्य किया जा सकता है। लेकिन हमारा झगड़ा भी यही है। एक तो फंडामेंटल राइट्स को क्या इतनी आसानी से अमेंड किया जा सकता है जैसा वह कर रहे हैं। दूसरे उसकी विधि भिन्न है। तीसरे क्या संसद बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय ? मैं कहता हूं कि न संसद बड़ी है और न सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। इन दोनों से बड़ा संविधान है। संविधान जननी है दोनों की क्योंकि दोनों को ही संविधान ने अधिकार दिये हैं और संविधान से बड़ी 55 करोड़ जनता है जो सारी शक्तियों की श्रोत है जिसके दरवाजे ऐसे अवसरों पर खटखटाने होते हैं चेतावनी देनी होती है कि तुम्हारे अधिकारों के प्रति यह किया जा रहा है, ऐसी तस्वीर होने जा रही है। इसलिये इस ओर संकेत करते हुए मैं थोड़े शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगा। मूल बात मैंने आपके सामने रख दी।

अब संविधान के बारे में हमें विचार करना है। हमारे जो निर्माता थे संविधान के उन्होंने नागरिक अधिकारों को संविधान के कुछ सेक्शन्स में मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी है। मौलिक अधिकार क्यों कहा ? जैसे धर्म की बात कही जाती है। युग धर्म हो सकता है लेकिन धर्म बदल नहीं सकता उसी प्रकार मौलिक अधिकार बदल नहीं सकते। हो सकता है आवश्यकतानुसार कहीं थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाय और जो उनके मूल पर कुठाराघात न करे। मैंने 55 करोड़ जनता की बात इसीलिये कही कि उनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने का अवसर कभी आया तो हम उनकी इच्छाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। लिखा है हमारे इस संविधान में और कहीं नहीं लिखा गया है 'पीपुल आफ इंडिया'। इस रिपब्लिक आफ इंडिया के कांस्टीट्यूशन को जन समाज ने अपने लिये बनाया, पार्लियामेंट ने नहीं दिया या किसी अन्य ने नहीं दिया। जब इसका निर्माण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ तो पीपुल के अधिकार सबसे ऊपर रखे गये और पीपुल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ और उन निर्माताओं ने जिनमें बड़े-बड़े विशेषज्ञ थे उसके हर पहलू पर विचार किया। उसके निर्माताओं में डायनमिक पर्सनालिटी पं० जवाहरलाल नेहरू थे, डाक्टर अम्बेदकर थे जो छोटी व पददलित जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे और जो बड़े योग्य थे। जब यह संविधान बन रहा था तो उनके सामने संसार के सारे संविधान जो हमारे काम के लिये आवश्यक थे, उपस्थित थे। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनके सामने कोई ऐसा अवसर अथवा विषय नहीं आया कि संशोधनों के विषयों पर विचार न किया हो अथवा कब और कैसे संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने अवश्य विचार किया। इसीलिये संकटकालीन स्थिति में उन्होंने संविधान को मुअत्तल करने तक की सोची लेकिन मौलिक अधिकारों को हटाने के लिये उन्होंने कोई प्राविधान नहीं बनाया जिसे कि यह सरकार करने जा रही है। इसलिये नेहरू रिपोर्ट में से मैं चन्द शब्द उद्धरित कर देना चाहता हूं जो अंग्रेजी में इस प्रकार है :—

Our first care should be to have our fundamental rights guaranteed in manner which will not permit the withdrawal under any circumstances

यह उन्होंने भी कहा था। मैं कैसे मान लूं कि मौलिक अधिकारों पर विचार हो रहा है। यदि मैं सनातन का प्रयोग करूं और जो यह डिमोक्रेसी का प्रिंसिपल है जिसके लिये हम होम रूल-बिल लाये हैं उसी प्रकार से सन् 1925 में और सन् 1927 में कांग्रेस कमेटी ने रिजोल्यूशन्स पास किये थे, दूसरों ने भी पास किये थे और इन फंडामेंटल राइट्स को बनाने के लिये लड़ाई लड़ी थी तब से और आज तक इतने वर्ष हो गये उनको अनुभव नहीं था कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति क्या होगी, राजनैतिक अधिकार क्या होंगे और नागरिक अधिकार क्या होंगे? किन्तु फंडामेंटल राइट्स पर अमेंडमेंट करने का उन्होंने कांस्टीट्यूशन द्वारा कोई अधिकार नहीं दिया। किन्तु जब देश की असमानता दूर करने के लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता हो जाय तो वह किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं आगे बोलूंगा। किन्तु एक नई परिस्थिति हम लोगों के सामने आने वाली हैं। अगर यह संशोधन हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे अधिकारों की शक्ल क्या होगी हमारा भविष्य क्या होगा—वह जर्जर हो जायेगा, यह सोचने की बात है। कहते हैं कि परिस्थितियां परिवर्तनशील हो गई हैं अतः हम इसके ऊपर विचार करेंगे। मैं मानता हूं कि परिवर्तनशील परिभाषा में अन्तर है। मैं उसे इससे भिन्न रखता हूं। इस युग में हम कितने परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा स्थान अधिकार का है। जो रूलिंग पार्टी है उसके कारनामें क्या है जिसके परिश्रय में हम ये संशोधन करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रजातंत्र है जिसकी रक्षा के लिये हम कटिबद्ध हैं अगर वही डिग गया तो हम उसके कारनामों को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते आज यहां पर कितनी ही सरकारें गिर गई और वह केवल डेमोक्रेसी के सिद्धान्त पर लड़कर। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आज इनडिसिप्लिन पैदा करने वाले लोग कौन हैं। मैं कहता हूं कि यह प्रजातंत्र टिक नहीं सकता यदि उसके सिद्धान्त में आप विश्वास नहीं करते हैं और उसको बिट्रे करते हैं। आज कांग्रेस में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हुये हैं और वे उसका समर्थन करते हैं। मान्यवर, हम भूल नहीं सकते हैं इनके कारनामे। जिन्होंने डिमोक्रेसी दिलाई और जिन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स हमको दिये तो जहां कहीं भी उसमें संशोधन आये उनके हाथों की छाप उसमें पड़ गई। मैं इलेक्शन के बारे में कहता हूं कि चाहे आप 10 लाख रुपया उसमें खर्च कर दें चाहे आपको 64 लाख रुपया मुफ्त में मिल जाय किन्तु वह गरीब आदमी नहीं पा सकता है। उसे खर्च नहीं कर सकता है। उसके अतिरिक्त उनके पास न टेलीविजन है, न हैलीकोप्टर है। उन बातों को आप हमारी आंखों से ओझल नहीं कर सकते। ये चीजें आपके सामने हैं। आप उन्हें टाल नहीं सकते। दूसरे आपकी मनोवृत्ति क्या है। आप कमिटेड जुडिशियरी चाहते हैं और उसे इस प्रकार से बदनाम

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

करना चाहते हैं। आपने उन्हें अपने संविधान में अधिकार दिया है और उसके लिये कानून बनाया है। उसी संविधान में राज्यों और पार्लियामेंट के गठन का कानून बनाया है और उसे रूल आफ ला का अधिकार है।

जुडीशियरी डिमोरेलाइज हो गई। आपकी यही नीयत मालूम होती है आपने कहा कि सिविल सरविसेज कमिटेड हों, जुडीशियरी कमिटेड हो, जजेज इलेक्टेड हों, अगर ऐसा कर दिया जायगा तो पब्लिक कहेगी कि हम उस आदमी को चुनेंगे जो हमारा कहना करेगा। यह भी आर्टीकिल्स पेश किये गये थे कि बेस कमिटेड हो, रेडियो तथा टेलीविजियन आपके हैं ही। जल्दी में जो आपने यह कर दिया है इसके परिणाम को हमें आगे चल कर देखना है। हम किधर जा रहे हैं, क्या हम उधर ही जा रहे हैं जिधर हमें प्रजातंत्र की तरफ प्रेम है, डेमोक्रसी के प्रति प्रेम है। कांस्टीट्यूशन को लेकर हम क्या करेंगे जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। आज हमारे महान पुरुषों ने संविधान के लिये अपनी आजादी के लिये अपने प्राण दे दिये, सब कुछ लुटा दिया। लेकिन आज क्या चीज नजर आती है। ऐसी परिस्थिति आप पैदा करने वाले हैं। अगर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला भविष्य हमको कभी क्षमा नहीं करेगा।

हम इस बात को अपनी निगाह से ओझल नहीं कर सकते हैं। आज यह लोग क्या दलील देते हैं। यह दलील देते हैं कि हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो अपने दिल की आह को माननीय सदस्यों के सामने रखूंगा। इनको शर्म नहीं आती है कि इन्होंने आजादी के बाद इन 20 वर्षों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिये क्या किया। देश में प्रौसपैरिटी नहीं आई आपने सत्ता को केन्द्रित किया, आपका तरीका गलत है, आपकी नीति गलत है वरना आपके कांस्टीट्यूशन को बने आज इतने वर्ष हो गये लेकिन आपने अशिक्षितों को शिक्षित क्यों नहीं किया। मान्यवर, मुझे स्मरण है कि 1961 में करीब 21 करोड़ 55 लाख आदमी अनपढ़ थे और जब 1970 में करीब 31 करोड़ अनपढ़ व्यक्ति हैं। इनको शिक्षित करने में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करने में कौन सी बाधा खड़ी थी। आप जब जो चाहे कर लें और कहें यह कि यह पब्लिक मेंनडेट है।

इसके अलावा प्रश्न यह है कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोहिबिशन देश में करने का सवाल था। उसको आपने क्यों नहीं किया। प्रोहिबीशन को क्यों नहीं रोका, आपने सीलिंग की उसके हम पक्ष में हैं। आप चाहे रूरल की कीजिये या अरबन की कीजिये। लेकिन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या दिया है। आपने उसको क्यों नहीं पूरा किया?

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं शीघ्र ही पूरा कर दूंगा। मुझे केवल दस मिनट ही मिल सके हैं। कल में नहीं बोल सका। मैं कह रहा था कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां गये। माननीय जायसवाल जी और माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रख दिया है। मैं उसको कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। दरअसल आज कोई विधान नहीं है। वहां बहुत बड़े-बड़े वकील हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब तक आप पब्लिक से नहीं लायेंगे तब तक नहीं हो सकता है। इसको आप फेंक दीजिये। जब तक सेक्शन 13 है तब तक नहीं हो सकता है। आपने गिरि साहब के हाथ बांध दिये हैं और कह दिया है कि हम अपील कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मतलब क्या है? कांस्टीट्यूशन के सस्पेंड करने की क्या जरूरत है। एक दिन कह देंगे कि बेयर मैजोरिटी काफी है और उसके बल पर हम जो चाहे कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बेयर मैजोरिटी हम कर सकते हैं। "Bare majority is enough to amend Constitution"

कल को अगर मार्क्सिस्ट भाई अगर आ गये और उन्होंने कांस्टीट्यूशन को स्क्रेप कर दिया तो क्या होगा ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं एक जानकारी चाहता हूं । वह यह है कि मनुस्मृति कितनी बार बदली गयी ? यह संविधान को बदलने का हमें मौलिक अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल संविधान को बदलने का नहीं है । यह संशोधन प्रक्रिया सम्बन्धी है । यह आपको समझ लेना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर मैं यह कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आ जाय जो इस कांस्टीट्यूशन को ही स्क्रैप कर दे और डेमोक्रेसी ही सदा के लिये समाप्त हो जाय । जो कारनामे मैंने बताये उनसे जरा आप उनके रुझान को तो देखें । जो लोग उनके साथ लग रहे हैं जरा उनकी ओर देखें कि वे कौन लोग हैं ।

अब प्रेस पर भी कस कर प्रहार होने वाला है । प्रेस वालों से मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन उन पर दबाव अब पड़ने लगा है । उदाहरण के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि 60 लाख के केस के बारे में कितने अखबार में आया जब कि जरा-जरा सी बातें तुरन्त अखबारों में आ जाती हैं । अगर हमने कांस्टीट्यूशन को परिवर्तन करने का उसूल बना लिया उसको न्यू टेस्टामेंट बनाना चाहा तो कोई हमें न जाने कहां ले जायगा ऐसी परिस्थिति पैदा होने जा रही है ।

प्रधान मन्त्री जी की ओर से यह भी कहा गया कि हम माइनारिटी के अधिकारों की रक्षा करते हैं । यह जनसंघ कब से कहने लगा । एक कौम है---हिन्दू जो दुनियां में कहीं भी माइनोरिटी में नहीं है । इंगलैन्ड अमेरिका कहीं नहीं रही है । कल को आपका पूंजीपति माइनोरिटी में हो जायगा । उसको आप माइनोरिटी कहने लगेंगे । एन्थोनी ने जब कहा कि फंडामेंटल राइट्स को पूरे तौर पर ही निकाल दीजिये क्यों नहीं आपने उनकी बात को मान लिया । उससे आपकी नीयत मालूम हो जाती है ।

जनता की राय जानने के लिये रिफ्रेंडम क्यों नहीं कराया गया ? मैंने एक सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया जाय लेकिन कुमार मंगलम साहब ने कहा कि अगर रिफर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आनाकानी की तो फिर क्या होगा । आप उनकी नीयत पर अविश्वास करते हैं जजेज की नीयत पर अविश्वास करते हैं । जब आप कहते हैं कि हम आश्वासन देते हैं हमारी नीयत साफ है और आपने यह केवल जबान से कह दिया फिर आपकी नीयत पर कोई कैसे विश्वास करें ।

जनसंघ कहता है कि इस पर रिफ्रेंडम कराया जाय क्योंकि 55 करोड़ की जनता में सार्वभौम सत्ता निहित है । उसको रिफर किया जाना चाहिये । आज अगर उसको ऐसा पसन्द है तो वह उसको स्वीकार करे । आप कहते हैं कि हम तो थैंपिंग मेजोरिटी से आये हैं । सभी जानते हैं कि आपकी वह थैंपिंग मेजोरिटी क्या है । जयपुरिया, डालमिया, बिरला के बल पर आप चुनाव जीत कर आये हैं । आप जिस चुनाव में जीत कर आये हैं उसमें गरीब के लिये कोई गुंजायश नहीं है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जनता के सामने इस सवाल को लेकर गये कि हम मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करेंगे । आपने पब्लिक के सामने इस बात को कहां रखा था । इलेक्शन मेनीफेस्टो में होना दूसरी बात है और रिफ्रेन्डम में कोई बात आना दूसरी बात है । मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना चाहते हैं इस चीज को आपको जनता को रिफर करना चाहियेथा । आपको मिले 45 परसेंट । कहीं कह दिया ब्राह्मण है, कहीं कह दिया हम पारसी हैं कहीं कह दिया हम नेहरू हैं । यह

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बात हमको अच्छी नहीं लगती। अभी किसी सज्जन ने कहा था मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि मुझे वह चार्ज करते हैं लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें पी० एन० हक्सर उनके सेक्रेटरी है, टी० एन० कौल फारेन सेक्रेटरी, डी० पी० धर विदेश नीति निर्धारण समिति के चेयरमैन, सब कश्मीरी। हिटलर का नक्शा मेरे सामने आ गया। जो कहा जाता है कि हिटलर अपने ट्रस्टड आदमियों को ही रखता था ठीक वैसे ही हमारी प्रधान मन्त्री भी कर रही हैं। कास्ट वोट्स के 47 परसेंट वोट आपको मिले। अगर कम्युनिस्ट भाइयों का भी जोड़ दिया जाय तो 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होता। तो आज 56 परसेंट को कौन राइट देगा? इसलिये बहुत भयंकर स्थिति आ गयी है। डेमोक्रेसी हिल नहीं रही है बल्कि सांस ले रही है। तो मेरी राय है कि दो-तिहाई मेजारिटी से भी नहीं होना चाहिये। जिसका हम घर बना रहे हैं उसकी पसन्द से बनायेंगे हम रेफरेंडम करेंगे ताकि दोष न रह जाय।

एक चीज अन्त में मैं और कह दूं। आज हमको रिएक्शनरी कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग रिएक्शनरी नहीं है जिसने पाकिस्तान बनवाया। आज उनके काले कारनामों से 80 लाख हिन्दू भाग कर यहां आया है जिसके कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है। वह रिएक्शनरी नहीं है रिएक्शनरी मैं हूं जो कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान एक हैं। रिएक्शनरी मैं हूं जो कहता हूं कि मुजीबुर्रहमान को समर्थन दो और बंगला देश को स्वतंत्र कराओ। यदि यह सब कहना रिएक्शनरी है तो जीवन भर मैं प्रिफर करूंगा कि मुझे रिएक्शनरी कहा जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संविधान में 24वां संशोधन विधेयक आया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारा संविधान दो उद्देश्यों को ले कर बना है और हर प्रगतिशील देश का संविधान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनता है। वह उद्देश्य यह है। एक तो सरकार में और देश में स्थायित्व आये, और दूसरे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो, उसमें कोई रोड़े न लगें। देखने में यह लगता है कि यह दो चीजें एक दूसरे के खिलाफ पड़ती है। आज सारी बहस इस पर है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जिसको लोग कहते हैं, जो वास्तव में एक स्टेटिक चीज है और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें हमारे देश की तरक्की निहित है, जिसमें यह आदेश कि देश की प्रगति के लिये हमें क्या क्या करना है। बदकिस्मती से फंडामेंटल राइट्स पर तो कोर्ट्स का जजमेंट हो सकता है लेकिन प्रोग्रेस के बारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। उसको दिमाग में रख कर सरकार को काम करना पड़ता है चाहे वह सरकार प्रदेश की हो या देश की हो। उसका पूरा-पूरा दायित्व है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स हैं उनको मद्देनजर रख कर सरकार चलायें और उसमें अगर कहीं कोई अड़चनें पड़ती हैं तो उनको दूर करें।

अभी पं० जवाहर लाल नेहरू के बारे में कहा गया कि उन्होंने क्या कहा था। इस बारे में जवाहर लाल नेहरू ने अपनी राय जाहिर की है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वह स्टेटिक हैं। वह स्थायित्व देते हैं हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को जो हमारे संविधान में हैं। वह हमको आगे बढ़ाते हैं। यदि इन दोनों में झगड़ा हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको उस हद तक दबाना पड़ेगा। जहां तक आगे बढ़ने में हमारे देश की तरक्की में वे बाधक हों। संविधान हमेशा बनाया जाता है। बहुत विचार और बहस के बाद। वह चाहे जितने बड़े लोग हों, चाहे जवाहर लाल नेहरू हों या अम्बेदकर हों उनके बनाये हुये संविधान को भी कोई फोरसी नहीं कर सकता है कि 50 साल के बाद क्या परिस्थिति आयेगी। इसलिये मैं सदन में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर ठंडे दिल से विचार करें। यह संशोधन तो ऐसा है जिसको सर्वसम्मति से इस सदन से पास होना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि सोशलिस्ट पार्टी ने भी इसका विरोध किया। असल में बात यह है कि जब हमको आगे बढ़ना है तो जवाहर लाल जी के शब्दों में कहना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज हो सकता है।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट क्या है? सब से बड़ा फंडामेंटल राइट यही है कि जिन्दा रहो और अच्छी तरह से जिन्दा रहो। हर एक नागरिक के फंडामेंटल राइटस क्या हैं जिस तरह से फंडामेंटल राइट बने हैं उसके अनुसार एक नागरिक जिन्दा रहे और अच्छी तरह से जिन्दा रहे। जिस समय यह संविधान बनाया गया उस समय रियासतें थीं, ताल्लुकेदारी थी, सर्विसेज के कुछ राइट्स अंग्रेजों ने दे रखे थे और भी बहुत सी चीजें थीं जिनका सामन्जस्य करना था। हर एक नागरिक यह जान सकता है कि यह प्रोग्रेस में रोड़े हो सकते हैं। प्रिंसेज को कुछ राइट्स देने थे। आज कौन कह सकता है कि प्रिंसेज को जो और राइट्स मिले हुये हैं वह राइट्स आज की डेमोक्रेसी में कैसे रह सकते हैं। जो सर्विसेज को गारन्टी दी गई थी वह उस समय जरूरी हो सकती थी लेकिन आज उस पर सवाल किया जा सकता है कि सर्विसेज को गारन्टी देने की क्या जरूरत है। सर्विसेज के राइट्स से अगर देश की उन्नति में बाधा पड़ती है या कोई अड़चन पैदा होती है तो उनके राइट्स जो खतम किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, राइट्स आफ प्रापर्टी की बात कही जाती है तो मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी मिटाने के लिये, देश की तरक्की करने के लिये, देश में जो छोटे स्तर के नागरिक हैं उनका जीवन स्तर उठाने के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, हरिजनों के साथ जो यह सलूक हो रहा है उसको हटाने के लिये कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा आर्टिकिल 13 और आर्टिकिल 368 में चेंज किया गया। 368 आर्टिकिल में जो हमारे राइट्स हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों को यह अधिकार है कि वह उसको बहुमत से बदल दें। उन दोनों से इसको पास किया। अब हमारे यहां यह विचार करने के लिये आया है। मेरा विश्वास है कि उसको हम लोग उसी दलील से देखेंगे कि अपने देश की तरक्की के लिये यह किया जा रहा है।

कहा गया कि जुडिशियरी की बात नहीं मानी गई। जुडिशियरी की बात हम मानते हैं। उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया कि यह फंडामेंटल राइट्स में तरमीम हो सकती है। एक जजमेंट ऐसा हुआ जिसमें एक वोट से एक साहब ने यह कह दिया कि इस तरह के फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है एक जज की राय है वह सही राय है और उसको सही मान कर ही हम यह संशोधन लायें जहां 368 अनुच्छेद में उन्होंने कहा उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, सब्सटेंटिव ला चेन्ज नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि किया जा सकता है और उसी को ठीक करने के लिये यह संशोधन आया है और यह अधिकार संसद को है और उसको जनता का मेन-डेट मिला हुआ है। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने और दूसरे जनसंघ के साथियों ने कहा कि रिफरेन्डम के लिये इसको भेंज दिया जाय। लेकिन जो एक अच्छा काम किया जा रहा है वह परिस्थिति के अनुसार किया जा रहा है। अगर हम चार 6 मास की भी इसमें देर करते हैं तो उससे देश में खूनी क्रान्ति हो सकती है और आपके संविधान के पन्ने उड़ाये जा सकते हैं। इसलिये संविधान की रक्षा के लिये ही यह जरूरी है, सरकार की और जनतन्त्र की स्टेबिलिटी के लिये यह जरूरी है कि ऐसे अनुकूल परिवर्तन स्थिति के अनुसार लाये जायं और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो जरूरी हैं और

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

उनमें जो अड़चनें हैं वह दूर की जायं। जो आवश्यक परिवर्तन हैं और जिनके बारे में चुनाव से पहले मेनीफेस्टो दिये गये उन पर पूरा अपना मेनडेट देश ने दिया और बहुत बड़े बहुमत से दिया तो अब उस सब के बाद इस रिफ्रेन्डम का क्या सवाल है? वह तो केवल टालने का बहाना मात्र हो सकता है। हम समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना चाहते हैं और उसको जब सब ने स्वीकार किया है तो अब रिफ्रेन्डम के माने कुछ नहीं हो सकते। वह कोई ज्यादा कारगर चीज न होगी। सवाल यह है कि एक नागरिक का जो सबसे बड़ा और मौलिक अधिकार है कि वह जिन्दा रहे और अच्छी तरह से सुखपूर्वक जिन्दा रहे, उसके खाने पीने की, आवास की और शिक्षा आदि की ठीक से व्यवस्था हो। आप कहते हैं कि यह सब इतने दिन तक क्यों नहीं किया? मैं यह मानता हूं कि हम अभी वह सब नहीं कर पाये हैं लेकिन इतनी बड़ी समस्या थीं सीन और अनसीन, बड़ी-बड़ी बाढ़ आई, सूखा आया, तमाम तकलीफें और दो-दो लड़ाई आईं इन तमाम चीजों पर हमें खर्च करना पड़ा। लेकिन मैं माननीय माधव प्रसाद जी से और अन्य लोगों से बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में क्या देश के सभी लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि जो उद्देश्य हम ने बनाये हैं उन की पूर्ति में सभी सहायक हों....

एक सदस्य—

बड़ा हल्ला सदन में हो रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हमारे लिए यह जरूरी है कि देश से गरीबी मिटाने के लिए, बेकारी दूर करने के लिये और हमारी जो अन्य समस्यायें हैं और उनके लिए जो पैसे की जरूरत है उस को पूरा करने के लिए जो फंडामेंटल राइट आफ प्रापर्टी है उसमें हमें परिवतन करना पड़ेगा। हम ने मुआवजे की बात उस में रखी थी लेकिन अब वह मुआवजा मार्केट वेल्यू पर नहीं दिया जा सकता और जो जायदाद बेजा तरीके से एक्वायर की गई है जिनकी मिलकियत का उनको कोई हक नहीं था उन के अधिकारों को बिना मुआवजा लेना भी बेजा न होगा। इसी लिये यह प्रीवीपर्सेज के अधिकारों में परिवर्तन भी जरूरी है, जो मानोपलीज हैं उनको खत्म करने की बात है जो औद्योगिक क्षेत्र में बनी हुई हैं और समाजवाद लाने के लिए यह जरूरी है कि अगर संविधान में तब्दीली जरूरी है तो वह हमारी संसद करे क्योंकि उसको जनता के जबरदस्त बहुमत से मेनडेट मिला हुआ है।

बड़ी हल्की दलील दी जाती है कि जिस जनता ने लोकसभा में हमको भारी बहुमत में भेजा था उसी न दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कौंसिल में हमें हरा दिया। जितने प्रबुद्ध लोग हैं वह सब जानते हैं कि कौन किस संस्था को ठीक से चला सकता है, जनता आज की जानती है कि केन्द्र की और स्टेटों की सरकार कौन ठीक से चला सकता है और उसने हमारे दल के हक म फैसला दिया और कौन म्युनिसपैलिटी का और सफाई का नालियों की सफाई का ठीक से इंतजाम कर सकता है, कौन प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकता है वह काम और वह काम उसने उनके सुपुर्द किया है।

हां, एक बाइ इलैक्शन हुआ लोक सभा का। उसमें बराबर कांग्रेस की जीत हुई। मैं श्रीमन्, अर्ज कर रहा था कि जो यह दलील दी जा रही है यह कोई दलील नहीं है। आप छोटी-छोटी चीजें कहते हैं। आप हिटलर का मुकाबिला इन्दिरा गांधी से करते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जब पहले अमैन्डमैन्ट हुए हर अमैन्डमैन्ट में यह कहा गया कि डिक्टेटरशिप से काम किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप से नहीं काम किया जा रहा है बल्कि पब्लिक का लोकतन्त्र का आदर करने के लिए पब्लिक ने जो मैन्डेट दिया है उसका आदर करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसको कायम करने के लिए लाया गया है और चीफ आर्गुमन्ट कि वह काश्मीरी है, यह

काश्मीरी है। इस तरह की दलीलें माननीय त्रिपाठी जी जैसे उच्च कोटि के नेता द्वारा आयें। योग्य आदमी कहीं के हों। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद आ रहा है। कौन सा ब्राह्मण-वाद आ रहा है। कहीं योग्य आदमी हैं और प्रदेश में तो हमें ले लेना चाहिए। जनता में इन्दिरा जी की अच्छी इमेज है। इसलिए नहीं कि वे प्रधान मंत्री हैं। इसलिए कि देश में उन्होंने जन-जन के हृदय में अपना स्थान कायम कर लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, शर्मा जी अपने को ब्राह्मण मानते हैं तो कोई बात नहीं है....

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिसमें विवेक बुद्धि है वही ब्राह्मण है। लेकिन आपका इससे कुछ और अर्थ तो नहीं है। दूसरी बात मुझे अफसोस होता है कि विरोधी नेताओं द्वारा खासतौर से जायसवाल जी द्वारा, मैं उनकी कद्र करता हूं, यह कहा जाता है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी न जाने किस रोज निकाल दिया जायें। जगजीवन राम और फखरुद्दीन अली अहमद न जाने कब निकाल दिये जायं। दूसरी पार्टियों की आपको फिक्र क्या है। अपने मुंह को दामन में डाल कर देखें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय शर्मा जी अपने ऊपर भी विचार कर लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

फखरुद्दीन साहब जहां हैं वहीं मौजूद हैं। अगर किसी उद्देश्य से देश का भला होता है तो क्या उसमें डिक्टेटरशिप हो जाती है? यह कहा जाता है कि कमलापति त्रिपाठी जा रहे हैं। इतने आदमी इनकी बैक पर हैं। स्वयं प्रधान मंत्री आकर तारीफ करती हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मंत्रिमंडल का विस्तार कब होने वाला है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

आज हमारी पार्टी इतनी मजबूत है और उसमें अब कोई हवा नहीं है कि मुख्य मंत्री हट रहे हैं। लेकिन विरोधी पार्टियों को बड़ी फिक्र और हमदर्दी है। उसके लिये हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देश का भला पार्टी के ऊपर है। आज देश में कई समस्यायें हैं, गरीबी की, बेकारी की, बंगाल देश की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। इन सबके लिये जरूरी है कि जिन्होंने मोनोपोली कायम कर रक्खी है चाहे वह प्रेस की हो, प्रेस की आजादी नहीं छीनी जाती है, वह तो दिलाई जा रही है। जो छोटे पत्र-कार हैं पूंजीपति उनकी आजादी का हरण कर रहे हैं, उसकी आजादी को दिया जा रहा है। चारों तरफ आजादी लाने के लिये, समता लाने के लिये यह जरूरी है कि जो पूंजीपति हैं उनसे पैसा निकाला जाय और उसे सार्वजनिक सर्वजनहिताय खर्च किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब दें। जो इधर की राय है वह व्यक्त हो गई हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

इधर की राय तो समर्थन की थी। इनके सबके भाषण की क्या आवश्यकता थी?

श्री उपाध्यक्ष--

जितना समय था उतना हो गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

समय बढ़ा दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

शर्मा जी कल भी बोल चुके हैं, मेरा निवेदन है कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब किसी विषय पर बोलने वाले विपक्ष के ज्यादा हों तो ऐसा हो सकता है लेकिन पक्ष वालों के लिए समय बढ़ाने से क्या लाभ है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हम इसकी आलोचना करना चाहते हैं लेकिन आपने मौका नहीं दिया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप 10 मिनट का समय मुझे दे दें । आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सभी को मौका दे रहा हूं । जितना समय है उसी के अन्दर मौका दिया जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपने मुझे समय नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो खिलाफ राय वाले थे उनको समय दिया था । अब समय नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

कल आधा दिन इसके लिए दे दिया जाय?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

शर्माजी तो कल बोल चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह जवाब देंगे यह आप जानते हैं । .....(व्यवधान).....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

कल आपने कहा था कि समय देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मुझे को समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है। मेरी आल इन्डिया पार्टी है। उसने इस विधेयक को लाने में संघर्ष किया है। मैं आपकी व्यवस्था के विरोध में पहली बार इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह ने सदन का त्याग किया।)

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मैंने बड़े ध्यानपूर्वक भाषणों को सुना है। मैं कृष्णानन्द राय जी और वर्मा जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो उनके लिए उपयुक्त ही था उसके अनुसार समर्थन करने का फैसला किया। मैं थोड़ी सी बातें अर्ज करना चाहता हूं।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने बड़े ध्यानपूर्वक इस बहस को सुना है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय आप दूसरों को भी मौका दें कि वह अपनी शंकाओं को बता सकें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मेरी समझ में तो यही आया कि सदस्य चाहते हैं कि 1 घंटा बढ़ा दिया जाय। एक घंटे के बाद में तो कोई बाकी नहीं रह जायेगा ?

एक सदस्य--

जो विरोध में बोलने वाले हैं उनको मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। जब तक कि वोटिंग नहीं होती है तब तक क्या पता चलेगा कि कौन पक्ष में है या कौन विपक्ष में। मैं सबके मन की बात को कैसे जान सकता हूं।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय जो राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव रखा है 24 वां कांस्टीट्यूशन का अमेन्डमेंट मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। किसी भी देश में संविधान क्या होता है ? वह उस देश में रहने वाले लोगों की जो भावनायें दिखाई देती हैं प्रतिबिम्बत होती हैं वह समाज को नियंत्रित करने का सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से एक इन्स्ट्रूमेंट है। अभी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

किसी साथी ने कहा कि सावरेन्टी कहां है ? सावरेन्टी पब्लिक में निहित है। सावरेन्टी रिप्रेन्जेन्टेशन के द्वारा चली जायेगी पीपुल्स के पास। मैं इस बात को मानता हूं कि पार्लियामेंट को जहां अधिकार है और उसको पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह संविधान की जिस धारा के द्वारा लोक-कल्याण होता है उसमें वह परिवर्तन कर सके। जो डर पैदा करने वाले भाषण हुये फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें दो चीजें हैं। एक तो नीति निर्देशक सिद्धान्त हैं और एक फंडामेंटल राइट्स हैं। जो नेचुरल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे स्पष्ट हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं चलने का, बैठने का, एक्सप्रेस करने का, संघ बनाने का और जो नेचुरल राइट्स हैं उनकी तरफ से नेचर द्वारा प्रदत्त वस्तुयें आ जाती हैं। जहां तक कि फंडामेंटल राइट्स का सवाल है उस पर कोई सरकार आघात नहीं करना चाहेगी। इसमें बहुत से लोगों ने कहा है। इस बात को कहा है कि अगर यह हो जायेगा इंग्लैन्ड में तो क्या होगा, अमेरिका में यह हो जाएगा तो क्या होगा। उन सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। हमारे देश में तो चाणक्य से लेकर तमाम मनीषी हुये हैं। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। आज हिन्दुस्तान की जनता चाहती है। हिन्दुस्तान की जनता नहीं चाहती थी तो 40 करोड़ आदमी बैठे रहे और हजारों वर्ष तक यह देश गुलाम बना रहा। आज हिन्दुस्तान की जनता चाहती है तो उसने अपने रिप्रेजेन्टेशन के जरिये से इस संविधान को परिवर्तित करने के लिए फोर्स किया। वह चाहे वोट के कारण हो या किसी भी कारण से हो, जिस मैनीफैस्टो को लेकर यह सरकार आयी थी और उसमें जिस बात की अपेक्षा थी, उस बात को लेकर इस सरकार ने इस कार्यक्रम को किया।

जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा-- 368 और 13 की बात। शर्मा जी तो वकील हैं। ज्यादा एप्रीहेंसन वकीलों की ओर से ही होता है। वकील लोग कृपा करें, कांस्टीट्यूशन जो बनता है, कानून जो बनता है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार आपको है। कानून बनाने का अधिकार तो जनता को ही है। आज जनता ने फोर्स किया तो आपने कह दिया कि यह संशोधन हो। मैं मानता हूं कि प्रापर्टी का राइट फन्डामेन्टल राइट्स में कहीं भी दुनिया में नहीं है और प्रापर्टी कोई नेचुरल राइट नहीं है। जब कोई पैदा होता है तो किन चीजों को लेकर पैदा होता है ? चलने-फिरने, उठने-बैठने, खाने पीने, संघ बनाने-- ये सारी बातें तो हैं, लेकिन क्या हम अपने साथ 10 एकड़ जमीन लेकर आए हैं ? या मरते वक्त कुछ ले जायेंगे। श्रीमन्, सिकन्दर, नैपोलियन, चंगेज खां, जो इतने बड़े विजेता थे, जब जाने लगे तो उन्होंने भी कहा हमारे साथ एक पैसा भी नहीं जा रहा है। तो यह नेचुरल राइट नहीं हुआ। नेचुरल राइट्स के अन्तर्गत पार्लियामेन्ट को अधिकार है कि वह सारे कार्यों को करे। आज हमारे एक भाई गोखले साहब का कथन पढ़ रहे थे। आप लोग भी उसी दल के हैं। आज सरकारी पक्ष में हैं। इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है और न किसी को कोई एतराज ही है कि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। Constitution is a the will of the people. जनता की विल पर कांस्टीट्यूशन बनेगा और उसमें परिवर्तन होंगे। ऐसा 23 बार हो चुका है। चौबीसवीं बार आप इतना बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो रहा है। यह सब वोट लेने की बात है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि संविधान में परिवर्तन हो जाने के पश्चात् वे सारी चीजें दूर हो जायेंगी जिनको आप एप्रिहेन्ड करते हैं। यह काम संविधान में परिवर्तन करने से नहीं होगा। यह आपकी बात नहीं है। जब ज्वाइंट कांग्रेस थी तब 10 प्वाइन्ट प्रोग्राम में यह बात पास हुई थी। आज आपके हाथ में सत्ता है। यह बात नहीं है कि आपही ने इस कार्यक्रम को किया। श्री केशव देव मालवीय ने संविधान में 24वें संशोधन पर तो पार्लियामेंट में कम कहा और कांग्रेस के स्पिलिट पर बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्पिलिट से उनको बड़ी खुशी हुयी है। पंडित जी को याद होगा सन् 1950 में केशव देव मालवीय कांग्रेस छोड़ कर चले गये थे और जन कांग्रेस

बना ली थी। उन्होंने एक नयी पार्टी बना ली थी। आज कांग्रेस स्पिलिट पर उन्हें खुशी हो रही है। आप कहते हैं : That was momentous. That was momentous here in Uttar Pradesh Assembly जब आपने कांग्रेस से रिजाइन किया था और जन कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। एक बार सी० पी० (एम०) के लोगों ने कहा था : We will wreck the Constitution from within. आज आप उस बात की गम्भीरता को नहीं सोचते हैं। पंडित चतुर्भुज शर्मा चले गये। मैं समझा था कि वे पढ़कर आये होंगे। वे पढ़कर नहीं आये थे। उन्होंने कह दिया कि जनता संविधान के पन्ने फाड़ने लगेगी। गोलकनाथ केस के पहले संविधान के पन्ने फटे हैं और झन्डा भी जलाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन कार्यवाहियों पर क्या ऐक्शन लिया गया ? यह बात आप मत कहिये कि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जायेगा। भाई कृष्णानन्द राय जी ने कल कहा था। मैं भाई अनन्तराम जायसवाल जी से कहना चाहता हूं....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

संविधान के पन्ने फाड़ने वाले और झन्डा जलाने वाले तो जेल चले गये थे और यहां जो संविधान को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं वह प्रधान मन्त्री बने हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्री नायिकर आदि जो जेल गये थे वह अब उससे भिन्न हो गये हैं। जो लोग जेल गये थे वे आज राज्य कर रहे हैं। सी० एम० अन्नादुराई भी एक थे। कहा गया कि फ्रस्ट्रेटेड और ओवर एम्बीशस लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, मैं उस पीढ़ी का हूं जिसमें फ्रस्ट्रेशन का नाम ही नहीं है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि इतनी जल्दी हमको और नौजवानों को नहीं घबड़ाना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन तो उन लोगों में था जो कि दल बदल कर आज उधर चले गये हैं। वे आज है पी हैं और फ्रस्ट्रेटेड हमको कहते हैं। कल वे बदल दिये जायेंगे और इधर आ जायेंगे। आपने जैसा कहा, यह केवल पावर है। जिन लोगों ने नारे दिये 'We will wreck the Constitution from within.' आज वही लोग इस कार्यक्रम को चलाने के लिए बने हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा केशव देव मालवीय जी से कहना चाहता हूं कि जब आपकी कांग्रेस में निष्ठा गिर गयी थी तभी तो आप कांग्रेस को छोड़कर चले गये थे। बाद में लड़ाई हुई और खींचातानी हुई। कानी कौड़ी का भी मोल बहुत बन जाता है। आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका कांग्रेस के कार्यक्रम में विश्वास हिला नहीं था। आज Wreck the Constitution from within के साथ आपको देखना होगा कि इनफिल्ट्रेशन हो रहा है आज आप सोचते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं जो कि सत्तारूढ़ हैं वही इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। पंडित जी आप बड़े भारी नेता हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपके हाथ में यह राज्य नहीं रहने वाला है और न आपकी पीढ़ी के रहने वाले लोगों के हाथ में रहने वाला है जिन्होंने कि 20, 30, 50 वर्ष तक अंग्रेजों के डन्डे खाकर इस भारत माता की आजादी के कार्यक्रम को लेकर इस देश को आजाद किया था। आप कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली के मेम्बर भी थे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आप जैसे लोगों से भला होने नहीं जा रहा है (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। मान्यवर, इनके दल में आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। माननीय सिद्धार्थ शंकर रे

[श्री बंशीधर पांडेय]

माननीय खाडिलकर माननीय चन्द्रजीत यादव यह सारे लोग क्या करेंगे? लोक सभा में माननीय सिद्धार्थ शंकर रे ने क्या कहा है वह मैं पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—

" She did not say yes ; She did not say no ;
She did not say stay ; She did not say go ;
She wanted to climb ; but was afraid to fall ;
So she bided her time ; and clung to the wal."

महापवर, राजा मुजीबुर्रहमान जेल में हैं और उनका नौकर राज्य कर रहा है, यह स्थिति आ गयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जैसे लोगों की पार्टी आपकी है उससे देश का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि—

" She always says yes ; She never says no ;
She always says to stay ; She never says to go ;
But she always acts such ; which results in no and go."

तो आज स्थिति यह है। इतनी तेजी से तो हिटलर भी नहीं कर पाया था। हिटलर ने पावर में आने के बाद और पहले भी कुछ प्रतिक्रियावादी साथियों को भी साथ में रखा था। आज हो क्या रहा है? जितने भी बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वे अपनी पूंजी को देश से बाहर ऐसे देशों में लगाते चले जा रहे हैं और आप उनको इजाजत दे रहे हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। वहां आलरेडी उनकी काफी पूंजी लगी हुयी है। सुकार्नो अपने जमाने में एशिया में महान नेताओं में गिना जाता था। वह अपने देश की आजादी के लिये 18 साल तक जेल में रहा। दुनिया के इतिहास में किसी ने इतनी जेल नहीं काटी। उसने भी अपने संविधान में यह परिवर्तन किया कि जब तक वह जीवित रहेगा वह प्रेसीडेंट रहेगा। उन्होंने यह भी प्रस्ताव पास करवा लिया लेकिन उसके बावजूद भी यह डर था कि यह डिक्टेटर न बन जाए। यद्यपि उसने कांस्टीट्यूशन में चेंज करवा लिया था लेकिन उसके पास कराने के 6 महीने बाद भी वह नहीं टिक सका। इनकी तो वही हालत होगी जो उस राजा की हुई थी जिसके पास फांसी थी। एक किस्सा मैं सुनाकर आपनी बात समाप्त करूंगा।

एक राजा था जिसके अधिकार में फांसी थी। उसने अपने राज्य में यह आज्ञा कर रखी थी कि जितनी सफेद-सफेद चीजें होंगी वे सारी की सारी एक रुपये सेर बिकेंगी। बालू, रूई, मिठाई आदि सभी। वहां घूमते-घूमते एक गुरू चेला आए। उन्हें यह अंधेरनगरी बहुत समझ में आई और वे वहां मौज से रहने लगे। खूब खाया पिया, उन्हें अपनी तन्दुरुस्ती फिट करने का मौका मिला। एक अवसर पर गुरू ने चेले से कहा अब इस नगर को छोड़कर चल देना चाहिए इस अंधेर नगरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन चेला नहीं माना और वह वहीं रहता रहा गुरू चले गये। एक दिन राजा के मन में आया कि राज्य में जो सबसे मोटा आदमी है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चेला खूब खा-पीकर मोटे हुए थे उन्हीं को फांसी पर चढ़ाने के लिये चुना गया। अब तो चेला पछताने लगा और वह अपने गुरू को स्मरण करने लगा कि हमने गुरू का कहना नहीं माना इसी कारण आज फांसी पर जा रहा हूं। चेला ने कहा कि हमें फांसी से पूर्व पूजा ध्यान के लिये 15 मिनट का समय दे दिया जाए। पूजा-पाठ के लिए उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। जहां उसने अपने गुरू को स्मरण किया और गुरू जी अपनी शक्ति से अर्न्तध्यान होकर उस कोठरी में आ गए और वे दोनों उस कोठरी में झगड़ा करने लगे। जब इसकी आवाज बाहर पहुंची तो राजा ने सोचा कि इसमें तो एक आदमी बंद किया था यह दो आदमियों के झगड़ने की कैसे आवाज आ रही है। फाटक खोला गया तो उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। उन लोगों ने कहा कि आज के मुहूर्त में जो फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा इसीलिए हम चाहते हैं कि हम फांसी पर चढ़ें और यह कहते हैं कि यह चढ़ें। इस पर उस मूर्ख राजा ने

कहा कि यह तुम्हारे बाप की फांसी नहीं है फांसी हमारी ह तुम लोग भागो और वह राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया। तो अब आपकी हर तरह से मौत है। हिटलर बन जायेंगे तब भी निकाले जायेंगे। सुकार्नो भी बनेंगे तो भी निकाले जायेंगे। और यदि आप राजा की तरह चलेंगे तो भी आपको स्वयं अपने गले में फांसी लगानी पड़ेगी। मैं इन तीनों खतरों के लिए चेतावनी देते हुए इसका समर्थन करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं बंशीधर पांडेय जी से पूछना चाहता हूं कि जब वह इतने संकट में, दुर्दशा में पड़े हुए हैं और यह समझते हैं कि ताकत किसके हाथ में जा रही है तब भी वह इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं ? जब वह इसका समर्थन करके संकट में पड़ने जा रहे हैं तो वह गुरू के पास क्यों नहीं चले जाते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

उस जमाने में गुरू चालाक थे। आज आप चेले की बात मानकर चले आइये। नहीं तो सुकार्नो कांड हो जाएगा। जो दुर्दशा रेड्डी और सुखाड़िया वगैरह की हुई है वही आपकी एक दिन होगी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस प्रश्न ने हमारे देश के सामने एक मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या इस देश का भाग्य यहां के चुने हुये प्रतिनिधि तय करेंगे या इस देश की जूडिशियरी तय करेगी। गोलकनाथ के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें यह प्रश्न सामने खड़ा हो गया है कि देश के अन्दर कौन सी स राजवादी व्यवस्था होगी कौन सी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होगी ? इसको इस देश की चुनी हुई जनता तय करेगी या यहां की न्यायपालिका तय करेगी। इस केस को आप पूरी तरह पढ़ें तब कोई विचार दें। मैं अकेले नहीं कह रहा हूं इस देश के जो बड़े-बड़े जूरिस्ट्स थे उन्होंने भी यही कहा है। श्री सीतलवाड ने अपनी पुस्तक माई लाइफ ला ऐंड अदर थिंग" में साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई जूडिशियल फैसला नहीं है एक न्यायिक निर्णय नहीं है यह बिल्कुल राजनैतिक निर्णय है यह केवल एक राजनैतिक दस्तावेज है। जो बात संविधान में नहीं कही गई, जिस बारे में संविधान खामोश है, उसको संविधान में रखा गया है। मान्यवर, आप अनुच्छेद 368 को देखें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ कहा गया कि अनुच्छेद 368 में केवल प्रोसीजर है सब्सटैंटिव ला नहीं है। अगर यह प्रोसीजर है तो संविधान में कौन सी ऐसी धारा है जिसके अन्दर इस प्रोसीजर का सब्सटैंस है। इसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 13 की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 3 है उसके अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। किस बिना पर कहा गया? अनुच्छेद 13 के अन्दर जिन रूल्स और लाज की बात कही गयी है, कांस्टीट्युशनल अमेंडमेंट का भी ला है। कांस्टीट्युशनल हिस्टरी में पहली दफा हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कांस्टीट्युशनल ला और आर्डिनरी ला, इन दोनों के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं की क्या राय है, उन लोगों की राय जो पूंजीवादी इकोनामी में यकीन करते हैं, प्रोफेसर डायसी को आपने पढ़ा होगा, प्रोफेसर डायसी कांस्टीट्युशनल ला इंग्लैण्ड में एक्सपर्ट हैं, जहां कोई कांस्टीट्यूशनल ला नहीं है, कोई रिटेन कांस्टीट्युशन नहीं है--

"There is a clear separation between a constituent law and the rest of the law and that must not be forgotten. An amendment of the dconstitution is constitutional law and is in exercise of constitution making powers. It is not an ordinary law in exercise of ordinary legisltive powers."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

दूसरे विधिवेत्त इंग्लैण्ड के ही आइवर जेनिंग्ज हैं—

"Whatever the nature of written constitution, it is clear that there is fundamental distinction between constituent law and ordinary law."

हमारे देश के अन्दर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर यह नहीं कहा जा सकता कि कांस्टीट्यूशनल ला अलग है और ऑर्डिनरी ला अलग है। यह क्यों कहने की जरूरत पड़ी इसलिए कि उन शक्तियों को जिनका हिन्दुस्तान के संविधान के अन्दर जिक्र नहीं है उनको इम्पोट कर दिया जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि बाद में जितने सुप्रीम कोर्ट के केसेज हुए, वह एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के अन्दर हमारी जुडीशियरी एक तीसरे चैम्बर का रुख अख्तियार कर रही हो। इस केस के बाद बैंक नेशनलाइजेशन का केस आता है उसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया? अनुच्छेद 31 (2) में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार कर दिया गया है। इस अनुच्छेद के अन्दर संशोधन लाकर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक मुआविजे का सवाल है, पार्लियामेंट का ला जो मुआविजा तय कर देगा उसके क्वाटंम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती। स्पष्टतया संविधान में लिखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इल्युजरी के नाम पर कहती है कि हमको इसमें जुरिस्डिक्शन है। पार्लियामेंट ने तय किया कि 50 करोड़ रुपये मुआविजा देना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50 करोड़ का धन इल्युजरी है। इसी तरह से राजाओं की प्रीवीपर्स का सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आर्टिकिल 363 में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन स्पष्ट रूप से आउस्ट कर दिया गया है। लेकिन इन नाम पर कि राजाओं की प्रीवीपर्स और प्रिविलेजेज चूंकि उनकी प्रापर्टी है और चूंकि उनकी प्रापर्टी ली जा रही है इसलिए फंडामेंटल राइट का सवाल आता है। जिन फंडामेंटल राइट्स का सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट उनमें दखल दे सकती है। इस रोशनी के अन्दर आप गोलकनाथ केस को देखें तो क्या चीज सामने आती है? दो नतीजे उसके निकलते हैं। पहला नतीजा तो यह निकलता है कि अगर यह संविधान वर्तमान स्वरूप में इस देश में रखा जाय तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता और कोई सुधार उसमें नहीं हो सकता। सीलिंग का प्रश्न है। अगर 90 करोड़ एकड़ भूमि भी उपलब्ध हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाय और 1 हजार रुपया फी एकड़ मुआविजा देने की बात की जाय तो 90 हजार एकड़ के लिये कितना पैसा चाहिये। अगर यह केस रहता है और यही स्थापना रहती है तो क्या नतीजा होगा, आप कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा सकते।

मैं पूछना चाहता हूं आखिर संविधान के अन्दर जो मौलिक अधिकारों की बात कही जाती है तो क्या मौलिक अधिकार हैं? सबसे बड़ा अधिकार राइट आफ प्रापर्टी है। सम्पत्ति के अधिकार से क्या मतलब है? सम्पत्ति के अधिकार से क्या यह मतलब है कि बिरला जी को अधिकार है कि 30 करोड़ की पूंजी से वह 400 करोड़ के स्वामी बन जायं लेकिन वह मजदूर जो बिरला के कारखाने में काम करता है उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि अपनी मेहनत से जो वह उत्पादन करता है उसका मालिक वह बने? सम्पत्ति का अधिकार आप क्या यह दे रहे हैं कि गोयनका को आप यह अधिकार दे रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, पत्रकार श्रमजीवी हैं वे अपने विचारों को व्यक्त न कर सकें, पूंजीपतियों के गुलाम बनकर रह जायं और उन्हीं की विचारधारा को व्यक्त कर सकें? जायसवाल जी ने कहा कि यह कोई क्रान्तिकारी संशोधन नहीं है, सिर्फ एनएबलिंग पावर है, कुछ करने की शक्ति इसके जरिये से ली जा रही है। यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह भी हो सकता है कि 31 (ग) निकाल दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह भी किया जा सकता है। मैं उस पर आ रहा हूं। यह सही खतरा है कहीं ऐसा न हो कि इस अधिकार के द्वारा जो हमारे और मौलिक अधिकार हैं उन पर कुठाराघात हो। उसके लिये मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जागरूक जनता है। हिटलर की बात कही गयी। हिटलर का खतरा इस देश में पैदा हो गया था। इन चुनावों से पहले जो महान गठबंधन हुआ उसने वह खतरा पैदा कर दिया था कि हिटलर वाली शक्ति पैदा हो लेकिन हमारे देश की जनता ने उस गठबन्धन को खत्म करके साबित कर दिया कि वह जागरूक है और इस बात का उसने सबूत दे दिया कि इस देश के अन्दर हिटलर वाली डिक्टेटरिशप पैदा नहीं हो सकती। हमारे देश की जनता की जागरूकता का ही यह ज्वलंत प्रमाण है कि जहां चुनाव के पहले हमारे सिंडीकेटी भाई इस तरह से संशोधन की मुखालिफत कर रहे थे आज जनता ने उनको इतनी समझ दे दी कि वे इस संशोधन के हक में वोट देने को तैयार हैं। इसलिये हमें अपने देश की जनता पर यकीन रखना चाहिये जिसने सिंडिकेट तथा जनसंघ को मजबूर कर दिया कि वे अपनी पहले की ओपीनियन को रिवाइज करें।

श्री कल्पनाथ सिंह नेगी—

इनको अनर्गल भाषण करने से रोकें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कल तक आप इसका विरोध कर रहे थे और आज सपोर्ट कर रहे हैं, यह मेरा कहना अनर्गल हो गया।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने इसीलिये तुम जैसे लोगों को चेतावनी देने के लिये ही कहा है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप लोग 5-5 मिनट बोलें तो मैं समय दे सकता हूं।

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, 28 जुलाई को पार्लियामेंट में दो बिल पास किये गये। यह जो 24 वां अमेंडमेंट बिल हमारे सामने मौजूद है और मैं जानता हूं कि इस पर इस समय यहां विचार हो रहा है। इस अमेंडमेंट बिल में दो बातें हैं। एक तो यह कि यह बिल इस बात के लिये पेश किया गया है कि पार्लियामेंट को अख्तियार दिया जाय कि वह कांस्टीटयूशन में फन्डामेंटल राइट्स में अमेंन्डमेंट कर सके और दूसरा यह कि कुछ आर्टिकिल ऐसे हैं जैसे कि आर्टिकल 13 और 31 हैं इनमें आगे चल कर के तरमीम पेश की जाय तो यह दो बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि यह मसला बहुत पेचीदा है और इसमें बहुत संजीदगी स गौर करना चाहिए। जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। यह सवाल क्यों पैदा हुआ। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने गोलकनाथ केस का हवाला दिया। यह केस गोलकनाथ ऐन्ड अदर्स वर्सेस दि स्टेट आफ पंजाब था। इसमें एक फसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है जिसकी वजह से पैदाशुदा दिक्कतें हैं और जिसकी वजह से यह जरूरत पैदा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीब अहमद—]

एक मामूली सी परेशानी में आकर जो बल्ली परेशानी थी उसको ओवर पावर करने के लिये यह 24 वां अमेन्डमेंट बिल के नाम से यहां पर लाया गया है। फन्डामेंटल राइट्स हमारे दस्तूर की बुनियाद हैं। फंडामेंटल राइट्स को पोलिटिक्स से एवव होकर हमें उनके बारे में गौर करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोलकनाथ केस में मई, 1828 में मद्रास कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत एक कमेटी बैठाई थी और उसके प्रसीडेन्ट पंडित मोतीलाल नेहरू थे और इस गोलकनाथ केस में उसका हवाला दिया गया है। उसकी रिपोर्ट में आपकी इजाजत से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया था—

"It is obvious our first care should be to have our fundamental Rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances.....Another reason why great importance is attached to a declaration of rights is the unfarturate existence of communal differences in the country. Certain safeguards are necessary to create and establish a sense of security among those who look upon each other with distrust and suspicion. We could not better secure the full enjoyment of religious and communal rights to all communities than by including them in the basic principles of the Constitution."

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया। आप संक्षेप में कह दें।

श्री हबीब अहमद—

पंडित नेहरू ने 20 अप्रल को जो फंडामेंटल राइट्स के मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसके साथ में तीसरी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं कि 18 सितम्बर, 1943 को मि० कामथ ने तरमीम के सिलसिले में जो उन्होंने दस्तूर के मस्विदा आर्टिकल 304 जो पुराना था और वह 368 हो गया है उसके बारे में पेश की थी। डाक्टर अम्बेदकर ने भी इस बात की मुखालिफत की थी कि हमको फंडामेंटल राइट के लिए चेक करना चाहिए, उसके खिलाफ हमको कोई इकदाम नहीं करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, कम-अज-कम दर्जनों फैसले इस बात के हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत पवित्र चीज है जिसको हमें नहीं छेड़ना चाहिये।

अभी फारेन जुरिस्प्रेडेंस-इंग्लैण्ड और अमेरिका की मिसालें दी गयीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिकन जुरिस्प्रेडेंस में वाल्यूम 2 सेक्शन 25 पेजेज 629–630 पर लिखा हुआ है, "एन अटेम्प्ट बाई दि मैजारिटी टु चेंज दि फंडामेंटल ला इन वायोलेशन आफ दि सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस इज अनकांस्टीट्यूशनल एंड रिवोल्यूशनरी।" उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो इकदामात किये गये हैं इसके नतायज बहुत खराब हो सकते हैं। मैं इसके लिए आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट अगर किसी तरीके से सरकार चाहती ही है, अगर पार्लियामेंट इसको पास करना ही चाहती है तो इस अमेंडमेंट में कुछ आर्टिकिल ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स से ताल्लुक रखते हैं जो माइनारिटीज से कंसर्न्ड हैं, उनको इसकी जद में नहीं आना चाहिए और वह आर्टिकिल 15, 16, 17, 24, 25, 26, 29 और 30 हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

वक्त नहीं है समाप्त करें।

श्री हबीब अहमद—

ये वह आर्टिकिल हैं जो नहीं आने चाहिए। अगर आये तो इसके नतायज भयानक होंगे और खराब होंगे। मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इस तरह से कैसे चलेगा। लीडर कह दे तो वोट दें देंगे लेकिन इसमें विचारों में मतभेद हो सकता है, शंकाएं हो सकती हैं। हम माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं, इसलिए मौका देना चाहिए—

श्री उपाध्यक्ष—

मौका तो सब को दें, लेकिन. . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पंडित जी कल 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार थे, आज 7 बजे तक ही बैठ जायं। कम से कम प्वाइंट्स जो उठाये गये हैं उनका जवाब तो हो जाय, आखिरी दिन है। कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है कल सब लोगों को रुकना ही है। कुछ अब गर्मी आयी है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

एक नई बात कहूंगा, कहने दें। दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर नयी बात कहनी थी तो प्रतिपक्ष अपोजीशन को सवा दो बजे तक दूसरे कामों में समय नहीं लगाना चाहिये था।

*श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी द्वारा चौबीसवां संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं जिस दल का सिपाही हूं मान्यवर, उस दल को इस बात का फक्र है कि सबसे पहले उस दल ने और उस दल के नेता श्री नाथ पाई जी ने इस बिल को पार्लियामेंट के अन्दर रखा था। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज उसके बारे में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है मैं उस पर उसमें अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक मन सुना, तीन व्यक्ति भानु जी स्वतंत्र पार्टी के, माधव बाबू जनसंघ के और रूपनाथ जी बीच-बीच में टोक रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जो मिली हुई पार्टी है, की बात वह कहते हैं। लेकिन उस सैक्शन की बात कहते हैं जो राजनारायण जी से संबंधित हैं जिसने विरोध किया है।

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आपने माननीय राजनारायण जी का नाम लिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य को नहीं बोलना है तो आसन ग्रहण करें।

*श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता था कि जहां तक नेश्नेलाइजेशन की तरफ माननीय भानु बाबू ने इशारा किया था उसमें दो शब्द हैं। एक कम्पेंसेशन और दूसरा एमाउन्ट है जो इस देश में सही मान में गरीबी, बेकारी और भुखमरी को दूर करना चाहते हैं तो स्वाभाविक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकरन सिंह--]

है और हम मानते हैं कि नेश्नेलाइजेशन होना चाहिये तो कैसे कर सकते हैं । अभी इस प्रदेश में शुगर मिल्स के राष्ट्रीयकरण का सवाल है । अगर कम्पेंसेशन देने का सवाल है तो प्रदेश बिक सकता है । इसलिये एमाउन्ट रख दिया जायेगा तो जो सबसे अधिक आवश्यक चीज है, इस संशोधन के पास होने से वह संभव हो जायेगी कि हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शूगर मिल्स का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं ।

मान्यवर, प्रेस के बारे में शंकायें व्यक्त की गई हैं । जब चुनाव का अवसर था तो चुनाव के पहले आपने देखा और माननीय सदस्यों ने देखा कि यह शकायें व्यक्त की जा रही थीं कि अगर देश के अन्दर यह संशोधन लाया जायगा तो कयास हो जायेगा । यह कौन लोग थे जो इस तरह की बात कर रहे थे ? प्रेस वाली चीज अपनी तरफ से लिखवा कर रखवा रहे थे । लेकिन यह ऐसी समस्या है, ऐसा सवाल है जिसको जनता ने समझा । यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां माननीय बंशीधर पांडेय ने इसका समर्थन किया है लेकिन कुछ शंकायें व्यक्त की हैं और माननीय जायसवाल जी ने भी शंकायें व्यक्ति की ह । शंकाय हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है लेकिन देश की गरीबी और भुखमरी का समाधान नहीं हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी हिटलर हों या न हों, वह तो अपने आप पैदा हो जायेंगा अगर हम समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां तक इसका सवाल है संशोधन के संबंध में एक चीज जायसवाल जी ने कही है कि इसमें डमोक्रेसी का हनन हो रहा है । लेकिन म समझता हूं कि इसस जनतंत्र की बुनियाद जमेगी, मजबूत होगी । अगर देश की गरीबी, बकारी और भुखमरी का समाधान हो जायेगा तो देश की अमीरी का मनोबल गिरेगा और जनतंत्र मजबूत होगा । मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप हम लोगों को 5-5 मिनट का समय दे दें । थोड़ा सदन का समय बढ़ जायगा तो कोई हर्ज नहीं है । आपकी बड़ी कृपा होगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं । इस समय सदन में इतने आदमी खड़े हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, जो इसका समर्थन कर रहे हैं वह न बोलें तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन समर्थन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, हमें कैसे मालूम हो पहले ?

आप लोग भी ३ हैं । 5-5 मिनट के हिसाब से 15 मिनट हुए लेकिन समय अब नहीं है । इसलिय अब समय देना संभव नहीं है ।

*श्री उदित नारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ माननीय सदस्यों न जो कुछ कहा है, उसको सुना । म निवेदन करना चहता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी, माननीय पांडेय जी और माननीय वर्मा जी का म बहुत ही आभारी हूं और म उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव में हमारा समर्थन किया है। केवल इसलिये धन्यबाद नहीं देता कि उन्होंने हमारा समर्थन किया बल्कि इसलिये और भी कि इस इस प्रस्ताव के समर्थन में एक बात यह आयी कि कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन पर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर भी विचार कर सकते हैं। जो प्रश्न समाज के और जनता के कल्याण के होंगे उनको दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार कर सकते हैं। इसलिये वे हमारे बधाई के पात्र हैं।

इस बहस के दौरान में, जहां कुछ बातें इस प्रस्ताव और संशोधन के संबंध में कही गयीं वहां कुछ बातें ऐसी भी कही गयीं जो इस प्रस्ताव और इस संशोधन से संबंधित नहीं थीं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने थोड़ा सा सुब्बाराव जी का जिक्र किया। म समझता हूं कि यह जनतंत्र की परम्परा है और यह जनतंत्र चल नहीं सकता अगर हम अपनी आस्था अपनी न्यायपालिका में खो दगे। हमारे लिय यह बड़ी जरूरी बात है कि हम अपनी न्यायपालिका में सदा के सदा के लिय आस्था रख, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, चाहे कभी जहर का घूंट ही क्यों न पीना पड़े। इसलिये अगर हमें जनतंत्र को चलाना है तो हमें सदा ही न्यायपालिका में विश्वास रखना होगा और माननीय जज कोई भी हों, उनकी नीयत पर कभी हमें हमला नहीं करना होगा।

एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोई जज भी मनुष्य ही होता है। उसक ऊपर भी उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसमें वह पला है, कैसी उसको शिक्षा मिली है, कैसी उसकी परम्परायें रही हैं, इन सारी बातों का प्रभाव जब कभी वह कोई निर्णय लेता है या इंटरप्रिटेशन करता है तो उन पर अवश्य ही पड़ता है। वह उससे अछूता नहीं रह सकता और अपनी शिक्षा और वातावरण के कारण वह कभी-कभी गलत फैसला भी दे सकता है लेकिन उसके आगे हमारा सिर झुक नहीं सकता और उसको परिवर्तन करने के जो हमारे कायदे हैं, उनके अनुसार हम परिवर्तन करेंगे जिससे हमारी जो आस्था न्यायपालिका में है वह बनी रहे। उसमें संशोधन लाने का आज तक जो हमारा तरीका रहा है और जिसके अनुसार हमारा जनतंत्र चलता रहेगा, वैसा ही हम बरतेंगे।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने नीति निर्देशक तत्वों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाते हुए हमारी आलोचना की और कहा कि उनके बारे में हमने क्या किया। आज इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, नहीं तो हम भी उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करते कि क्या किया है क्या नहीं किया। मान लीजिये हमने कुछ नहीं भी किया तो भी इस संशोधन के पास करने के बाद जो कुछ वास्तव म हमें करना चाहिय, उससे जो भी हम उपलब्धि होगी, उसके लिये हम संशोधन ला रहे हैं अगर हम नहीं भी कर पाये तो भी माननीय कृष्णानन्द राय जी भी या और कोई करना चाहगा तो उसको दरवाजा खुला मिलेगा, बन्द नहीं मिलेगा, उनको किसी कठिनता का सामना करना नहीं पड़ेगा और जो गोलकनाथ केस में हुआ जिससे सामाजिक, आर्थिक विकास में बाधा पड़ती, उसका अब डर नहीं है।

श्रीमन्, और कुछ बातें भी कही गयी हैं। उनकी तरफ भी मैं समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि उससे हम अपने केंद्रबिन्दु से हट जाते हैं। जैसे हमारे जायसवाल जी ने और त्रिपाठी जी ने कांग्रेस और इंदिरा जी के बारे में कुछ बातें कहीं। उन बातों का इससे कोई संबंध नहीं है। इसलिये मैं उन बातों का भी जवाब देने में सदन का समय नहीं लूंगा। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय अनन्तराम जी या माननीय त्रिपाठी जी को बड़ी चिन्ता हुयी इस बात की कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का क्या होगा या माननीया राजेंद्र कुमारी जी का क्या होगा। मैं उनका शुक्रिया इसलिये अदा करता हूं कि जितनी फिक्र इन दोनों को नहीं है उससे ज्यादा फिक्र उनको है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसमें भूल गये थे, आपको शामिल नहीं किया था । आप अपने को भी जोड़ कर बनाइये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

हमारे जाने से और राजेंद्र कुमारी जी के जाने से अगर आपका कुछ कल्याण होता है तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

दुख इतना है और थोड़ा अचरज भी कि वह लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े उस लड़ाई के दो रूप थे, एक तो गुलामी को दूर करना और दूसरे जनतांत्रिक सरकार की स्थापना और आप ही के हाथों अगर उसकी क्रिया हो तो यह समझ में चीज आती नहीं । इसीलिये हमने कहा था कि या तो फ्रस्ट्रेशन म या ऐम्बिशन में यह काम किया जा रहा है । जो यह संशोधन विधयक आपक सामन आया है आप यह कहना चाहते हैं कि यह टाटा, बिड़ला या दूसरे पूंजीपतियों के घर में जितनी सम्पत्ति है उसको निकाल कर हिन्दुस्तान के सब गरीबों में बाट देंगे । मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को आप ठीक से पढ़ें और यह बतायें कि क्या सचमुच उसका प्रभाव खाली सम्पत्ति के अधिकार तक सीमित है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं कहने का जा रहा हूं, आप सुनिये तो । श्रीमन्, आज की बहस के दौरान मेरे दोस्तों ने बहुत कहावत कहीं । एक कहावत मैं भी कह दूं कि यह जो चिन्ता व्यक्त की गयी है माननीय कमलापति त्रिपाठी जी और माननीया राजद्र कुमारी जी के लिये और मेरे लिये उसके कहावत एक यह है कि---

" बैल न कूदे, कूदे गौन,
यह तमाशा देखे कौन ।"

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इन बातों से परे हो कर अपने को केंद्रित करना चाहिय इस प्रश्न की ओर जो हमारे सामने है ।

एक बात माननीय जायसवाल जी ने कही और शायद माननीय पांडेय जी ने भी कही कि उनका यह ख्याल है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका पार्ट तीन जो है उसमें सम्पत्ति के अधिकार को नहीं शरीक करना चाहिय था तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है । यदि वह न शरीक होता तो अच्छा होता । मैं उनके साथ बिल्कुल हूं, आप उसको निकाल दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसीलिये मैं आपसे कहता हूं कि अगर यह संशोधन उसी तक सीमित होता चाहे वह जितना गैरकानूनी होता, शायद उसका समर्थन आपको मिल जाता । लेकिन वह उसी तक सीमित नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा---

आप तशरीफ रखिये, मैं कहने जा रहा हूं । मुझे यह बताइये कि अगर हम फंडामेंटल राइट में से इसको निकाल देंगे तो भी संविधान का संशोधन ही तो करना पड़ेगा । बात फिर उसी जगह पर पहुंच जायगी जो आज उस जगह पर है । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपको इस बात का भय लगता है और भानु प्रताप सिंह जी को भी कि जब हम एक अधिकार, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का ले लेते हैं तो उसके बाद क्या

गारन्टी है कि वहीं तक हम सीमित रहेंगे। यह प्रापर्टी राइट तक सीमित रहेगी उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इसकी क्या गारन्टी है। मैं केवल इस बात का जिक्र करता हूं कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल की चर्चा हुयी। यह ठीक है कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल इस संविधान में बनाये गये हैं जो हमारे मूलभूत तत्व हैं। यह एक विशेषता रखते हैं जिसकी तरफ किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसमें यह दिया है कि "37--इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।"

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शर्मा जी ने हमारा काम आसान कर दिया। यदि हमने नहीं किया तो संविधान में इस बात के रहते हुए आपने कौन सा तीर मार दिया।

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसमें कोई बात नहीं की गई इसलिये कि इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक जगह है, जनतंत्र तभी चल सकता है कि जब हम इस परम्परा के प्रति वास्तव में जागरूक रहें। हमारे जो कर्त्तव्य बताये गये हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा उनके प्रति वफादार रहें। उनके प्रति यदि वफादार नहीं रहेंगे तो इसकी कोई गारन्टी नहीं है कि हमारा जनतंत्र चलेगा। हम जब इस बात को मानते हैं कि जनतंत्र चलेगा तो हम इस बात को मानते हैं कि हम इन तत्वों के प्रति अवश्य वफादार रहेंगे। यदि रहेंगे तो प्रापर्टी राइट जरूर बदल सकते हैं लेकिन कभी भी इन तत्वों के रहते हुए यदि हम....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कोई दूसरी सरकार आयेगी तो बाकी जितने अधिकार हैं वह उनको भी समाप्त कर देगी।

श्री उदित नारायण शर्मा---

आपकी सरकार आयेगी तो वह जरूर ऐसा करेगी। आगे की पीढ़ियां उसको बनायेंगी मानव की पीढ़ियां इतिहास बनाया करती हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि जनतंत्र को चलना है तो हमारी जनता में यह मनोवृत्ति और यह तत्व पैदा करना पड़ेगा कि वह इन तत्वों के प्रति वफादार बने रहें। यदि वह वफादार नहीं बने रहेंगे तो हमारे देश में जनतंत्र चलने की कोई गारन्टी नहीं है और जो हमारी इस संबंध में बहस है वह सब व्यर्थ हो जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गारन्टी की मांग रखी गई है उस सीमा से आगे नहीं जायेंगे। वह इस 37 अनुच्छेद में दी हुई है....।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसमें दो तरह के अधिकार दिये गये हैं। एक तो वह मौलिक अधिकार जो साधारण नागरिकों के होते हैं और दूसरे सरकार के ऊपर कर्त्तव्य डाला गया है कि यह मूलभूत सिद्धांत है और सरकार इसके अनुसार अपना कानून बना सकती है। इन दोनों में फर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको याद होगा कि 67 में चुनाव के मौके पर जब यह मामला उठाया गया तो पार्लियामेंट में जो लोग गये थे उन्होंने संविधान की कसम खाई थी। उसके बावजूद भी संविधान के अनुसार वैसा नहीं किया गया।

श्री उदित नारायण शर्मा---

यदि इस तरह से मेरी हर बात के ऊपर टीका होना है तो मुझे आप श्रीमन्, हुक्म दें तो मैं बैठ जाऊं। अगर इस तरह स एक मेरे वाक्य के बाद वह चार सेन्टेंस कहेंगे तो फिर मैं

[श्री उदित नारायण शर्मा--]

क्या बोल सकूंगा । मेरा निवेदन है कि यह कोई बड़ी अच्छी परम्परा न होगी कि वह भी बोलें, वह एक दल के नेता हैं और मैं भी यहां कुछ जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं । मैं कह रहा था कि जहां तक इस संशोधन के वैधानिक पहलू का सवाल है उस पर हमारे श्री भानु प्रताप सिंह जी ने और माननीय जायसवाल जी ने दो बातों के ऊपर जोर दिया और सब उसी पर जोर दे रहे हैं । यदि आप गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के केस को उठायें और पढ़ें तो इसमें सारी बात इसी प्वाइंट पर केंद्रित है कि अनुच्छेद 12--13 के प्रतिबन्ध के रहते हुए संविधान का संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है । सारी बहस इसी प्वाइंट पर है । मैं निवेदन करूंगा कि इस के ऊपर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, यह तयशुदा बात है और आप तसलीम करेंगे कि अनुच्छेद 12--13 में जिस विधि का जिस कानून का जिक्र किया गया है वह है कि जो 368 के परे, 245, 246 और 248 के मातहत जो दी हुयी सूचियां हैं शिड्यूल 7 की उनके मातहत जो कानून बनाये जाते हैं, जो पार्लियामेंट के कानून बनते हैं, वे सारे साधारण कानून अनुच्छेद 245, 246 और 248 हैं और उस के साथ में जो शिड्यूल 7 में अनुसूचियां हैं उनके ही तहत में वह कानून बनते हैं । इसलिये वह 12--13 का प्रतिबन्ध इन कानूनों के लिये ही है जो कि 245, 246 और 248 और सातवें शिड्यूल की सूचियों के अन्तर्गत बनते हैं । संविधान का संशोधन उसके अन्तर्गत नहीं होता, यह कांस्टीट्यूशन मेकिंग पावर है और लीगल प्रोसीजर बनाने और कांस्टीट्यूशन मेकिंग पावर में बड़ा भारी अन्तर है । मैं एक मिनट में बता दूं कि यह पावर किसी तरह से उस पावर से भिन्न है । गोलकनाथ केस में जजमेंट देने वाले जजेज के सामने इसी प्वाइंट पर बड़ी दिक्कत पेश आई वह बड़ा कठिन और लेबर्ड जजमेंट था, बड़ी तकलीफ उनको उस फैसले तक पहुंचने में हुई । हमारे यहां सातवें शिड्यूल मे 3 सूची दी हैं । एक सूची उन कानूनों की है जो केंद्र बना सकता है दूसरी उन कानूनों की है जो राज्य बनायेंगे और तीसरी सूची वह है जिस में वह कानून बनेंगे जो दोनों मिलकर बनायेंगे । केंद्र की सूची बड़ी विस्तार से दी हुई है । वह बड़ी डिटेल्ड और एगजास्टिव है । सब में संविधान के संशोधन का सबसे ज्यादा अहम प्रश्न है । अधिक नहीं तो इतनी बात निर्विवाद है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया तो सबको तसलीम है और जो प्रक्रिया है वह बतलाती है कि संविधान का संशोधन किस कानून के मातहत हो सकता है तो फिर क्या कारण है कि जब इतनी डिटेल्ड लिस्ट दी है तो उस में संविधान के संशोधन का नाम नहीं लिखा गया है ?

श्री बसंत लाल शर्मा----

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां से तो केवल 2--1 आदमियों ने ही इस का विरोध किया है कि यह संशोधन नहीं हो सकता बाकी तो समर्थन ही किया है। शर्मा जी तो बड़े वकील हैं वह केवल शंका के निवारण के लिये ही अपनी बात रखें, पहले कही हुई बातों को फिर न कहें ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

आप यह गलत कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 12-13 के रहते हुये संशोधन नहीं हो सकता । उसी का उत्तर मैं दे रहा हूं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती कि इन सूचियों में किसी भी जगह पर यह विषय न आ जाता कि संशोधन जो हमारे संविधान का है इसे कौन करेगा । संविधान का संशोधन होगा । जो 368 अनुच्छेद है इसमें निहित है, इट इज इम्प्लाइड इट इज कांटेम्प्लेटेड, हमारे यहां संशोधन इस प्रक्रिया से हो सकता है, प्रक्रिया हो, संशोधन हो, ऐसा नहीं हो सकता है । वह जानबूझ कर छोड़ दिया गया है । साधारण विधि के जो नियम बनाने वाले हैं वे उसमें नहीं हैं, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर बनते हैं । 368 अनुच्छेद अपने में पूरा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । शर्मा जी यह कह रहे हैं कि 368 में प्रक्रिया दी हुयी है इसलिये वह शक्ति पार्लियामेंट को प्राप्त है । लेकिन किन्हीं मानों में उसमें दिया हुआ है, किन किन मामलों में । लेकिन जो यह भाग तीन है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है उसमें अलग से व्यवस्था है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

368 अनुच्छेद ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है । इसमें जो (ई) दिया है उसको नीचे लिखा है । वहां पर स्टेट से या दूसरी जगहों से आधे से ज्यादा लोगों को समर्थन करना पड़ेगा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि दो चीजें अलाहिदा हैं । सारे संशोधन को देख डालें किसी भी जगह पर जैसे यह अनुच्छेद है 368 भाग 20 पर । भाग 20 में यह विशेषता है कि सारे संशोधन में केवल भाग 20 ऐसा है जो केवल एक अनुच्छेद का बना हुआ है । इसमें केवल एक आर्टिकिल है । दूसरे आर्टिकिल ज्यादा नहीं है । इसका किसी दूसरी चीज से संबंध नहीं रक्खा है। सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का यह है कि यह अपने लिये बनाया गया है और केवल संविधान को बदलने की शक्ति पार्लियामेंट को देने के लिये बनाया गया है । इसमें सन्देह नहीं रहता । उसमें उन्होंने सन्देह डाल दिया । अगर वोट कहा था तो हम कहेंगे कि वह गलत है । क्योंकि उससे भ्रम पैदा हो गया । क्योंकि हम चाहते हैं कि मान्यतायें बनी रहें । क्योंकि जजमेंट को हम फ्लाउट नहीं करना चाहते इसलिये संशोधन को ले आये। आपके सामने सीधी साधी बात यह है रैफरेंडम । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था तो आप लोगों को पसन्द नहीं आया । आज आप लोगों ने बड़े जोरों से कहा । इसका इतिहास देखेंगे संशोधनों का तो हमारे यह बैंक नेशनेलाइजेशन केस हुआ । इसके पहले गोलकनाथ का केस हुआ था । इसके पहले प्रिवी पर्सेज वाला केस हुआ । यदि ध्यान हो तो उसमें यह कहा गया था कि प्रिवी पर्सेज को नहीं ले सकते क्योंकि "दैट वाज प्रापर्टी विदिन दि वर्ड यूज्ड फंडामेंटल राइट्स पर्टेनिंग टु प्रापर्टी"। इसलिये उस वक्त सारी बातें आकर केंद्रित हो गईं । उसी जगह पार्लियामेंट भंग हुई । उसी जगह कहा गया कि प्रापर्टी है उसको नहीं ले सकते हैं । कानून नहीं है । तो सीधे मेंडेट लिया गया था जनता से । उस समय भी पार्लियामेन्ट में कांग्रेस की मजारिटी थी लेकिन लोक सभा को भंग किया गया यह कह कर कि जो हम काम करना चाहते हैं उसमें अड़चन पड़ रही है । कानून को बदल कर....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने अपना चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ा है । उसमें कहीं पर लिखा है कि आप सीक करने जा रहे हैं फंडामेंटल राईट पर वोट लिया जाय । नहीं । दूसरी चीज यह है कि जिस वोट पर आप नाज करते हैं अभी भानु जी न बताया कि जिन लोगों न वोट में हिस्सा लिया उनके खाली 42 परसेंट वोट मिले जितने मतदाता हैं उनके 23 प्रतिशत ही । आप रेफरेंडम का क्या आदर करेंगे ? बांगला देश में अभी मुजीबुर्रहमान को पूरी जनता ने मान्यता दी । मुजीबुर्रहमान आज प्रधान मंत्री होते ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जितनी भी स्पीचेज हुई हैं, जितना भी लिटरेचर बांटा गया है उसमें कहा गया है कि हम प्रगतिशील काम करना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं । हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिनमें संविधान अड़ंगा डाल रहा है और इसलिये हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सदन के समक्ष अनुच्छेद है उसमें हाशिये पर लिखा है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। पार्श्व अंकित संविधान का संशोधन शीर्षक पर वह हावी है। तो क्या शीर्षक महत्वपूर्ण नहीं है? आप उसमें तरमीम कर सकते हैं। लेकिन शायद हाशिया सिर पर सवार है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसका नाम अमेंडमेंट आफ दि कांस्टीट्यूशन दिया गया है और इसका नाम प्रोसीजर फार दि अमेंडमेंट आफ दि कांस्टीट्यूशन नहीं रक्खा गया है। हम जनता के सामने गये और वोट मांगा यह कह कर कि कृपा कर इतने वोट दीजिये कि हमारा दो तिहाई बहुमत पार्लियामेंट में हो कि इस कार्य को पूरा कर सकें। सीध सीधे यह कहा गया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह नहीं कहा गया था, प्रापर्टी राइट वाली बात कहीं गई थी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनता ने हमारे लिये वोट किया। यह जनता का मैंडेट था। मैं अब सभी मित्रों और सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन के लिये, हमारे समाज के लिये, हमारे देश के लिये जीने मरने का प्रश्न है, तरक्की का प्रश्न है, विकास का प्रश्न है, इसलिये एक मत होकर इसको पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

(प्रार्थना स्वीकार न होने पर माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

किसानों के गन्ने की कीमत का बकाया दिलाये जाने तथा गन्ने के दाम निर्धारित किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब सदन के बारे में सूचना मुख्य मंत्री देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मुख्य मंत्री जी गन्ने की कीमत के बारे में वक्तव्य देंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह पास नहीं हुआ है। आप इसको पढ़ लें। इसमें वही प्रक्रिया होना चाहिये थी जो कि पार्लियामेंट में हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

पास हो गया है।

मुख्यमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

चीनी के बारे में श्री कल्पनाथ सिंह ने दो सवाल उठाये थे कि सूचना दी जाय। एक तो भविष्य के लिये गन्ने की कीमत क्या स्थिर होगी, यह था। गन्ने की कीमत भारत सरकार तय करती है, हमसे राय लेती है। हमने यह राय दी है कि 10 रुपये प्रति क्विंटल पर अगले साल के लिये रक्खी जाय। यदि 9 के ऊपर 0.1 से अधिक रिकवरी है तो 7 पैसा उस पर रिकवरी दी जाय। यह मैंने रेकमेंडेशन की है। ऐसी चीजों पर जब वहां पर विचार होगा, हम उस पर दृढ़ता के साथ रहेंगे। कई प्वाइन्ट्स हैं जिनको लेकर भारत सरकार कीमत नियत करती है। यही संस्तुति हमने उनके पास भेजी है। जहां तक कि गन्ने की कीमत के बकाये का प्रश्न है। अगस्त में मैंने एक वक्तव्य दिया था यह बताया था कि 26–27 करोड़ का बकाया है। बाद में वह 11 करोड़ रह गया था और उसके बाद मेरे पास उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है पर सुना है कि कई करोड़ रुपया और किसानों को अदा किया गया है। चूंकि लोगों के पास गन्ने की कीमत का बकाया पड़ा है, रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं और सख्ती की जा रही है कि वह जल्दी अदा हो। थोड़ा तो बाकी रह गया है। कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने सारे का सारा अदा कर दिया है। 12 मिलों में से 5 तो शुगर कारपोरेशन के पास हैं और 7 में रिट दायर हैं और जितना रुपया है वह सब रुक गया है। हमने इस बात की कोशिश की है कि उनको जो कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये जिसमें बोरों की कीमत भी है, जितना उनके ऊपर नेट ऋण है, बैंक का इतना पूरा होने के बाद जो पैसा फाजिल बचता है उससे गन्ने की कीमत अदा कर दी जाय। बैंक से बातचीत कर रहे हैं। शीघ्र ही अदा हो जायेगी। जो हमारे हाथ में मिलें आई हैं हम देख रहे हैं कि जिस किसी मिल पर 5 लाख रुपया बकाया है और हमारा कम्पेंसेशन 7 या 8 लाख का और जितना उनकी गारन्टी का लोन है उतना छोड़ कर बाकी पैसा जो मिलता है वह गन्ने की कीमत में अदा कर दिया जाय। मजदूरों को मजदूरी दी जाय तब कोई काम हो। बाढ़ के इलाके में लोगों को पैसा न मिलने से परेशानी है। चेष्टा कर रहे हैं, कलेक्टर्स को आदेश दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी बैंक से फैसला करवाया जाय और पैसा बांटना शुरू कर दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। गन्ने की कीमत के लिये मुख्य मंत्री जी ने केंद्र से सिफारिश की है कि 10 रु० फी कुंटल रखा जाय। क्या वह यह भी आश्वासन देंगे कि 5 फैक्टरीज उनके पास हैं उनके किसानों को वे 10 रु० फी कुंटल की दर से देंगे यदि केंद्र सरकार इसको नहीं भी करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो एक हाइपाथिटिकल आशंकाप्रद प्रश्न है। मेरी कोशिश होगी, जैसी कि परिस्थितियां पैदा हुई हैं और हम खुद समझते हैं कि यह होना चाहिये। गन्ने की कीमत इस साल पैदावार कम होने से बढ़ेगी। बाढ़ से भी काफी गन्ना नष्ट हो गया है। 10 रु0 अधिक नहीं है और इसको देने में भारत सरकार को तथा मिल मालिकों को आपत्ति नहीं होगी। दृढ़ता से हम इसको रखेंगे। हम लोग सबसे बड़े गन्ना उत्पादक हैं और जब जोर देकर इसको कहेंगे तो यह नहीं है कि इसको भारत सरकार स्वीकार न करे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

किसानों का पैसा बहुत काफी है, तो जो किसान क्रशर लगाना चाहें, उन्हें उदारतापूर्वक लाइसेंस देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय बहस के लिये नहीं है।

विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, हम लोग दुबारा कब मिलने वाले हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

आप बराबर मिलने वाले हैं, सन् 74 तक मिलते रहेंगे जब तक दूसरे चुनाव का समय नहीं आता ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

विधान सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर रहे हैं या कोई तिथि निर्धारित कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरी प्रार्थना है कि अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 8 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
17 सितम्बर, 1971 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 762 पर)

सूची 'क'

विशेष चकबन्दी समिति के सदस्यों की सूची

1—श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य विधान सभा

2—श्री फिरंगी प्रसाद, सदस्य विधान सभा, गोरखपुर

3—श्री प्रताप नारायण तिवारी, सदस्य विधान परिषद्, गोंडा

4—श्री रामपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, कानपुर

5—श्री बृज भूषण मिश्र, ग्रामवासी, मिर्जापुर

श्री शरत चन्द्र, उप संचालक, चकबन्दी इस समिति के सचिव हैं।

श्री बृज भूषण मिश्र अध्यक्ष चुने गये थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

समिति के उद्देश्य

समिति का कार्य क्षेत्र निम्नांकित विषयों का अध्ययन करना तथा शासन को अपनी संस्तुतियां देना था।

(1) चकबन्दी योजना का कृषि उत्पादन पर प्रभाव।

(2) चकबन्दी योजना कार्य की समीक्षा। इस विषय में यह देखा जायगा कि प्रगति सन्तोषप्रद है या नहीं और उसकी प्रगति को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

(3) योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु हुये भूमि के आरक्षण के संबंध में नियमों और शासन की नीति के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं। यह भी देखना कि बढ़ती हुई आबादी, विशेषतः हरिजन आबादी के लिये किया गया आरक्षण काफी है या नहीं और उपयुक्त स्थान पर है या नहीं।

(4) सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित मूल्यांकन में से जितनी मूल्यांकन का प्रयोग नहीं हो पाता उसके उपलक्ष में भूमि कहां तक बड़े टुकड़ों में छोड़ी जा रही है।

(5) गांव स्तर पर चकबन्दी समितियों और जिला स्तर पर जिला (परामर्शदात्री) समितियां कहां तक सुचारु ढंग से काम कर रहीं हैं।

(6) चकबन्दी योजना के कार्य में आनेवाली रुकावटों को दूर करने के लिये अधिनियम, नियमावली व कार्यप्रणाली में संशोधन के प्रस्ताव, यदि कोई हों।

(7) जिलों में जाकर जनसंपर्क स्थापित करना और चकबन्दी कार्य का मूल्यांकन करना।

(8) चकबन्दी की विशेष समस्याओं एवं कार्यप्रणाली की जांच।

(9) यह देखना कि चकों का प्रयोजन ठीक प्रकार से कर दिया गया है और सभी खातेदारों को अपने चकों की जानकारी है और नये चकों पर कब्जा बदलने के पहले उनका सीमांकन पत्थर लगाकर कर दिया गया है।

(10) सुझाव देना कि चकबन्दी योजना के कार्य में छोटे और असहाय काश्तकारों के हितों का ध्यान किस हद तक रखा गया है और इस संबंध में क्या कोई और कार्यवाही आवश्यक है।

(11) जो भी त्रुटियां कमेटी के समक्ष आयें उसको दूर करने के संबंध में अपने सुझाव शासन को देना।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 776 पर)

कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई द्वारा इस प्रदेश के लिये स्वीकृत योजनाओं की सूची, लागत सहित

क्रम-सं०	योजना का नाम	कुल लागत (लाख रुपयों में)
	क—अल्प सिंचाई योजनायें (उ०प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से)—	
1	खुर्जा (बुलन्दशहर)	96.426
2	सहारनपुर	33.750
3	बागपत (मेरठ)	15.750
4	बिजनौर	26.534
5	रायबरेली	33.266
6	गोरखपुर	39.657
7	देवरिया	57.130
8	मुजफ्फरनगर	82.243
9	बलिया	17.350
10	आजमगढ़	52.475
11	कानपुर	30.800
12	इलाहाबाद	62.100
13	लखीमपुर खीरी	50.910
14	बस्ती	54.000
15	मथुरा	12.900
16	लखनऊ	64.000
17	फैजाबाद	66.400
18	हरदोई	88.500
19	बाराबंकी	147.180
20	सुल्तानपुर	140.050
21	प्रतापगढ़	45.600
22	फतेहपुर	56.450
23	उन्नाव	5.860
24	गोंडा	230.250
25	शाहजहांपुर	140.500
26	रामपुर	52.000

क्रम सं०	योजना का नाम	कुल लागत (लाख रु० में)
27	एटा	63.250
28	इटावा	122.000
29	मैनपुरी	47.000
30	रायबरेली (लघु कृषक विकास योजना)	290.500
31	फतेहपुर (,,)	273.950
32	प्रतापगढ़ (,,)	207.000
33	बदायूं (,,)	267.000
		2,972.781

ख—गोदाम निर्माण योजना (उ० प्र० सहकारी बैंक के माध्यम से)—

34	उ० प्र० सहकारी संघ की गोदाम निर्माण योजना ..	480.000

ग—व्यवसायिक बैंकों द्वारा की जाने वाली योजनायें—

35	तराई बीज योजना (स्टेट बैंक आफ इंडिया)	927.000
36	डेयरी योजना (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया)	30.000
	योग	957.000
	कुल योग ..	4409.781

अविभाजित उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 792 पर)

सूची संख्या 1

सूची अनाधिकार कब्जा ग्राम दीमनपुर, तहसील कानपुर

नम्बर	रकबा	नाम	मुद्दत
497	1।।।4	राम भरोसे, पुत्र द्वारिका प्रसाद ..	पूर्व चकबन्दी
1297 ख	2।।ऽ	सुखराज सिंह, पुत्र अम्बर सिंह ..	1370 फ०
1426	1ऽ	शिवरतन, पुत्र जुराखन ..	,,
81	1ऽ	रामलाल, पुत्र रमजू ..	1378 फ०
208	1ऽ	बदलू, पुत्र चन्द्रिका ..	,,
315	3ऽ	दुर्जन, पुत्र मुनू ..	,,
356	3ऽ4	मोतीलाल, पुत्र मंगल ..	,,
445	1ऽ3	राम औतार, पुत्र गजराज सिंह ..	,,
453	1ऽ3	भुटइयादीन, पुत्र मैकू ..	,,
460	।।।4	हीरालाल बरामदलाल, पुत्रगण मैकू ..	,,
622	ऽ3–3	छोटे लाल यादव ..	,,
783	ऽ2	नन्हकू, पुत्र सुदीन ..	,,
891	3ऽ2	तेजनारायन, पुत्र उमाशंकर ..	,,
892	2ऽ1	शिवदास सिंह, पुत्र शंकर सिंह व	,,
893	2ऽ1	वीरेन्द्र सिंह व नरेन्द्र सिंह, पुत्रगण ..	,,
894	2ऽ4	महाबीर सिंह व लाल सिंह व बल्देव सिंह पुत्र गण अर्जन सिंह व सुरेन्द्र सिंह, पुत्र अभिमन्यु सिंह ।	
958	1ऽ4	श्यामलाल, पुत्र रामदीन व वृजलाल, पुत्र मेकू	,,
1065	14-16	सुखराम सिंह, पुत्र आ० रामधीन ..	,,
1112	14	शिवपाल सिंह, पुत्र शंकर सिंह ..	,,
1266	1ऽ	मोतीलाल, पुत्र मंगली ..	,,
1279/2	3।।।1-13	विशेश्वर, पुत्र सूरजबली ..	,,
1295	।।ऽ	विजयी सिंह, पुत्र वलीम सिंह ..	,,
1298	2।।2–10	दूलरा सिंह, पुत्र मुलबा सिंह ..	,,
1360	ऽ4	नन्हकऊ, पुत्र भिखारी ..	,,

19 एकड़
36।।ऽ 3-2

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 793 पर)

सोन नदी की बाढ़ से पीड़ित राबर्ट्सगंज के गांवों की सूची

1—कुडांरी
2—छितिक पुरवा
3—बेलिया
4—चोरिया
5—मुरछा
6—असरकार
7—मबाइन
8—बड़गावां
9—चौरा
10—बिगौरा
11—अगौरो खास
12—कोठानी
13—बहलपुर
14—सिन्धुरिया
15—मिल्ची
16—कोरट
17—रिजूल
18—कदरा
19—असउर
20—गुरदहा
21—सरगन्दा
22—मीतीपुर
23—वेघना
24—रेड़िया
25—पटबन्ध
26—कनछ
27—पकरी
28—कन्हौरा
29—चोपन
30—कोटा
31—हर्दी (पड़रछ)
32—सोनकर
33—भामी कला
34—भामी खुर्द
35—मझगवां
36—नकटबार
37—ससनई
38—चकरिया
30—गड़ाव
40—रानीडीह
41—बसुहारी
42—चननी

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 170 एल० ए०—1972—845।